55th

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012 - 13

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

निगम के ५५ वीं वार्षिक रिपोर्ट का फोकस ऋण बीमा के मूलभूत सिध्दांत हैं।
सात सिध्दांत निम्नानुसार हैं :

The focus of the 55th Annual Report of the Corporation is the fundamental principles of Credit Insurance.
The seven principles are :

विश्वसनीयता का सिद्धांत (अत्यंत श्रेष्ठ विश्वास)
Principle of Uberrimae fidei (Utmost Good Faith)

बीमा योग्य लाभ का सिद्धांत
Principle of Insurable Interest

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत
Principle of Indemnity

जोखिम बाँटने का सिद्धांत
Principle of Risk Sharing

कारको का सिद्धांत (समीपस्थ कारण)
Principle of Causa Proxima (Nearest Cause)

हानि कम करने का सिद्धांत
Principle of Loss Minimization

अधिकारों के प्रतिष्ठापन का सिद्धांत
Principle of Subrogation of rights

विजन

निर्यात ऋण बीमा व
व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing
export credit insurance and
trade-related services

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध
स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए
किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी
सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की
सहायता करना।

Mission

To support the Indian Export Industry by
providing cost-effective insurance and
trade-related services to meet the
growing needs of the Indian export
market through the optimal utilisation of
available resources.

ई सी जी सी ECGC

पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021
REGISTERED OFFICE : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता वी.पंडित
COMPANY SECRETARY	Ms. Smita V. Pandit

नियुक्त बीमांकिक	श्री मयूर अंकोलेकर
APPOINTED ACTUARY	Shri Mayur Ankolekar

संयुक्त लेखा परीक्षक
JOINT STATUTORY AUDITORS

मेसर्स एम.बी.अग्रवाल एंड कंपनी	मेसर्स पी.एम.दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार, मुंबई	सनदी लेखाकार, मुंबई
M/s. M.B. Agrawal & Co.	M/s. P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants, Mumbai	Chartered Accountants, Mumbai

बैंकर्स
BANKERS

कॉर्पोरेशन बैंक	आई डी बी आई बैंक
Corporation Bank	IDBI Bank

विषय वस्तु / Contents

निदेशक मंडल
Board of Directors 4

वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग
Senior Management 5

निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक
Performance Highlights - The Past Decade 6

अध्यक्ष का संदेश
Chairman's Message 9

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 15

प्रबंधन परिचर्चा एवं परिचालन की समीक्षा
Management Discussion & Review of Operations 27

कंपनी शासन
Corporate Governance 55

वित्तीय विवरणः
Financial Statements:

- राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र
  Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet 65
- वित्तीय विवरण अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15)
  Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15) 70
- महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ (अनुसूची 16)
  Significant Accounting Policies (Schedule 16) 87
- लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 17)
  Notes to Accounts (Schedule 17) 97
- प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात
  Key Analytical Ratios 126
- प्राप्ति और अदायगी लेखा
  Receipts & Payments Account 132

वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट
Management Report on Financial Statements 135

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' Report 139

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर
Replies to Auditors' observations 145

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
Comments of CAG 149

सेवा तंत्र
Service Network 155

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री एन.शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

श्री अरविंद मेहता
संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Shri Arvind Mehta
Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry

श्री पी.के.मिश्रा
संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
Shri P. K. Mishra
Joint Secretary, Ministry of Finance

श्री जी.गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri G. Gopalakrishna
Executive Director, Reserve Bank of India

श्री टी.सी.ए.रंगनाथन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया
Shri T. C. A. Ranganathan
Chairman and Managing Director,
Exim Bank of India

श्री ए.के.रॉय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय साधारण बीमा निगम
Shri A. K. Roy
Chairman-cum- Managing Director,
General Insurance Corporation of India

श्री के.आर.कामत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक
Shri K. R. Kamath
Chairman and Managing Director,
Punjab National Bank

श्री रफ़ीक अहमद मक्का
अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
Shri Rafeeque Ahmed Mecca
President, Federation of Indian Export Organisation

श्री वसंत मेहता
मेसर्स वी.रमेश चंद्रा एंड कं.
Shri Vasant Mehta
M/s V. Ramesh Chandra & co

श्री हरी एस.भरतिया
सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मेसर्स जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड, नई दिल्ली
Shri Hari S. Bhartia
Co-Chairman and MD
M/s Jubilant Life Science Ltd., New Delhi

वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग / SENIOR MANAGEMENT

बाएं से दाएं
From left to right

श्री धर्मराजन वी., म.प्र.
Shri Dharmarajan V., GM

श्री एम.सेंथिलनाथन, म.प्र.
Shri M. Senthilnathan, GM

श्री मनोज कुमार, म.प्र.
Shri Manoj Kumar, GM

श्रीमती गीता मुरलीधर, का.नि.
Ms. Geetha Muralidhar, ED

श्री एन.शंकर, अ.प्र.नि.
Shri N. Shankar, CMD

श्रीमती पद्मावती आर., म.प्र.
Ms. Padmavathy R., GM

श्री संदीप मुखर्जी, म.प्र.
Shri Sandeep Mukherjee, GM

श्री अशोक फडतरे, म.प्र.
Shri Ashok Phadtare, GM

श्री रोहित पांड्या, म.प्र.
Shri Rohit Pandya, GM

उप महा प्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री सुनील जोशी	1. Shri Sunil Joshi	11. श्री एन.राधाकृष्णन	11. Shri N. Radhakrishnan
2. श्रीमती तापसी सेन डे	2. Ms. Tapasi Sen De	12. श्री निर्दोष चोपड़ा	12. Shri Nirdosh Chopra
3. सुश्री ज़रीना शेख	3. Ms. Zarina Shaikh	13. श्री एम.रामकृष्णन	13. Shri M. Ramakrishnan
4. श्री सी.एन.ए अन्बरसन	4. Shri C.N.A. Anbarasan	14. श्री बलबीर सिंह मान	14. Shri Balbir Singh Maan
5. श्री पी.के.कामत	5. Shri P.K. Kamat	15. श्री राजीव मानवी	15. Shri Rajiv Manavi
6. श्री पी.एल.ठाकुर	6. Shri P.L. Thakur	16. श्री शिवाजी नार्वेकर	16. Shri Shivaji Narvekar
7. श्री आर.मोहन	7. Shri R. Mohan	17. श्री उदय शेट्टी	17. Shri Uday Shetty
8. श्री पी.प्रसाद	8. Shri P. Prasad	18. श्री श्रीधरन नायर	18. Shri Shreedharan Nair
9. श्री दीपक पी. तुंगारे	9. Shri Deepak P. Tungare	19. श्री आर.सत्यनारायणन	19. Shri R. Sathyanarayanan
10. श्रीमती वसंता श्रीनिवास	10. Ms. Vasantha Srinivas	20. श्रीमती स्मिता वी.पंडित	20. Ms. Smita V. Pandit

पिछले दस वर्षों की निष्पादन विशेषताएँ / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(करोड़ ₹) (₹ Crores)

वर्ष / YEAR	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
संरक्षित कारोबार मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ* Short Term Policies *	126100.41	119,621.00	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57	50,505.03	37,590.19	35,987.01	28,340.00
अल्पावधि ईसीआईबी** Short Term ECIB **	133250.78	120,118.65	331,758.29	271,273.95	261,731.51	182,766.16	375,260.82	396,865.33	311,913.73	296,870.00
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	10160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09	3,074.95	3,427.36	3,022.53	2,808.00
कुल / Total	**269,511.50**	**246,626.13**	**431,888.34**	**363,728.31**	**335,457.47**	**239,876.82**	**428,840.80**	**437,882.88**	**350,923.27**	**328,018.00**
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	360.68	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38	192.82	163.27	151.02	123.23
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	751.72	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76	396.69	388.42	344.24	302.47
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	44.85	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23	28.15	25.79	20.28	19.78
कुल / Total	**1,157.25**	**1,004.83**	**885.46**	**813.00**	**744.68**	**668.37**	**617.66**	**577.48**	**515.54**	**445.48**
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	113.69	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15	125.92	118.89	90.78	57.44
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	396.61	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86	245.14	257.28	257.72	387.68
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	38.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.42	3.78	4.14
कुल / Total	**548.50**	**713.03**	**620.53**	**641.72**	**451.42**	**420.01**	**372.26**	**386.59**	**352.28**	**449.26**
की गई वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	7.4	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46	5.11	3.78	13.48	11.68
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	104.71	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88	151.72	107.56	58.53	50.56
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	8.42	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71	53.37	13.91	14.46	0.69
कुल / Total	**120.53**	**168.64**	**136.06**	**133.60**	**208.58**	**157.05**	**210.20**	**125.25**	**86.47**	**62.93**

Note :

* घोषणा आधारित पॉलिसियों व जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत जोखिम शामिल है। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2011-12 के लिए जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित कारोबार का मूल्य प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित कुल हानि सीमा पर आधारित अनुमानित मूल्य है तथा वह वर्ष 2010-11 तक के लिए निर्यात व्यापार का अनुमान है।

* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2012-13 & 2011-12 is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2011-12 के लिए निगम द्वारा सुरक्षा प्राप्त बैंकों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत औसत बकाया दर्शाता है तथा यह सीमा 2010-11 तक स्वीकृत है।

** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Corporation for the FYs 2012-13 & 2011-12 and the limits sanctioned till FY 2010-11.

विश्वसनियता का सिद्धांत
(अत्यंत श्रेष्ठ विश्वास) :

बीमा कराने वाले व्यक्ति को बीमाकर्ता के समक्ष बीमा किए जाने वाले निर्यात संपादनों / व्यापार से संबंधित संपूण

अध्यक्ष का संदेश
Chairman's Message

अध्यक्ष का संदेश / CHAIRMAN'S MESSAGE

देवियों एवं सज्जनों,

1. मैं आप सबका कंपनी की 55वीं वार्षिक साधारण बैठक में सहर्ष स्वागत करता हूँ।

2. वर्ष 2012-13 के लेखों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट प्रचालित की जा चुकी है। मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

3. वैश्विक मंदी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2012 में यूरोप में ऋणात्मक विकास और अमेरिका में सामान्य विकास दर्ज किया गया। जीडीपी विकास, ट्रेड के शेष, बेरोजगारी इत्यादि की दृष्टि से विश्व अर्थव्यवस्था कठिनाई में ही रही। विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अस्थिर जोखिमों का सामना करने के बावजूद ईसीए ने अपने ग्राहकों की सावधानीपूर्वक सहायता करते हुए एक देश से दूसरे देश में व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत से ईसीए ने अपने उत्पादों को नया रूप दिया और निर्यातकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों को प्रस्तुत किया।

4. वर्ष 2012 के दौरान बर्न युनियन के सदस्यों ने 10% से अधिक विश्व निर्यातों का बीमा किया। यद्यपि दावों का स्तर फिलहाल निम्नस्तर पर जारी है तथापि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उच्च दिवालिया दर के कारण वर्ष 2013 में इसके बढ़ने के आसार हैं। विश्व भर में बाजार में जारी तनाव तथा विश्व के बहुत से हिस्सों में बढ़ते राजनीतिक जोखिमों के कारण ईसीए को पूरे विश्व में आगे और कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी वैश्विक आपदा ने वैश्विक व्यापार में क्रेडिट बीमा के महत्व को जोखिम कम करने के उपाय के रूप में अपनाने की तरफ ध्यान केन्द्रित किया है। ईसीए विश्व खरीदार पर ऋण सूचना प्राप्त करने, पुनर्बीमा की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण तथा अन्य मामलों में चुनौतियों का सामना अभी भी कर रहा है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हाल के वर्षो की दिक्कतें जारी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अमेरिका के बाज़ार की दशा में सुधार की अपेक्षा है। वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण निकट भविष्य में जोखिम वातावरण के अस्थिर बने रहने की संभावना है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र (मेना) चिंता के कारण बने रहेंगे। विश्व व्यापार की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 2% की वृद्धि हुई है जबकि एक समूह के रूप में विकासशील देशों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विश्व व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ाया है तथापि विकसित देशों के विकास में गिरावट जारी है। यद्यपि 2013 में इसमें वृद्धि अपेक्षित है फिर भी विश्व व्यापार के सामान्य स्तर पर बने रहने की संभावना है।

6. निर्यात क्षेत्र भारत के जीडीपी का लगभग 15% रहता है। देश का व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष के 305 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 301 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो डॉलर के रूप में 1.321% का ऋणात्मक विकास दिखा रहा है। वर्ष 2012-13 के

Ladies and Gentlemen,

1. It gives me great pleasure to welcome you to the 55th Annual General Meeting of the Company.

2. The Annual Report of the Directors, together with the Accounts and Auditor's Report for the Financial Year (FY) 2012-13, has been circulated and with your permission, I shall take it as read.

3. In the aftermath of the global meltdown, Europe has shown a negative growth in 2012 and USA, a moderate growth. The global economies continued to suffer in terms of GDP growth, balance of trade, unemployment, etc. Despite the fact that international trade encountered volatile risks, world over, the ECAs have played a significant role in promoting cross border trade cautiously by supporting their clientele. Many ECAs revamped their products and introduced new products to suit the requirements of the exporters.

4. During 2012, Berne Union members have insured more than 10% of world exports. Though the level of claims continues to be low presently, it is expected to burgeon in 2013, due to higher insolvency rates in Europe and North America. ECAs, the world over, expect to encounter more difficult times ahead with the continuing stress in markets around the globe and the increased political risks in many parts of the world. However, the global crisis has sharply focused on the importance of Credit Insurance as a risk mitigation tool in cross border trade. ECAs continue to face the challenges in terms of access to credit information on overseas buyers, availability of reinsurance, pricing and related issues.

5. International trade continued to suffer in the recent past. It is expected that the US market conditions may improve during the current fiscal. However, the risk environment is expected to remain volatile in the near future due to the prevailing economic situation. The Middle East and the North African region (MENA) continue to be a concern due to political disturbances. The volume of world trade increased by 2% over the previous year, whereas as a group, the developing nations have increased their share in international trade over the last year, however, the share of developed nations continues to show a declining trend. Global trade, although projected to pick up in 2013, may continue to remain at a modest level.

6. The Export sector constitutes around 15% of India's GDP. The country's merchandise exports stood at USD 301 bn against USD 305 bn the previous year, showing a negative growth of 1.31%, in dollar terms. The sectors

दौरान अमरीकी डॉलर मूल्य के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुआ वह इंजिनियरिंग सामान, मानव निर्मित वस्त्र तथा तैयार कपड़ों का क्षेत्र था। इस वित्त वर्ष के दौरान यूरोपियन यूनियन और उत्तरी अमेरिकी निर्यात के हिस्से में क्रमशः 4% और 2% की कमी आई। वित्तीय वर्ष के दौरान एसियान देशों को होने वाले भारतीय निर्यात में लगभग 12% की गिरावट हुई जो चिंता की बात है। भारतीय व्यापारिक स्वरूप पारंपरिक बाज़ार से हटकर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की ओर मुड़ते हुए एक संरचनात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। एफटीए समझौतों के कारण भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से सामान्य हित एवं रणनीतिक लाभ होंगे। यह आशा की जा रही है कि देश गतवर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्ज करेगा ताकि 330 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

7. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने गतवर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1553 करोड़ की आय अर्जित की। कंपनी का सकल प्रीमियम वसूली गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वर्ष के लिए ₹ 1157 करोड़ रहा। आपको सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दो वर्षों के लिए प्रीमियम आय संचित वृद्धि करते हुए ₹ 272.00 करोड़ रही जो वर्ष 2010-11 के ₹ 885 करोड़ के स्तर की तुलना में 31% की वृद्धि दर्शाती है। निवेश से आय में ₹ 398 करोड़ की वृद्धि हुई जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 12.43% की वृद्धि दर्शाती है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 8.69% प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 8.85 % प्रति वर्ष रही।

8. बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान केनरा बैंक ने संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानोत्तर सुरक्षा का चयन किया तथा भारतीय स्टेट बैंक के चार सहयोगियों ने संपूर्ण पण्यावर्त के आधार पर पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर सुरक्षा का चयन किया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रीमियम आय अल्पावधि ईसीआईबी के अन्तर्गत ₹ 751.72 करोड़ हुई जो गतवर्ष से 24.91% की वृद्धि दर्शाता है।

9. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 225.21 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कर उपरान्त लाभ ₹ 243.20 करोड़ अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 60 करोड़ के लाभांश का प्रस्ताव है।

10. कंपनी नियुक्त बीमांकिक की सहायता से तथा आईआरडीए के संशोधित उत्पादों का पंजीकरण करके अपनी विभिन्न पॉलिसियों की विशेषताओं की समीक्षा कर रही है। कंपनी ने तीन स्तरीय अपील प्रक्रिया तथा उसके ऊपर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली आंतरिक एपेक्स ग्राहक शिकायत निवारक समिति द्वारा ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के उपायों को मजबूत किया है। पॉलिसी धारकों से प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए बाहरी

which suffered, in terms of the USD value of exports in 2012-13, were engineering goods, man-made textiles and readymade garments. The share of exports to the European Union and to the North America declined by 4% and 2% respectively during this fiscal. India's exports to ASEAN countries fell by nearly 12% during the financial year which is a matter of concern. The pattern of India's merchandise trade is undergoing a structural shift to Asia, Africa and Latin America, away from the traditional markets. The efforts being taken by the Government of India, by entering into FTA arrangements, are directed at common interest and logistic advantages. It is projected that the country may achieve a 10% growth in exports over the previous year, to reach the target of USD 330 bn.

7. During the FY 2012-13, the Company earned a total income of ₹ 1,555 crores, registering a growth of 14% over the previous year. The gross premium collection of the Company stood at ₹ 1,157 crores for the year registering a growth of 15.16% over the previous financial year. I am happy to inform you that the cumulative increase in premium income for the past two years was ₹ 272 crores, showing a growth of 31% over the FY 2010-11 level of ₹ 885 crores. Income from investments increased to ₹ 398 crores, showing a growth of 12.43% during the FY 2012-13, with a yield at 8.85% p.a. as compared to 8.69% p.a during the previous financial year.

8. During FY 2012-13, Canara Bank had opted for Whole Turnover Post Shipment cover and four associates of State Bank of India had opted for both Pre-shipment and Post-shipment covers, on Whole Turnover basis, under the scheme of Export Credit Insurance to Banks (ECIB). Premium income during the FY 2012-13 under Short Term ECIB was ₹ 751.72 crores, showing a growth of 24.91% over the previous year.

9. The Company posted Profit After Tax of ₹ 243.20 crores for the FY 2012-13 compared to ₹ 225.21 crores during the FY 2011-12. The dividend payout for FY 2012-13 is proposed at ₹ 60 crores.

10. The Company has been reviewing the features of its various Policies with the support of the Appointed Actuary (AA) and registering the revised products with IRDA. The Company has strengthened the customers' grievance redressal mechanism with a three stage appeal procedure, further capped with an internal Apex Customer Grievance Committee headed by the Chairman-cum-Managing Director (CMD). An Independent Review Committee comprising external experts has also been constituted to address complaints from the policy holders. The

विशेषज्ञों को शामिल करके एक स्वतंत्र समीक्षा समिति का भी गठन किया गया है। कंपनी निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति तथा पॉलिसी धारकों की सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करती है।

11. कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत के बाह्य क्षेत्र से संबंधित शीर्षक पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी.रंगराजन द्वारा प्रथम शुभारंभ दिवस पर स्मारक व्याखान आयोजित किया गया। समारोह में सरकार, बैंकिंग एवं निर्यात क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी। कंपनी ने विभिन्न निर्यात केन्द्रों पर स्मारक बैठकों का भी आयोजन किया। मेसर्स डन एण्ड ब्रॉडस्ट्रीट के साथ मिलकर कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों में निर्यातकों को 55 'निर्यात श्रेष्ठता पुरस्कार' भी वितरित किए। संयोग से यह कंपनी की 55 वीं वर्षगांठ भी थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने फरीदाबाद, तिरूपुर और हैदराबाद में नई शाखाएं खोली। तिरूपुर एवं हैदराबाद की शाखाएं विशिष्ट शाखाएं हैं। भारत सरकार ने सितम्बर 2012 में चुकता पूंजी के रूप में ईसीजीसी को ₹ 100 करोड़ प्रदान किए। कंपनी एक व्यापक खरीदार स्कोर कार्ड प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने अपने पोर्टल को अपग्रेड किया है और आईआरडीए की एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ भी लिंक स्थापित किया है। कंपनी अपने हामीदार तकनीकों तथा वसूली प्रयासों को मजबूत करने के लिए लंडन में शीघ्र ही अपना पहला समुद्रपारीय कार्यालय खोलेगी।

आभार प्रदर्शन :

12. भारत के निर्यातों को बढ़ाने हेतु अपने प्रयासों में कंपनी की सेवाएँ लेने व अपना समर्थन देने के लिए मैं हमारे सभी निर्यातकों/बैंकर ग्राहकों का आभारी हूँ। मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, हमें उचित एवं सामयिक दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। निदेशक मंडल के निदेशकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, अपने व्यक्तिगत रूप से तथा निदेशक मंडल की ओर से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा महत्वाकांक्षी संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ।

शुभ कामनाओं सहित,

एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 8 जुलाई 2013

Company holds regular meetings of the Audit Committee, Investment Committee, Risk Management Committee and Policyholders' Protection Committee of the Board of Directors.

11. During the FY 2012-13, the Company organized the first Commencement Day commemorative lecture by Dr. C. Rangarajan, Chairman of the Prime Minister's Economic Advisory Council, on a topic related to India's External Sector. The function was attended by senior dignitaries from the Government, Banking and the exporting community. The Company also organized commemorative meetings at various export centres. The Company, in association with M/s. Dun & Bradstreet, distributed 55 'Export Excellence Awards' to exporters in different categories, coinciding with the completion of 55 years of its operations. During the FY 2012-13, the Company opened three new branches at Faridabad, Tirupur and Hyderabad, the branches in latter two cities being specialised branches. The Government of India subscribed ₹ 100 crores towards the Paid-up Capital of ECGC in September, 2012. The Company is in the process of launching a comprehensive Buyer Score Card system. The Company upgraded its portal and also established a link up with the Integrated Grievance Management System of the IRDA. The Company will shortly be opening its first ever overseas office at London, with a view to strengthen its underwriting techniques and recovery efforts.

ACKNOWLEDGEMENTS

12. I am grateful to all our exporter/ banker customers for extending their support and for availing of the services of the Company, in their endeavour in enhancing India's exports. I extend my sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and Insurance Regulatory and Development Authority, for providing us with appropriate and timely guidance. I place on record the co-operation extended by the Directors on Board. I convey, on my personal behalf and on behalf of the Board of Directors, my sincere appreciation to all the employees of the Company for their commitment towards achieving the ambitious organizational goals with renewed vigour.

With warm regards,

N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2013

बीमा योग्य लाभ का सिद्धांत :

बीमा के संविदा में बीमा कराने वाले का आर्थिक लाभ होना चाहिए । बीमा कराने वाले को निर्यात सामग्रियों की प्राप्ति से तथा पॉलिसी में उल्लेखित व्याापारिक एवं राजनैतिक जोख़िमों के कारण होने वाली हानियों से लाभ होना चाहिए।

Principle of Insura

निदेशकों की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट / DIRECTORS' REPORT

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अंतर्गत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

प्रिय सदस्यगण,

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहें हैं।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने राजस्व में 15% की वृद्धि दर्ज की और इस अवधि के दौरान कंपनी का निष्पादन भी पर्याप्त रूप से मजबूत रहा । पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1,004.83 करोड़ के तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने सकल प्रीमियम ₹ 1,157.25 करोड़ अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अर्जित प्रीमियम के आंकड़े गत वर्ष ₹ 766.25 करोड़ की तुलना में सामान्य वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 796.04 करोड़ रहें।

Report of the Board of Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, under Section 217 of the Companies Act, 1956.

Dear Members,

The Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) are pleased to present the 55th Annual Report of the Company together with the audited financial statements for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2013.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The Company has registered a 15% growth in revenue during the year ended March 31, 2013 and the performance of the Company has also been reasonably sound during the period. The gross premium earned by the Company during the FY 2012-13 was ₹ 1,157.25 crores, against ₹ 1,004.83 crores during the previous year. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the figure for premium earned (Net) for the FY 2012-13, increased marginally to ₹ 796.04 crores as against ₹ 766.25 crores for the previous year.

खंडवार प्राप्त सकल प्रीमियम (₹ करोड़)
Segment-wise Gross Premium Received (₹ crores)

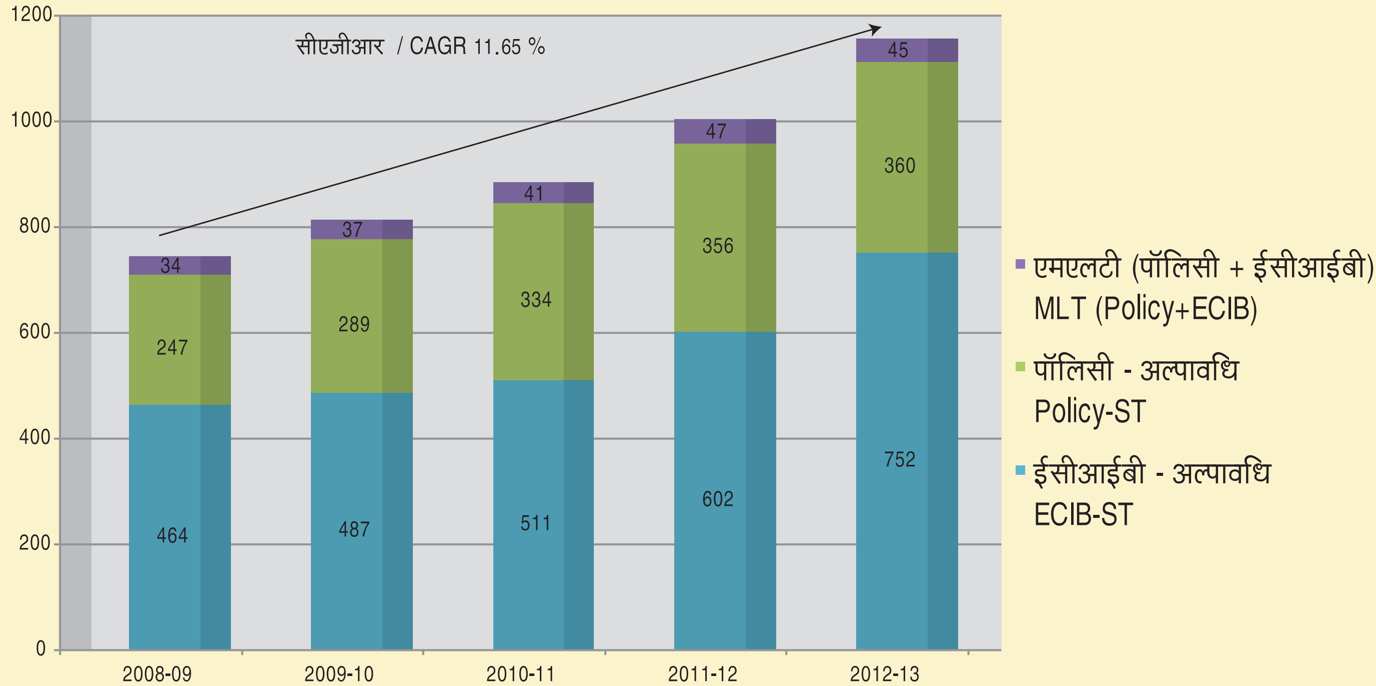

* सीएजीआर : चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, एमएलटी : मध्यम एवं दीर्घावधि, ईसीआईबी : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा, एसटी : अल्पावधि
* CAGR : Compound Annual Growth Rate; MLT : Medium and Long Term; ECIB : Export Credit Insurance for Banks; ST : Short Term

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने गत वर्ष के ₹ 713.03 करोड़ की तुलना में ₹ 548.50 करोड़ के कुल दावों का भुगतान किया गया। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 679.61 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 812.80 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया ।

During the FY 2012-13, the total claims paid by the Company amounted to ₹ 548.50 crores as against the previous year's figure of ₹ 713.03 crores. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim for the FY 2012-13 was ₹ 812.80 crores as against ₹ 679.61 crores during FY 2011-12.

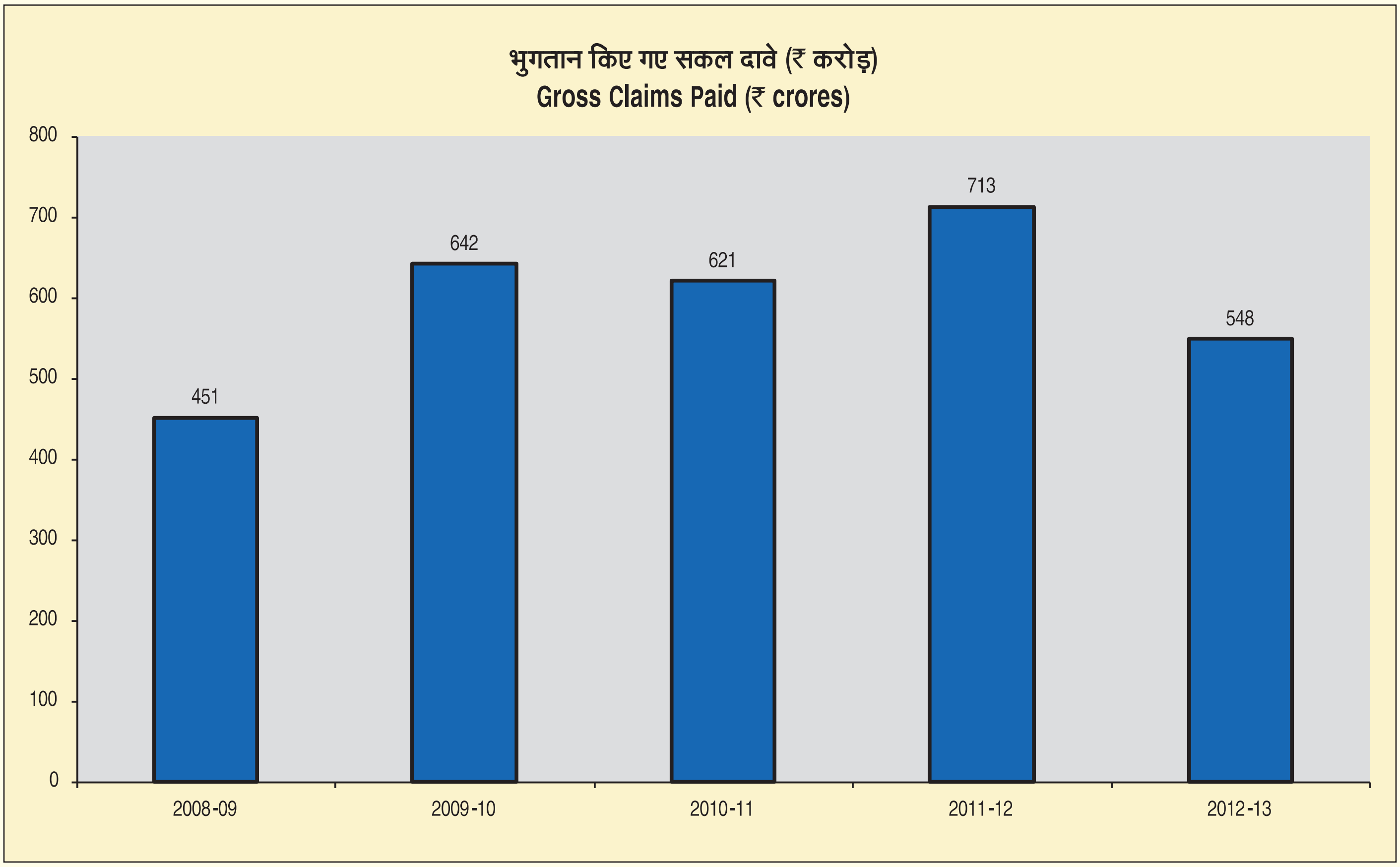

पिछले वर्ष के ₹ 359.91 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में निवेश और अन्य आय बढ़कर ₹ 410.56 करोड़ हो गई।

कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च 2012 के ₹ 2,167.75 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को ₹ 2,436.99 करोड़ हो गया।

The Investment and other income have increased to ₹ 410.56 crores in FY 2012-13 from ₹ 359.91 crores in the previous year.

The Net Worth of the Company as on March 31, 2013 was ₹ 2,436.99 crores as against ₹ 2,167.75 crores as on March 31, 2012.

लाभ और विनियोजन

पिछले वर्ष के ₹ 962.19 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रचालनों से कुल आय 6.07% से बढ़कर ₹ 1,020.62 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष के ₹ 166.95 करोड़ की प्रचालन लाभ की तुलना में कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 171.48 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के ₹ 327.73 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012 -13 में ₹ 350.14 करोड़ का कर पूर्व लाभ हुआ। वर्ष के दौरान ₹ 107.35 करोड़ के कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वर्ष के ₹ 225.21 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में विनियोजन के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पी ए टी) ₹ 242.79 करोड़ था।

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2012-13, total income from Operations grew by 6.07% to ₹ 1,020.62 crores from ₹ 962.19 crores in the previous year. During the year, the Company posted an Operating Profit of ₹ 171.48 crores compared to an Operating Profit of ₹ 166.95 crores during the previous year. During the FY 2012-13, Profit Before Tax (PBT) was ₹ 350.14 crores as against ₹ 327.73 crores in the previous year. After providing for ₹ 107.35 crores towards tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the current year was ₹ 242.79 crores as against ₹ 225.21 crores in the previous year.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निगम के व्यापार/ वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए मीडिया बैठक।
Media Meet to announce the Business/ Financial results of the Corporation for FY 2012-13

लाभांश

निदेशक मंडल प्रत्येक ₹ 100 के दस करोड़ इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 6 के पूर्ण और अंतिम लाभांश की सिफारिश करता है, जो ₹ 60 करोड़ के बराबर है। कुल लाभांश उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹ 70.19 करोड़ होगा जो ₹ 242.79 करोड़ के निवल लाभ (कर पश्चात) का 28.91% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है। पिछले वर्ष के ₹ 162.45 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित में ₹ 172.60 करोड़ की राशि अंतरित की गई।

DIVIDEND

The Board of Directors is pleased to recommend a full and final dividend of ₹ 6 per equity share on the ten crore equity shares of ₹ 100 each, which amounts to ₹ 60 crores. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, will amount to ₹ 70.19 crores, representing a pay-out ratio of 28.91% of the net profit (after tax) of ₹ 242.79 crores. An amount of ₹ 172.60 crores is transferred to the General Reserves during the year, as compared to ₹ 162.45 crores during the previous year.

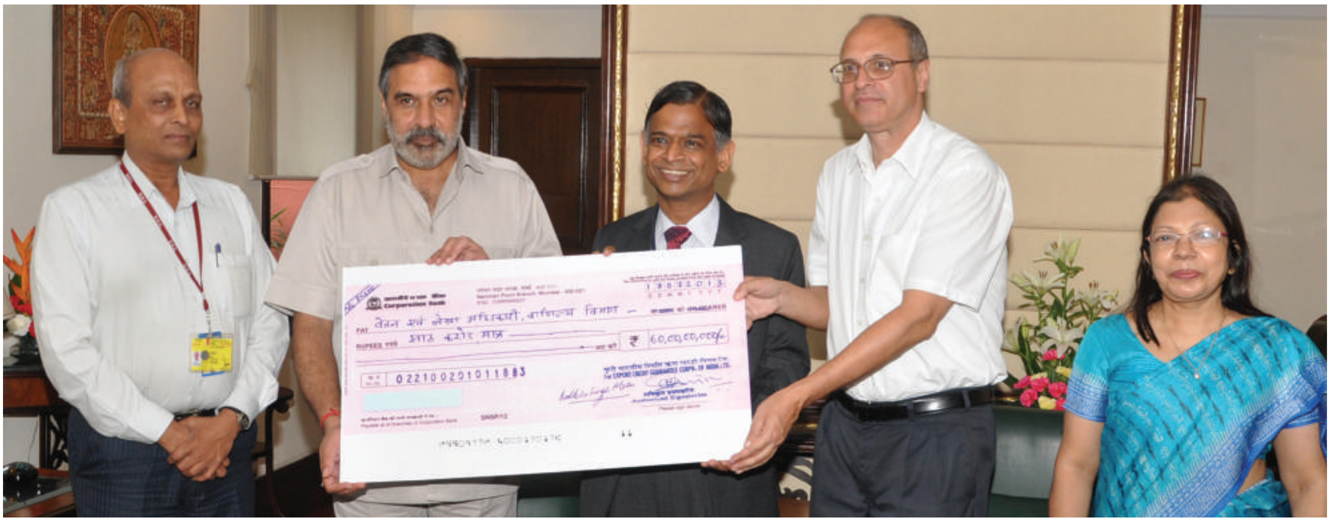

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश का चेक अ.प्र.नि. ने श्री आनंद शर्मा, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग व वस्त्र मंत्री को दिनांक 17 जुलाई 2013 को सौंपा। साथ में श्री एस.आर.राव, भा.प्र.से., वा. सचिव, श्री अरविंद मेहता, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव व श्रीमती तापसी डे, उ.म.प्र., न.दि.क्षे.का. भी उपस्थित थे।
CMD, presenting the dividend cheque for FY 2012-13 to Shri Anand Sharma, Hon'ble Minister of Commerce & Industry on 17th July, 2013. Shri S.R. Rao, IAS, CS, Shri Arvind Mehta, IAS, JS and Ms. Tapasi De, DGM, NDRO are also seen

शेयर पूंजी

कंपनी का 31 मार्च 2013 को निवल मूल्य ₹ 2,436.99 करोड़ था जिसमें ₹ 1,000 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजी में वृद्धि के माध्यम

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2013, the Company's Net Worth, comprising Paid-up Capital of ₹ 1,000 crores (including ₹ 100 crores received

से सरकार से प्राप्त ₹ 100 करोड़ सहित) की अभिदत्त पूंजी ₹ 1,417.75 करोड़ का आरक्षित और अधिशेष तथा ₹ 19.24 करोड़ का उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शामिल है।

दिवालियापन का मार्जिन

31 मार्च, 2013 को दिवालियापन अनुपात बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में वर्तमान में 9.64 गुना है, जिसका विवरण निम्नवत है :

	2013	2012
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित दिवालियापन मार्जिन (आर एस एम) (₹ करोड़)	243.84	203.88
उपलब्ध दिवालियापन मार्जिन (ए एस एम) (₹ करोड़)	2350.67	2058.36
दिवालियापन अनुपात (कुल ए एस एम/ आर एस एम) (गुना)	9.64	10.10

अधिकतम देयता

किसी भी समय कंपनी की अधिकतम देयता कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72 (ख) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। 31 मार्च, 2013 को ₹ 1,00,000 करोड़ अपरिवर्तनीय है।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन खर्च

संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन खर्च आईआरडीए के 20.01% की मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में सकल प्रीमियम आय के रूप में 12.75% (पिछले वर्ष 13.19%) रहा।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कि गई है। 31 मार्च, 2013 तक हिन्दुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड, बेंगलोर, इर्कान इण्टरनेशनल, दिल्ली, पुंज लॉयड लिमिटेड, दिल्ली जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट निर्यातकों के द्वारा इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यामांर आदि जैसे बाजारों में 14 परियोजनाओं के लिए ₹ 6223.19 करोड़ के कुल जोखिमों के लिए 29 रक्षा जारी की गई है। 31 मार्च, 2013 को ट्रस्ट के पास ₹ 1443.03 करोड़ की राशि थी जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है।

निदेशक मंडल

कंपनी 100% भारत सरकार के स्वामित्व की है। अधीक्षण की सामान्य शक्तियाँ, कार्यों के निदेश एवं प्रबंधन तथा कंपनी का कारोबार अध्यक्ष एवं

from the Government by way of fresh infusion of capital during the FY 2012-13), Reserve and Surplus of ₹ 1,417.75 crores and Fair Value Change Account of ₹ 19.24 crores, was at ₹ 2,436.99 crores.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio is, currently, 9.64 times against the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) norm of 1.5 times, as on March 31, 2013, with the break up as under:

	2013	2012
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ crores)	243.84	203.88
Available Solvency Margin (ASM) (₹ crores)	2350.67	2058.36
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	9.64	10.10

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹ 1,00,000 crores as of March 31, 2013.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDA.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the gross premium income during the FY 2012-13, is 12.75% (previous year 13.19%) against the IRDA norm of 20.01%.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term high value projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March 31, 2013, 29 covers were in force covering 14 projects of the value of ₹ 6,223.19 crores, undertaken by various project exporters, viz., Hindustan Aeronautical Limited, Bangalore, IRCON International, Delhi, Punj Lloyd Limited, Delhi, etc., in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, etc. The Trust has a corpus of ₹ 1,443.03 crores as of March 31, 2013, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल को है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा बोर्ड के सभी निदेशक गैर- कार्यपालक अंशकालिक निदेशक है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड की सभी नियुक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं।

of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director, are non-executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director, are appointed by the Government of India.

दिनांक 8 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में प्रगति पर बोर्ड की बैठक
Board meeting in progress in New Delhi on 8th July, 2013

जुलाई 2012 में शेयरधारकों को प्रस्तुत निदेशकों की पिछली रिपोर्ट के बाद की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के दो अंशकालिक निदेशक श्री वी.एस. दास, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा डॉ. आलोक शील, पूर्व संयुक्त सचिव आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी के निदेशक के दायित्वों से मुक्त हुए तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की उनकी सदस्यता की अवधि में उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन तथा उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दो अंशकालिक निदेशक श्री जी.गोपालकृष्ण, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पी.के.मिश्रा, संयुक्त निदेशक (निवेश) आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशकों के चार पद अभी भी रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न मापदंडों में कंपनी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी वर्षों से 1995-96 से 'उत्कृष्ट /बहुत

During the period after the previous Report of the Directors to the shareholders submitted in July, 2012 two part-time Directors on the Board, viz., Shri V. S. Das, the then Executive Director, Reserve Bank of India and Dr. Alok Sheel, the then Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, ceased to be Directors of the Company and the Board of Directors took on record its deep appreciation and gratitude for their valuable contribution and for the able guidance during their respective tenures as members of the Board of Directors. Two part-time Directors, viz., Shri G. Gopalakrishna, Executive Director, Reserve Bank of India and Shri P. K. Mishra, Joint Director (Investments), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, have been inducted into the Board.

As on the date of this Report, four positions of part-time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GoI)

Based on an assessment of the performance of the Company in various parameters, as per the guidelines given by Department of Public Enterprises and a Memorandum of Understanding (MoU) signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, the Company has

अच्छा' की श्रेणी अनुरक्षित कर रही है। ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी का निष्पादन 'बहुत अच्छा' दर्ज किया जाएगा।

दिनांक 18 मार्च 2013 को श्री एस. आर.राव, भा.प्र.से., वाणिज्य सचिव और श्री अरविंद मेहता, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Signing of MoU with Shri S.R.Rao, IAS, Commerce Secretary and Shri Arvind Mehta, IAS, Joint Secretary on 18th March, 2013

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संपुष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ख के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 क की अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2011-12 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लोक सभा और राज्य सभा में 12 दिसंबर 2012 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी की सेवा में पूरे वर्ष या वर्ष के किसी भाग में ऐसे कोई कार्मिक नहीं थे जिनके संबंध में कंपनी कर्मचारियों के विवरण नियम 1975 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) के अंतर्गत के प्रावधान लागू हों।

ग्राहक सेवा प्रणाली

कंपनी ने शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर विहित समय में अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। फरवरी, 2013 में निदेशक मंडल द्वारा संशोधित ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पॉलिसी के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णयों की उच्चतर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है और कई बार मामले चार स्तर तक सीमित होते हैं। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी) स्थापित की गई है, जिसमें किसी ग्राहक के शिकायत के निपटारे के लिए अपीलीय प्राधिकारी होंगे। समिति की सात बार बैठक हुई और वित्तीय वर्ष 2012 -13 के दौरान 54 मामलों को निपटाया गया। 31 मार्च 2013 तक छः मामलें लंबित थे। वित्तीय वर्ष

been maintaining a rating of ''Excellent/Very Good'' consistently over the years since 1995-96. The performance of the Company is expected to be rated ''Very Good'' for the FY 2012-13.

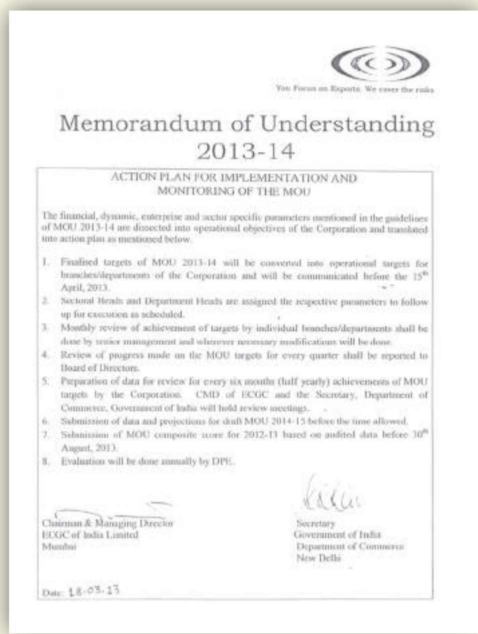

You Focus on Exports. We cover the risks

Memorandum of Understanding
2013-14

ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THE MOU

The financial, dynamic, enterprise and sector specific parameters mentioned in the guidelines of MOU 2013-14 are dissected into operational objectives of the Corporation and translated into action plan as mentioned below.

1. Finalised targets of MOU 2013-14 will be converted into operational targets for branches/departments of the Corporation and will be communicated before the 15th April, 2013.
2. Sectoral Heads and Department Heads are assigned the respective parameters to follow up for execution as scheduled.
3. Monthly review of achievement of targets by individual branches/departments shall be done by senior management and wherever necessary modifications will be done.
4. Review of progress made on the MOU targets for every quarter shall be reported to Board of Directors.
5. Preparation of data for review for every six months (half yearly) achievements of MOU targets by the Corporation. CMD of ECGC and the Secretary, Department of Commerce, Government of India will hold review meetings.
6. Submission of data and projections for draft MOU 2014-15 before the time allowed.
7. Submission of MOU composite score for 2012-13 based on audited data before 30th August, 2013.
8. Evaluation will be done annually by DPE.

Chairman & Managing Director
ECGC of India Limited
Mumbai

Secretary
Government of India
Department of Commerce
New Delhi

Date: 18-03-13

PLACING OF ANNUAL REPORTS BEFORE THE PARLIAMENT

The Ministry of Commerce & Industry has confirmed that the Annual Report of the Company for the FY 2011-12 along with the Directors' Report to the Shareholders, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 12, 2012, in compliance with the requirements under Section 619A read with Section 619B of the Companies Act, 1956.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There were no personnel in the service of the Company for the whole year or for any part of the year, the particulars in respect of whom, attracted the Provisions under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers, within the stipulated time, based on information provided by complainant. A Customer Grievance Redressal Policy, revised in the month of February, 2013, by the Board, is available on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the number of times a complaint is dealt with, has been increased to four. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the ultimate in-house appellate authority for any customer complaint in the Company. The Committee has met seven times and disposed of 54 cases during

2012-13 के दौरान तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें न्यायिक, बैंकिंग तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल किए गए ।

मुंबई में दिनांक 1 मार्च 2013 को आयोजित ग्राहक बैठक में पश्चिम क्षेत्र के निर्यातकों को सम्मानित किया गया

Exporters of Western Region were felicitated in the Customer Meet held in Mumbai on 1st March, 2013

कंपनी आईआरडीए के केन्द्रीय एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहकों के पास आईजीएमएस अथवा कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है।

इसके अलावा कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कंपनी को 250 शिकायतें मिली और 266 शिकायत आवेदन निपटाए गए व दिनांक 31 मार्च 2013 तक 50 शिकायतें लंबित थी।

ऊर्जा संरक्षण का विवरण, प्रौद्योगिकी का समामेलन

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों के प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पढ़ी जानेवाली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (इ) के अनुसरण में सूचना कंपनी के कार्य की गतिविधि के स्वरूप को देखते हुए कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन ₹ 9.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.68 करोड़) था। जबकि इसी अवधि में विदेशी मुद्रा खर्च ₹ 2.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.38 करोड़) था।

the FY 2012-13. There were six cases pending as on March 31, 2013. A three-member Independent Review Committee has also been constituted during the FY 2012-13, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance.

The Company is linked to the Centralised Integrated Grievance Management System (IGMS) of the IRDA, to which customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company's website.

In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal, viz., the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

During the FY 2012-13, the Company received 250 complaints and disposed of 266 grievance applications, with 50 complaints pending as on March 31, 2013.

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 217(e) of the Companies Act, 1956, read with Companies (Disclosure of Particulars in Report of Board of Directors) Rules, 1988 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business activity of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the year under review was ₹ 9.62 crores (previous year ₹ 8.68 crores) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹ 2.59 crores (previous year ₹ 3.38 crores).

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने वर्ष 2011-12 में आईआरडीए के अनुमोदन से परामर्श आधार पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त बीमांकिक अनुबंधित किया है। सामान्य बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक के कर्तव्य एवं दायित्व आईआरडीए (नियुक्त बीमांकिक) विनियम 2000 के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनिमय 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं।

एक अलग 'बीमांकन विभाग' का भी पिछले वर्ष गठन किया गया जो आईबीएनआर/ आईबीएनईआर, आस्ति दायित्व प्रबंधन, अपेक्षित दावा मूल्य अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट तथा आर्थिक पूंजी गणना तैयार करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है। नियुक्त बीमांकिकों द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं संपत्ति से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के कुल जोखिम प्रबंधन नीति में योगदान मिला।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी की लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसमें समसामयिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा एवं संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालन के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ ही संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों और प्रेक्षणों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

मेसर्स एम.बी.अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई और मेसर्स पी.एम.दलवी एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रधान कार्यालय के लेखों और समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और टिप्पणियों एवं प्रेक्षणों पर विस्तृत स्पष्टीकरण और व्याख्या लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखा पर टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड 1 ने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को 'नहीं' टिप्पणियों का प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रमाण-पत्र की एक प्रति लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है।

कंपनी शासन

कंपनी सभी सांविधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है तथा सघन निगम शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन भी करती है। विस्तृत निगम शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

APPOINTED ACTUARY

The Company engaged an Appointed Actuary (AA), in 2011-12, on consulting basis, with due approval of the IRDA, for a period of three years. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDA (Appointed Actuary) Regulations 2000.

A separate 'Actuarial Department' has also been set up in the previous year, which provided support to the AA in preparing Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Report and Economic Capital computation. The reports and observations of the AA contributed towards overall risk management strategies of the Company for the FY 2012-13.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an Audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors' Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The Audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors.

M/s M. B. Agrawal & Co., Chartered Accountants, Mumbai and M/s P. M. Dalvi & Co., Chartered Accountants, Mumbai, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2012-13. The Report of the Auditors to Shareholders and detailed explanation and clarification to the comments thereon, are appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

In pursuance of Section 619(4) of the Companies Act, 1956, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-1 has, on behalf of the CAG, issued a certificate of 'NIL' comments on the Company for the year ended March 31, 2013. A copy of the certificate is appended to the Audited Financial Statements.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the statutory and regulatory requirements and also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Annual Report.

निदेशक उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन देते हैं और संपुष्ट करते हैं कि -

(क) कंपनी ने वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलन से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ, यदि कोई हों के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों को अपनाया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो युक्तिसंगत और उपयुक्त हों ताकि 31 मार्च 2013 को कंपनी के कारोबार की स्थिति की सही तस्वीर और 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड अनुरक्षित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है; और कि

(घ) निदेशकों ने सतत सरोकार आधार पर 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लेखे तैयार किए हैं।

आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और भारतीय रिज़र्व बैंक को कंपनी को उनके सतत समर्थन और मार्गदर्शन तथा कंपनी के कारोबार तथा वृद्धि में दिखाई गई स्पष्ट रूचि के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक निर्यातकों एवं बैंकों के प्रति कंपनी में सतत विश्वास रखने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य और व्यापार संगठनों के मंडलों से प्राप्त प्रतिक्रिया और सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक, लेखा परीक्षकों से समय- समय पर बहुमूल्य सलाह और सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हार्दिक प्रशंसा करते हैं जिन्होंने कंपनी को अपने व्यावसायिक प्रचालनों में बाजार का नेतृत्व अनुरक्षित करने के लिए कंपनी को समर्थ बनाने में अपना उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एन.शंकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 8 जुलाई, 2013

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that -

(a) The Company has, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013 and of the profit of the Company for the year ended March 31, 2013;

(c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities; and that

(d) The Directors have prepared the accounts for the Current Financial Year ended March 31, 2013 on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Comptroller and Auditor General of India and Reserve Bank of India, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters and Banks for the continued trust reposed in the Company. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce and Trade Organisations. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Date: 8th July, 2013

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत :

बीमाकर्ता द्वारा राजनैतिक एवं व्यापारिक जोख़िमों के कारण होने वाली अप्रत्याशित वित्तीय हानियों के विरूद्ध सुरक्षा प्रधान करने के लिए ऋण बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव किया जाता है। क्षतिपूर्ति वास्तविक हानि से अधिक नहीं की जा सकती। आगे, पॉलिसी में उल्लेखित हानियों के आधार पर तथा पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा कराने वाले को हुई हानि के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाती है।

Principle of Indemnity :

A credit insurance policy is offered by the insurer for giving protection against unpredicted financial losses arising due to political and commercial risks. The compensation cannot be more than the actual loss. Further, the compensation paid will be on account of the losses specified in the policy and incurred by the insured during the policy period.

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण / MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

यूरोपीय संकट का प्रभाव पूरे वर्ष 2012 के दौरान बना रहा। विश्व व्यापार का विकास वर्ष 2011 में 5.2% से वर्ष 2012 में 2% तक गिरा तथा चूँकि, यूरोपीय देशों में आर्थिक मंदी के वैश्विक मांग के अभाव में बने रहने के कारण वर्ष 2013 में भी मंदी जारी रहने की आशंका है। वर्ष 2012 में व्यापार की मंदी के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास को धीमा किया और यूरो के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छाए रहे।

वैश्विक व्यापार प्रवाह में विकास मुख्यतः उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर यूरोपियन यूनियन (विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक खंड) में चल रही कमजोरियों तथा चीन, भारत तथा ब्राजील सहित बृहद् विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण होती है।

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The effect of the European crisis persisted throughout the year 2012. World trade growth fell to 2% in 2012, from 5.2% in 2011 and is expected to remain sluggish in 2013, as the economic slowdown in Europe continues to suppress global demand. The deceleration of trade in 2012 is attributed to the slow growth in developed economies and to the recurring bouts of uncertainty over the future of the Euro.

Developments in global trade flows were driven mainly by ongoing weakness in the high-income economies, particularly the European Union (the world's largest trading bloc) and by a slowdown in some of the larger developing economies including China, India and Brazil.

श्री आनंद शर्मा, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्रमंत्री द्वारा दिनांक 14 मार्च 2013 को अंधेरी, मुंबई में ईसीजीसी के प्रस्तावित कारपोरेट कार्यालय एवं आवासीय इमारत की आधारशिला रखी गयी।
Shri Anand Sharma, Hon'ble Minister for Commerce & Industry and Textiles laid Foundation Stone for ECGC's proposed Corporate Office and Residential Buildings at Andheri, Mumbai on 14th March, 2013

वर्ष 2012 में विश्व व्यापारिक निर्यातों के अमरीकी डॉलर मूल्य में 18.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर में मात्र 0.2% की वृद्धि हुई है। मात्रात्मक रूप में व्यापार की तुलना में विश्व व्यापार के अमरीकी डॉलर में धीमी वृद्धि मुख्यतः व्यापारिक सामग्रियों के गिरते मूल्य के कारण है। आईएमएफ सामग्री मूल्य सांख्यिकी के अनुसार मूल्यों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली सामग्रियां कॉफी (-22%) कपास (-42%) कच्चा लोहा (-23%) तथा कोयला (-21%) थी।

सारे देशों तथा क्षेत्रों की विकास दरों में मजबूत अंतरों के साथ विश्व व्यापारिक सेवा निर्यातों के मूल्य वर्ष 2012 में मात्र 2% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रहा। अमेरिका ने व्यापारिक सेवाओं के निर्यातों में 4% की वृद्धि दर्ज की जबकि जर्मनी में 2% और फ्रांस में 7% की गिरावट दर्ज की गई। आयात में विभिन्न यूरोपीय देशों ने तेज गिरावट दर्ज की जिसमें इटली (-8%), फ्रांस (-10%), पुर्तगाल (-16%), तथा ग्रीस (-18%) शामिल है।

In 2012, the dollar value of world merchandise exports increased by only 0.2% to USD 18.3 trillion. The slower growth in the dollar value of world trade compared to trade in volume terms was mainly due to falling prices for traded goods. Some of the biggest price declines were recorded for commodities such as coffee (-22 %), cotton (-42%), iron ore (-23%) and coal (-21%), according to the IMF commodity price statistics.

The value of world commercial services exports rose by just 2% in 2012 to USD 4.3 trillion, with strong differences in growth rates across countries and regions. The US saw its exports of commercial services climb 4% while those of Germany dropped by 2% and France's tumbled by 7%. On the import side, several European countries recorded sharp declines, including Italy (-8%), France (-10%), Portugal (-16%) and Greece (-18%).

अमेरिका में व्यापार में 2.3% की वृद्धि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की पूरे वर्ष 2012 के दौरान 1.2% की दर से विकास से लगभग दोगुनी है । वर्ष के दौरान जापान की विकास दर 1.9% के औसत से अधिक थी किन्तु यूरोप की वृद्धि शून्य (-0.3%) रही ।

विकासशील देशों तथा राष्ट्र मंडल स्वतंत्र देशों (सीआईएस) ने वर्ष 2012 में अपने परिणामों में 4.7% की वृद्धि की जिसमें अफ्रीका ने किसी भी देश अथवा क्षेत्र के 9.3% की दर से तीव्रतम वृद्धि दर्ज की। चीन 7.8% की दर से बहुत पीछे नहीं रहा, जबकि भारत ने 5.2% की वृद्धि की। तथापि, हांगकांग (चीन), कोरिया गणतंत्र, सिंगापुर और चीनी ताईपेई के नए औद्योगीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने केवल 1.8% की वृद्धि दर्ज की जबकि मंदी के कारण यूरोपियन मांगों ने उनके निर्यातों को प्रभावित किया।

अफ्रीका के बाद सबसे तेज गति से बढ़ने वाला क्षेत्र एशिया रहा (3.8%) उसके बाद सीआईएस (3.7%) मध्य पूर्व (3.3%) दक्षिण एवं मध्य अमेरिका (2.6%) उत्तरी अमेरिका (2.3%) एवं यूरोप (-0.1%) रहे।

The 2.3% growth in trade in the US was nearly double the 1.2% rate for developed economies as a whole in 2012. Japan's growth increase for the year was also above the average at 1.9%, but the EU's growth dipped below zero at (-0.3%).

Developing countries and the Commonwealth of Independent States (CIS) collectively raised their output by 4.7% in 2012, with Africa recording the fastest growth of any country or region at 9.3%. China was not far behind at 7.8%, while India recorded a 5.2% increase. However, the newly industrialized Asian economies of Hong Kong (China), the Republic of Korea, Singapore and Chinese Taipei registered only a 1.8% increase as slumping European demand impacted their exports.

The fastest growing region after Africa was Asia (3.8%), followed by the CIS (3.7%), the Middle East (3.3%), South and Central America (2.6%), North America (2.3%) and Europe (-0.1%).

मार्च 2013 में बर्लिन, जर्मनी में निर्यात वित्त पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कार्यपालक निदेशक का पैनल में सहभाग

Executive Director participated in a panel discussion during the International Workshop on Export Finance held at Berlin, Germany in March, 2013

परिदृश्य

यद्यपि वित्तीय समेकन, बैंकिंग सेक्टर के पुनर्निर्माण तथा उच्च बेरोजगारी के कारण अमेरिका एवं यूरो क्षेत्र के विकास के प्रभावित रहने के कारण विश्व परिणाम के कमजोर रहने की आशंका है परन्तु वर्ष 2013 के दौरान यह धीरे-धीरे मजबूत होंगे। विकासशील देशों में भी विकास के सामान्य रहने की आशा है। लगातार उत्पादकता अंतर तथा पॉलिसी सुधारों के कारण विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार के अपने हिस्से में वृद्धि करने की आशा है। यूरो क्षेत्र का तनाव, अमेरिका में वित्तीय उतार-चढ़ाव तथा चीन के विकास में तेजी से गिरावट कुछ ऐसे जोखिम हैं जो आने वाले महीनों एवं वर्षों में व्यापार को पटरी से उतार सकते हैं।

भारत का निर्यात

यूरोपियन आर्थिक संकट ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत के विकास को भी प्रभावित किया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत का निर्यात 1.31% से कम हुआ और वित्तीय वर्ष 2011-12 के 305 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 301 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान भारतीय आयात 0.40% से बढ़ा और 491 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया परिणाम स्वरूप व्यापारिक घाटा 191 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ ।

OUTLOOK

Global output is expected to remain weak, but gradually firm up during 2013, with the US and the Euro Area growth still hampered by fiscal consolidation, banking-sector restructuring and high unemployment. Growth in developing countries is also expected to be moderate. Continued productivity differentials and policy reforms are projected to permit developing countries to continue increasing their share of global trade. The Euro Area tensions, the fiscal cliff in the US and a sharp decline in China's growth are among the risks that could derail trade in the months and years to come.

INDIA'S EXPORTS

The European economic crisis also affected India's growth during FY 2012-13. During FY 2012-13, India's exports declined by 1.31% to reach USD 301 bn in comparison to USD 305 bn during FY 2011-12. During the same period, Indian imports rose by 0.40% to reach USD 491 bn, resulting in a trade deficit of USD 191 bn.

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में प्रचलित 13,005 पॉलिसियों की तुलना में अल्पावधि (एसटी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की (अंतरण गारंटी सहित) कुल संख्या 11,720 थी। शिपमेंट व्यापक जोखिम (एससीआर) पॉलिसियों ने गत वर्ष के दौरान 66% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 65% का बड़ा शेयर जारी रखा। अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹ 1,19,621.31 करोड़ की तुलना में 5.42% की वृद्धि दर से संपूर्ण पण्यावर्त सुरक्षा ₹ 1,26,100.41 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 355.90 करोड़ की तुलना में ₹ 360.62 करोड़ की प्रीमियम आय अर्जित की, जो 1.33% की वृद्धि दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के ₹ 86.86 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹ 113.42 करोड़ के कुल दावों का भुगतान किया तथा इसी अवधि के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अन्तर्गत गत वर्ष के ₹ 6.96 की तुलना में ₹ 7.43 करोड़ की वसूली राशि प्राप्त हुई।

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

Total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies in force (including transfer guarantees) at the end of FY 2012-13 were 11,720 as against 13,005 at the end of FY 2011-12. The Shipment Comprehensive Risks (SCR) Policies continued to hold the largest share at 65% in policies in force during the FY 2012-13 as compared to 66% during the previous year. Total business covered under ST Policies was ₹ 1,26,100.41 crores as against ₹ 1,19,621.31 crores during the previous year, notching up a growth rate of 5.42%. The premium income earned under ST Policies during FY 2012-13 was ₹ 360.62 crores as compared to ₹ 355.90 crores during the FY 2011-12, showing a growth of 1.33%. Total claims paid under ST Policies during the FY 2012-13 was ₹ 113.42 crores as compared to ₹ 86.86 crores during FY 2011-12 and the recovery amount received under ST Policies for the same period was ₹ 7.43 crores as against ₹ 6.96 crores during the previous year.

अल्पावधि रक्षा के अंतर्गत खंड वार जोखिम मूल्य (₹ करोड़)
Segment-wise Risk Value under Short Term (ST) Cover (₹ crores)

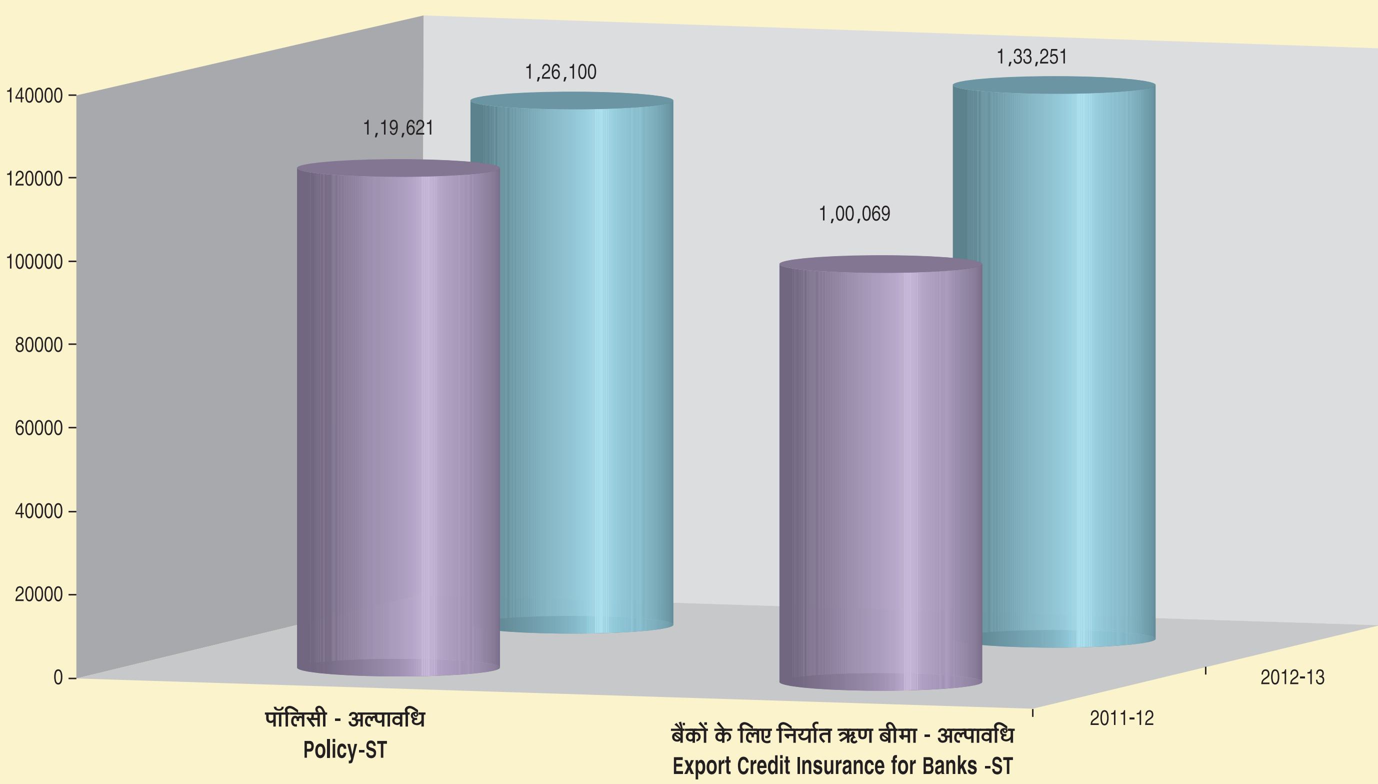

ग्राहक विशिष्ट सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,111.30 करोड़ के कुल ऋण जोखिम राशि के साथ 45 ग्राहक विशिष्ट सुरक्षा (सीएससी) पॉलिसियां जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान गतवर्ष के ₹ 20.35 की तुलना में ₹ 14.59 करोड़ का प्रीमियम आय अर्जित की तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय वर्ष 2011-12 के ₹ 5.72 करोड़ की तुलना में ₹ 3.92 करोड़ के कुल दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी सुरक्षा)

वर्ष के लिए ₹ 751.80 करोड़ (₹ 601.84 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया जो गतवर्ष से 24.92% की वृद्धि दर्शाता है। यह सभी सेक्टरों से वर्ष के लिए कुल प्रीमियम का 65% है। वर्ष के दौरान ईसीआईबी के अन्तर्गत बैंकों को भुगतान किए गए दावों का मूल्य ₹ 396.61 करोड़ था (₹ 625.99 करोड़) जो गत वर्ष के आंकड़ों से 36.64% कम था। वर्ष के दौरान ₹ 104.71 करोड़ की वसूली की गई (₹ 152.60 करोड़) जो 31.38% कम थी। यह ईसीआईबी सुरक्षा के अन्तर्गत निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की गई हानियों के संबंध में खातों के समक्ष निर्यातकों से वसूल की गई राशि में निगम का हिस्सा है। जारी किए गए विभिन्न ईसीआईबी सुरक्षा के अन्तर्गत निगम द्वारा सुरक्षा प्रदान किए गए कुल जोखिम मूल्य को संपूर्ण पण्यावर्त (सं.प.) सुरक्षा के लिए औसत दैनिक उत्पाद के रूप में लिया गया तथा बैंकों द्वारा ईसीजीसी को रिपोर्ट की गई निजी सुरक्षा के अन्तर्गत उच्चतम बकाया राशि ₹ 1,33,250.78 करोड़ (₹ 1,20,118.65 करोड़) था जो गतवर्ष से 10.93% अधिक था।

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

During FY 2012-13, 45 Customer Specific Cover (CSC) policies were issued, with an aggregate exposure amount of ₹ 1,111.30 crores. Premium income earned during the FY 2012-13 was ₹ 14.59 crores as against ₹ 20.35 crores during the previous year and total claims paid in the FY 2012-13 was ₹ 3.92 crores as compared to ₹ 5.72 crores during the FY 2011-12.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB COVERS)

The premium earned for the year was ₹ 751.80 crores (₹ 601.84 crores), registering a growth of 24.92%, over the previous year. This accounted for 65% of the aggregate premium for the year from all sectors. The value of claims paid to banks under ECIB during the year was ₹ 396.61 crores (₹ 625.99 crores), lower by 36.64%, over the figure for the previous year. An amount of ₹ 104.71 crores was recovered (₹ 152.60 crores) during the year, lower by 31.38%, being the Corporation's share in the amounts recovered from exporters against accounts in respect of which losses had been indemnified by the Corporation under the ECIB covers. The total Risk Value covered by the Corporation, under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Product for Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding under Individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹ 1,33,250.78 crores (₹ 1,20,118.65 crores), higher by 10.93%, over the previous year.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान रक्षित जोखिम मूल्य (₹ करोड़)
Value of Risk Covered during FY 2012-13 (₹ crores)

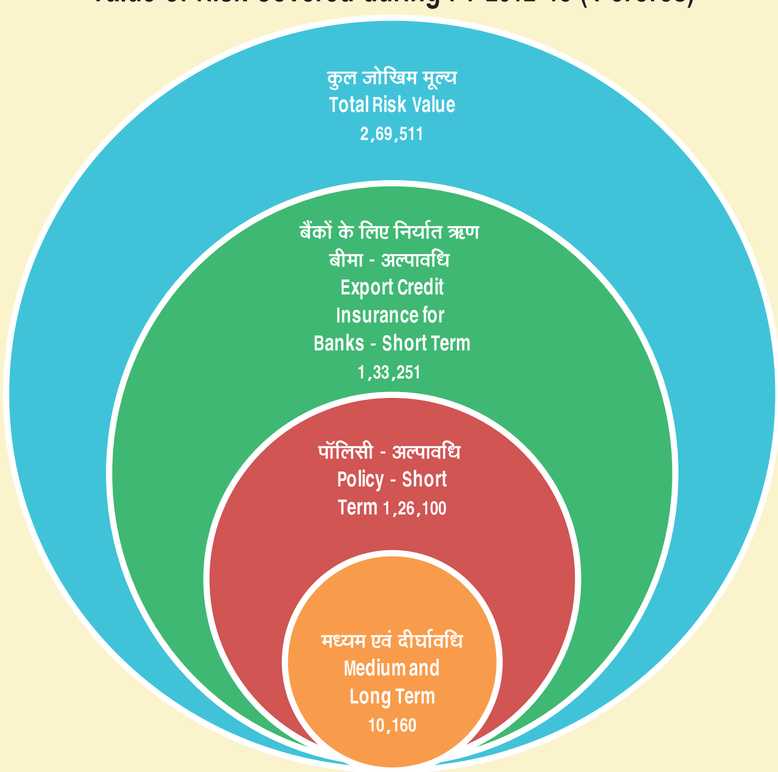

वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर को अक्तूबर 2012 से पोतलदानपूर्व एवं पोतलदानोत्तर दोनों के अन्तर्गत सं.प. सुरक्षा जारी की गई थी जिसके दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को निगम के सं.प.-ईसीआईबी सुरक्षा की परिधि में लाया गया। रत्न, आभूषण और हीरों तथा लौह-अयस्क जैसे उच्च दावा अनुपात अथवा उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के ऋण जोखिमों को हामीदारी उपायों के दृष्टिकोण से करीब से मानीटर एवं नियंत्रित किया गया।

नोट : [इस भाग में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गतवर्ष के आकड़े है।]

During the year, WT covers, under both Pre-shipment and Post-shipment, were issued to State Bank of Bikaner and Jaipur and State Bank of Travancore, effective October, 2012, thereby bringing all public sector banks under the ambit of the Corporation's WT-ECIB covers. Exposure to sectors with high claim ratios or higher risk such as Gem, Jewellery & Diamonds and Iron Ore, was closely monitored and controlled through underwriting interventions.

Note : [Figures within parenthesis in this section denote the corresponding figures for the previous year.]

दिनांक 18 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में अ.प्र.नि. द्वारा केनरा बैंक के अधिकारियों को दावा चेक सौंपा गया।
A Claim cheque being handed over to Canara Bank officials in New Delhi by CMD on 18th February, 2013

मध्यम एवं दीर्घावधि व्यापार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मध्यम एवं दीर्घ अवधि (एमएलटी) व्यापार से गतवर्ष के ₹ 47.12 करोड़ के तुलना में ₹ 44.85 करोड़ की प्रीमियम आय हुई। जबकि पॉलिसियों के अन्तर्गत किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ईसीआईबी के अन्तर्गत ₹ 38.19 करोड़ के चार दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान गतवर्ष में भुगतान किए गए दावों के संबंध में ईसीआईबी के अन्तर्गत ₹ 1.41 करोड़ की वसूली की गई। कंपनी ने एनईआईए के साथ जोखिम बांटने के आधार पर थाइलैंड, इराक और श्रीलंका में प्रत्येक देश में एक-एक करके तीन प्रोजेक्ट को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निगम में जिन पाँच देशों में प्रमुख व्यापार स्वीकार किया है वे है इराक, मलेशिया, श्रीलंका, केन्या और कतार।

वर्ष 2012-13 के दौरान उनके द्वारा लिए गए विभिन्न प्रोजेक्टों पर राजनैतिक/ व्यापक जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करते हुए एमएलटी प्रोजेक्ट निर्यातकों को 31 ऋण बीमा पॉलिसियाँ जारी की गई। मार्ग, रेलवे, जल-आपूर्ति, हाइड्रोपावर आपूर्ति, दूरसंचार तथा चीनी मिल इत्यादि की स्थापना सहित

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2012-13 stood at ₹ 44.85 crores as against ₹ 47.12 crores in the previous year. While there were no claim payments under Policies, four claims worth ₹ 38.19 crores were paid under ECIB during the FY 2012-13. During the FY 2012-13, an amount of ₹ 1.41 crores was recovered under ECIB on account of claims paid in the previous year. The Company has arranged to cover three projects, one each in Thailand, Iraq and Sri Lanka, on a risk sharing basis with NEIA. The top five countries in which the Corporation has underwritten major business during the FY 2012-13 are Iraq, Malaysia, Sri Lanka, Kenya and Qatar.

During the FY 2012-13, 31 Credit Insurance policies were issued to MLT project exporters, covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were infrastructure including roads, railways, water supply, hydro power supply, telecommunication and setting up of Sugar

ढांचागत प्रमुख क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अन्तर्गत प्रदान किए गए सुरक्षा की संख्या गत वर्ष के 243 से घटकर 195 हो गई। वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने श्रीलंका एवं बांग्लादेश में उनके निवेशों के लिए निर्यातकों को जारी दो विदेशी निवेश बीमा सुरक्षा का नवीनीकरण किया है।

Mills, etc. The number of covers under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) during the FY 2012-13 has gone down to 195 from 243 in the previous year. During the Financial Year, the Corporation has renewed two Overseas Investment Insurance covers issued to exporters for their investments in Sri Lanka and Bangladesh.

2012-13 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि पॉलिसियों के अंतर्गत देशवार रक्षित जोखिम मूल्य (₹ करोड)
Country-wise Risk Value Covered under Medium and Long Term Policies 2012-13 (₹ crores)

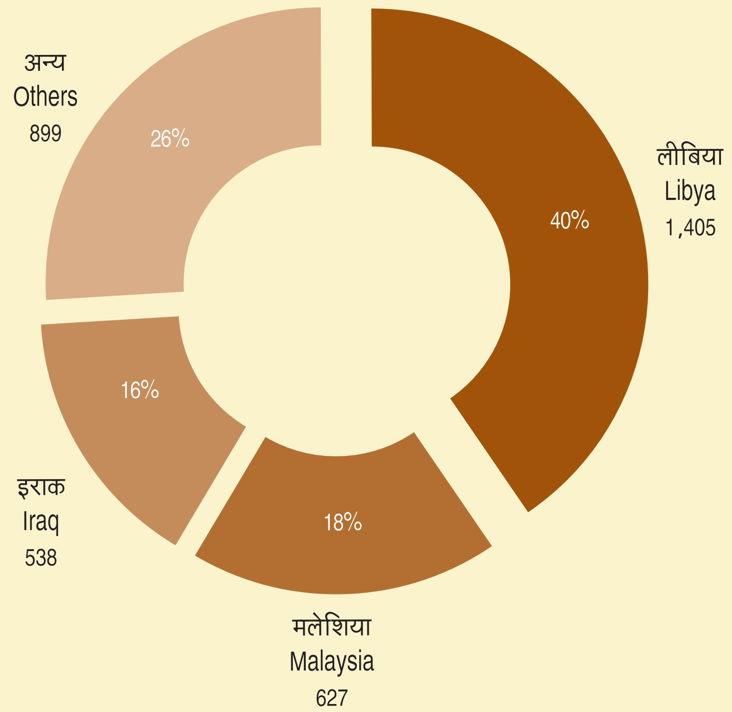

खरीदार ऋण सुरक्षा

एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल कर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अन्तर्गत 'खरीदार ऋण' जैसे नए उत्पाद को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य कुछ विकासशील देशों में प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देना तथा आस्थगित भुगतान शर्तों पर बाजार को पूँजी सामग्री उपलब्ध कराना था। प्रोजेक्ट निर्यातकों ने योजना में बहुत अधिक रूचि दिखाई और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 20 निर्यातकों से 30 देशों में प्रोजेक्टों के लिए लगभग 65 आवेदन प्राप्त किए। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अंतिम रूप दिए गए दो खरीदारों के ऋण प्रस्तावों को श्रीलंका एवं जांबिया ने प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सुरक्षा में परिवर्तित किए गए 145.92 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए खरीदार ऋण सुरक्षा जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ट्रस्ट में ₹ 1,399.60 करोड़ के लिए कांगों में एक प्रोजेक्ट के लिए एक पॉलिसी प्रस्ताव स्वीकृत किया है तथा एनईआईए के अन्तर्गत सूडान में प्रोजेक्ट के लिए ₹ 61 करोड़ हेतु दो ईसीआईबी - उचित निष्पादन प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की। इन सुरक्षाओं को अभी जारी किया जाना है।

BUYERS' CREDIT COVER

The Company, in association with Exim Bank of India, introduced in the FY 2010-11, a new product viz, 'Buyers' Credit' cover under the National Export Insurance Account (NEIA), a Trust set up by the Government of India, with a view to promoting project exports to certain developing countries and capital goods to focus markets, on deferred payment terms. Project exporters evinced keen interest in the scheme and the Company received about 65 enquires for projects in 30 countries from 20 exporters during the FY 2012-13. Two Buyers' Credit proposals, which were finalized during the FY 2011-12, have been converted into covers during the FY 2012-13 for projects in Sri Lanka and Zambia. A proposal for issue of Buyers' Credit cover for USD 145.92 mn is in the pipeline. The Trust has also approved one policy proposal for a project in Congo for ₹ 1,399.60 crores and two ECIB-Due Performance proposals for ₹ 61 crores for a project in Sudan, under NEIA. These covers are yet to be issued.

दिनांक 24 अगस्त 2012 को बैंक कारोबार शाखा, बेंगलूर द्वारा बैंकर्स बैठक आयोजित की गई।
A Bankers' meet was organised by Bank Business Branch, Bangalore on 24th August, 2012

निवेश

31 मार्च 2013 को अनिवार्य क्षेत्रों (जिसमें केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, हाऊसिंग सेक्टर) में कंपनी का निवेश ₹ 3,029.30 करोड़ रहा जो नियामक शर्तों के अनुसार न्यूनतम 45% की तुलना में कुल निवेश का 60.18% (गतवर्ष 59.11%) रहा। 31 मार्च 2012 को ₹ 4,268.51 करोड़ के कंपनी के निवेश को 31 मार्च,2013 को ₹ 5,033.90 करोड़ तक बढ़ाया गया जो गतवर्ष से 17.93% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 353.60 करोड़ की निवेश आय में 12.55% की वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 397.98 करोड़ की निवेश आय प्राप्त की गई। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए गतवर्ष की 8.69% की तुलना में 8.85% आय रही। कंपनी का प्रयास दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखना था।

खरीदार हामीदारी

यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी अमेरिकन बाजारों में जारी मंदी से उभरते हुए बाजार में मंदी की दोहरी मार ने कंपनी के व्यापार एवं जोखिम के दृष्टीकोण को प्रभावित किया है। कंपनी को उचित हामीदारी नीति अपनानी थी ताकि कंपनी को निर्यात में वृद्धि को जारी रखते हुए यह भी सुनिश्चित करना है कि हानि अनुपात उचित सीमा के भीतर रहे। कंपनी ने सतत अपने बड़े ऋण जोखिमों का मानिटरिंग किया।

खरीदारों की रेटिंग तथा कुल सीमा निर्धारित करने के लिए नए खरीदार स्कोर कार्ड सिस्टम के अन्तर्गत खरीदारों का मूल्यांकन चार मानदंडों के आधार पर किया जाता है जैसे व्यापार योग्यता, संपादन व्यवहार, वित्तीय एवं उद्योग रूपरेखा। पूर्व निर्धारित भारों को इन प्रत्येक मानदंडों पर रखा

INVESTMENTS

The Company's investments as on 31st March, 2013 in mandatory instruments, (which include Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved Securities, Housing Sector/Infra Sector bonds) stood at ₹ 3,029.30 crores, representing 60.18% (previous year 59.11%) of the total investments, as against a minimum of 45% as per the regulatory norms. The Company's investment portfolio has expanded from ₹ 4,268.51 crores as at 31st March, 2012 to ₹ 5,033.90 crores as at 31st March, 2013, registering a growth of 17.93% over the previous year. The investment income registered a growth of 12.55% from ₹ 353.60 crores for the FY 2011-12 to ₹ 397.98 crores for the FY 2012-13. The yield for the year ended 31st March, 2013 was 8.85% p.a. as against 8.69% p.a. for the previous year. The Company's endeavour was to strike a balance between risk and return after taking into account the need to maintain adequate liquidity to meet claim payments.

BUYER UNDERWRITING

The continued slowdown in the European zone, the North American market, coupled with the spillover of the slow down to the emerging markets, impacted the business and risk profile of the Company. The Company had to adopt a judicious underwriting policy, so that while the Company continued to promote exports, it also ensured that the loss ratios remained within reasonable boundaries. The Company continuously monitored its large exposures.

Under the new Buyer Score Card system for rating of buyers and determining of Overall Limits, the buyers are evaluated on the basis of four sets of parameters viz., Business Ability, Transactional Behaviour, Financials and Industry Outlook.

जाता है। व्यापार योग्यता में विशेषकर खरीदार पर गैर वित्तीय सूचना से संबंधित अनेक कारक है। लेनदेन व्यवहार में खरीदार के साथ ईसीजीसी का अनुभव आता है। खरीदार की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण अनुपात, अल्तमान जेड स्कोर एवं विकास की प्रवृत्ति शामिल है। उद्योग एवं देश की रूप रेखा जिसमें खरीदार को रखा गया है, का भी मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त के आधार पर खरीदार को सात प्वाइंट स्केल पर वर्गीकृत किया जाता है और तदोपरान्त कंपनी अधिकतम ऋण जोखिम का निर्णय लेती है कि यह खरीदार पर स्वीकार्य है। मुख्य चुनौती आज की परिस्थिति में सूचना में रिक्तियों को भरना है क्योंकि एजेंसियां गहन सूचना देने में समर्थ नहीं होती। विशेषकर कंपनी द्वारा मांगी गई खरीदारों पर अद्यतन वित्तीय सूचना नहीं दी जाती। एजेन्सियों से खरीदारों पर सूचना प्राप्त करने के समय में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि स्कोर कार्ड अपेक्षित परिणाम दे सके। कंपनी ने हामीदारी के विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी हामीदारी अन्य ईसीए द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय उपायों के अनुरूप हैं।

गतवर्ष में प्राप्त 37,056 ऋण सीमा आवेदन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 35,728 ऋण सीमा आवेदन प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान विदेशी खरीदारों पर कुल सीमा निर्धारित करके कंपनी द्वारा गतवर्ष में ₹ 28,252 करोड के विरूद्ध ₹ 26,862 करोड़ के कुल ऋण जोखिमों की हामीदारी की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के डाटाबेस में गतवर्ष में 16,814 की तुलना में 16,127 नए खरीदार जुड़े।

Pre-determined weights have been assigned to each of these parameters. Business Ability has a number of factors essentially relating to the non-financial information on the buyer. Transactional Behaviour records ECGC's experience with the buyer. The financials of the buyer include important ratios, Altman Z Score and trends in growth. The outlook of the industry and country in which the buyer is placed is also evaluated. On the basis of the above, buyers are classified on a seven point scale and thereafter, the Company decides the maximum exposure that it considers acceptable on the buyer. The main challenge is to fill the gaps in information that exist today because agencies are not able to supply indepth information, especially updated financial information on buyers, as sought by the Company. The turnaround time to receive information on buyers, from the agency also needs to be improved, so that the score card initiative delivers the desired results for which it has been designed. The Company is taking steps in various areas of underwriting, so as to ensure that its underwriting, is on par with the international best practices followed by other ECAs.

The number of Credit Limit applications received in FY 2012-13 was 35,728 as against 37,056 in the previous year. During the FY 2012-13, the aggregate exposure underwritten by the Company, by fixing Overall Limits on foreign buyers, was ₹ 26,862 crores as against ₹ 28,252 crores in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2012-13 was 16,127 as against 16,814 in the previous year.

वित्तीय वर्ष 2012- 13 के लिए अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत प्रमुख देशवार प्रदत्त सकल दावों का मूल्य (₹ करोड़)

Major Country-wise Value of Gross Claims Paid under Short Term Policies for FY 2012-13 (₹ crores)

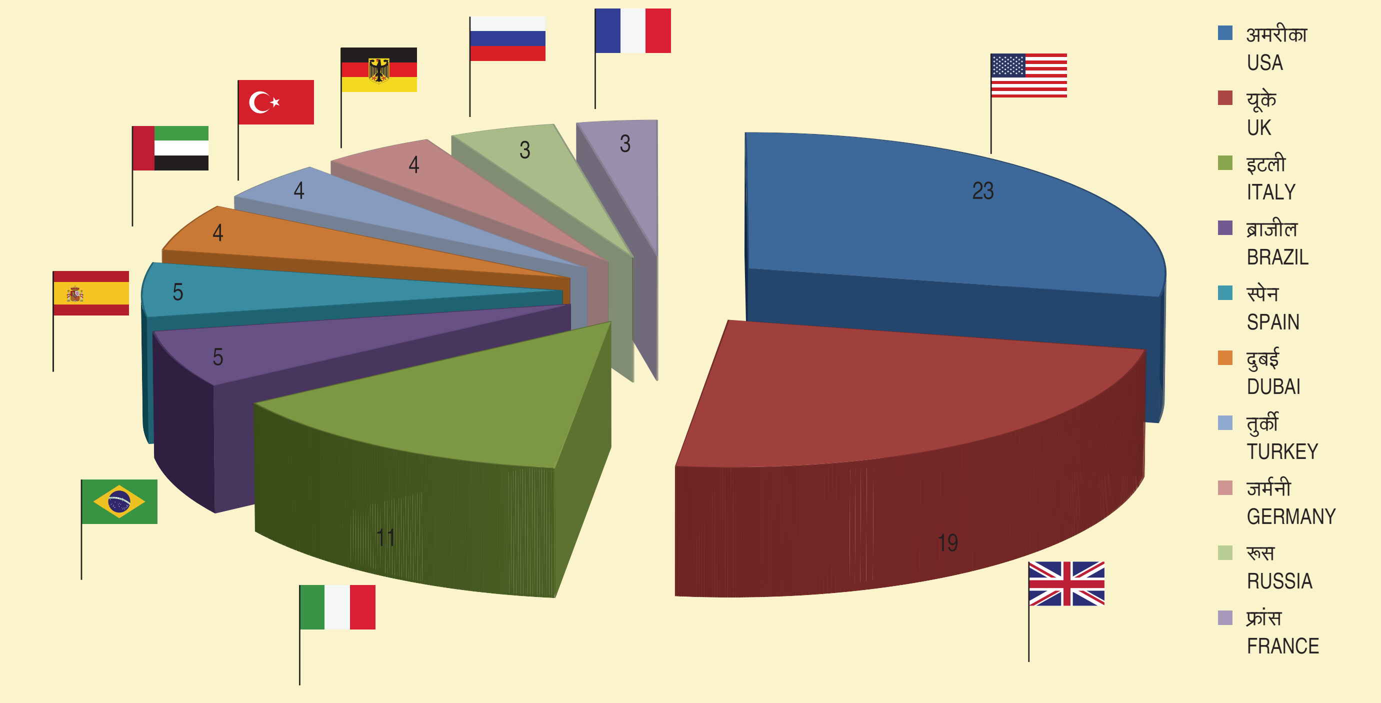

देश हामीदारी

देश हामीदारी विभाग (सीयूडी) देश पर हामीदारी पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार है। यह आंतरिक देश जोखिम रेटिंग उपाय (सीआरआरएम) द्वारा सात तरह के वर्गीकरण में देशों के जोखिम प्रोफाइल की रेटिंग करता है। विभिन्न देशों में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, जो देश के साथ भारत के संबंध, ईसीजीसी का अनुभव तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्श्योरेंस के दृष्टिकोण (बर्न यूनियन) सहित विभिन्न मानदंडों पर आधारित होता है। यह सुरक्षा के प्रकार एवं शर्तों को निर्धारित करने में तथा प्रीमियम की गणना में सहायक होता है। बहुत वर्षों से कंपनी तथा पॉलिसीधारकों के अनुभवों पर आधारित बिना स्वतंत्रता पर समझौता किए, देशों के अपेक्षित जोखिम जांच के उदार हामीदारी पॉलिसी बनाने का प्रयास किया गया।

COUNTRY UNDERWRITING

The Country Underwriting Department (CUD) is responsible for the underwriting policy on countries. It has an in-house Country Risk Rating Methodology (CRRM), devised to rate the risk profile of countries in a seven fold classification. An analysis is made of the economic and the political situations in various countries, based on various parameters including India's relationship with the country, ECGC's experience and the approach of the International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union). It also helps in determining the type and the terms of cover and serves the purpose of premium calculation. Over the years, efforts have been made to have a liberal underwriting policy based on the experience of the Company and the policy-holders but without compromising on the independent, objective risk assessment of countries.

खंड वार सकल दावों के भुगतान का प्रचलन (₹ करोड़)
Trend in Segment-wise Gross Claims Paid (₹ crores)

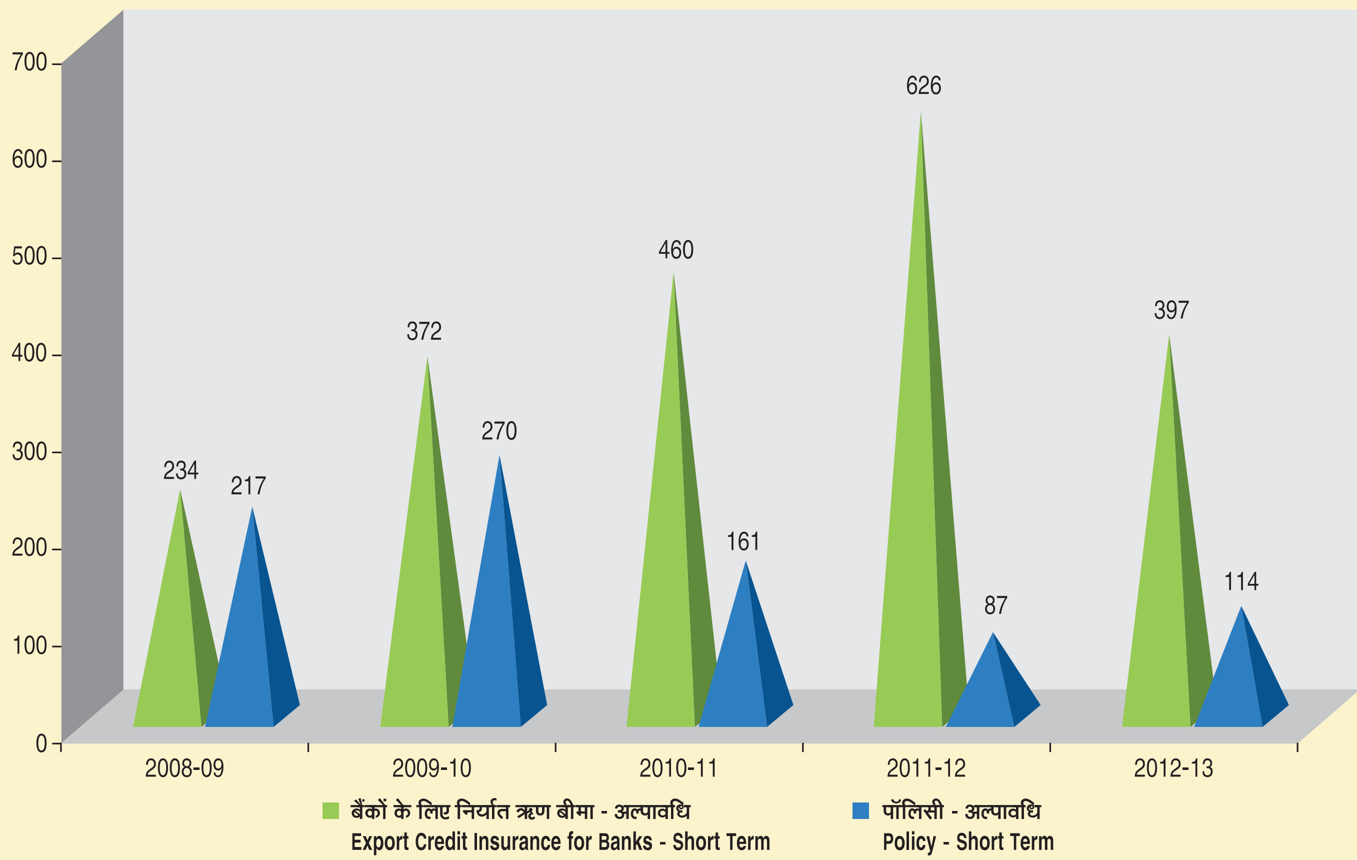

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सभी देशों की समीक्षा की गई और संशोधित वर्गीकरण को 1 दिसम्बर 2012 से कार्यान्वित किया गया। सभी प्रतिबंधित सुरक्षा देशों के लिए हामीदारी पॉलिसी को भी संशोधित किया गया तद्नुसार देश की ऋण जोखिम सीमाओं को निर्धारित किया गया। हामीदारी की एक उत्कृष्ट प्रणाली प्रस्तुत की गई तथा उनके दावों-जोखिम

During the FY 2012-13, a review of all countries was carried out and the revised classification was implemented w.e.f. 1st December, 2012. The underwriting policy for all Restricted Cover Countries was also revised and accordingly, country exposure limits were fixed. A dynamic system of underwriting has been introduced and review of selective countries is carried out on a

मूल्य राशियों, बर्न-यूनियन संदर्भ, भारत से निर्यातों तथा राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों में आधारित कुछ देशों की तिमाही आधार पर समीक्षा की गई।

ए-1 रेटिंग को 'कम जोखिम' तथा डी को 'अत्याधिक जोखिम' के रूप में परिभाषित करते हुए 31.3.2013 को देशों के वर्गीकरण का सारांश निम्नवत था :

ए1	ए2	बी1	बी2	सी1	सी2	डी	गैर रेटेड
39	34	44	48	32	12	07	21

वर्गीकरण सूची में 237 देशों में से 200 देशों को 'खुली रक्षा' श्रेणी में जबकि 27 को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-1 (जहां परिवर्तित सीमाएं स्वीकृत है, सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध) तथा 10 को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-2 (जहां मामले के आधार पर विशेष स्वीकृति प्रदान की गई है।) रखा गया था।

पुनर्बीमा

वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी ने जीआईसी, पुनर्बीमा से मध्यम व अल्पावधि सुरक्षाओं सहित, अपने संपूर्ण कारोबार के लिए 10% अनिवार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसियों के लिए ₹ 20 करोड़ से अधिक किंतु ₹ 80 करोड़ तक सीमित हानियों व अल्पावधि ईसीआईबी सुरक्षाओं के लिए ₹ 40 करोड़ से अधिक किंतु ₹ 640 करोड़ तक सीमित हानियों के लिए अति हानि व्यवस्था सुरक्षा का पुनर्बीमा कराया है।

जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी के निर्यात ऋण जोखिम बीमा व्यापार से उत्पन होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए एक समर्पित जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई थी। 2011 के दौरान लाए गए ऋण जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रतिबंधित सुरक्षा देशों/उद्योग से संबंधित ऋण जोखिम मानदंडों, व्यापारिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इसे वर्ष के दौरान संशोधित किया गया है। संशोधित ऋण जोखिम मानदंड निम्नवत है :

बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा हेतु एकल निर्यातक तथा समूह में निर्यातकों के लिए ऋण जोखिम मानदंडों को कंपनी के निवल सम्पत्ति के क्रमशः 50% तथा 75% तक निर्धारित किए गए। निर्यात संपादन क्षतिपूर्ति हेतु सीमाओं को कंपनी के निवल सम्पत्ति के लिए क्रमशः 5% तथा 10% तक सीमित रखा गया है। अल्प अवधि पॉलिसी व्यापार के लिए देश ऋण जोखिम सीमा को पिछले 5 वर्षों में उच्च मूल्य सुरक्षा प्राप्त अथवा ₹ 100 करोड़, जो कम हो, को प्रतिबंधित सुरक्षा देशों को निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया है। खुली सुरक्षा वाले देशों में आधारित खरीदारों एवं बैंकों के लिए अल्प अवधि पॉलिसियों के लिए ऋण जोखिम सीमाओं को कंपनी के निवल सम्पत्ति के क्रमशः 5% तथा 10% पर और प्रतिबंधित सुरक्षा वाले देशों में आधारित खरीदारों एवं बैंकों के लिए कंपनी के निवल सम्पत्ति के लिए क्रमशः 1 से 2.5% तथा 2.5 से 5% निर्धारित किया गया है। सभी

quarterly basis based on their Claim - Risk Value ratio, Berne Union reference, exports from India and changes in political and economic situations.

The summary of the country classification as on 31st March, 2013 with A1 rating defined as 'Insignificant Risk' and D defined as 'Very High Risk', was as follows:

A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	Not Rated
39	34	44	48	32	12	07	21

Out of the 237 countries in the classification list, 200 countries were placed in 'Open Cover' Category while 27 were in the 'Restricted Cover' Category - I (where revolving limits are approved, normally valid for one year) and 10 were placed in the 'Restricted Cover' Category - II (where specific approval are given on a case to case basis).

REINSURANCE

For the FY 2012-13, the Company had a proportional reinsurance treaty to the extent of 12% from Indian reinsurers for the Short Term Policies and Short Term ECIB covers, in addition to the obligatory 10% reinsurance cover from GIC Re, for the entire business including Medium and Long Term covers, along with Excess of Loss arrangement for losses up to ₹ 80 crores beyond ₹ 20 crores for Short Term Policies and for losses up to ₹ 640 crores beyond ₹ 40 crores for Short Term ECIB covers.

RISK MANAGEMENT

A dedicated Risk Management Department was set up to manage the risk emanating from the export credit risk insurance business of the Company during the FY 2011-12. Adequate measures have been initiated to ensure adherence to exposure norms introduced during 2011. Considering the business requirement, exposure norms relating to Restricted Cover Countries/Industry have been modified during the year. The revised exposure norms are as follows:

For Export Credit Insurance for Banks, the exposure norms for a single exporter and an exporter group were fixed at 50% and 75% respectively, of the Company's Net Worth. For Export Performance Indemnity, the limits are restricted to 5% and 10% respectively, of the Company's Net worth. For Short Term Policy business, the country exposure limit is fixed at the peak value covered in the last 5 years or ₹ 100 crores, whichever is lower, for exports to Restricted Cover Countries. The exposure limits for Short Term Policies are fixed at 5% and 10% respectively, of the Company's Net Worth for buyers and banks based in Open Cover Countries and at 1 to 2.5% and 2.5 to 5% respectively, of the Company's Net Worth, for buyers and banks based in Restricted Cover Countries. A ceiling of 20% of the aggregate

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अल्पावधि पॉलिसी एवं ईसीआईबी व्यापारों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों हेतु कुल ऋण जोखिम पर 20% की सीमा निर्धारित की गई है। मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात के लिए ऋण जोखिम सीमा को प्रति निर्यातक प्रति प्रोजेक्ट कंपनी के निवल सम्पत्ति के 25% तक तथा प्रति देश कंपनी के निवल सम्पत्ति के 100% तक निर्धारित किया गया है।

exposure, for all industrial sectors, is fixed for specific sectors for the Short Term Policy and the ECIB businesses. For Medium and Long Term exports, the exposure limit is fixed at 25% of the Company's Net Worth per exporter per project and at 100% of the Company's Net Worth per country.

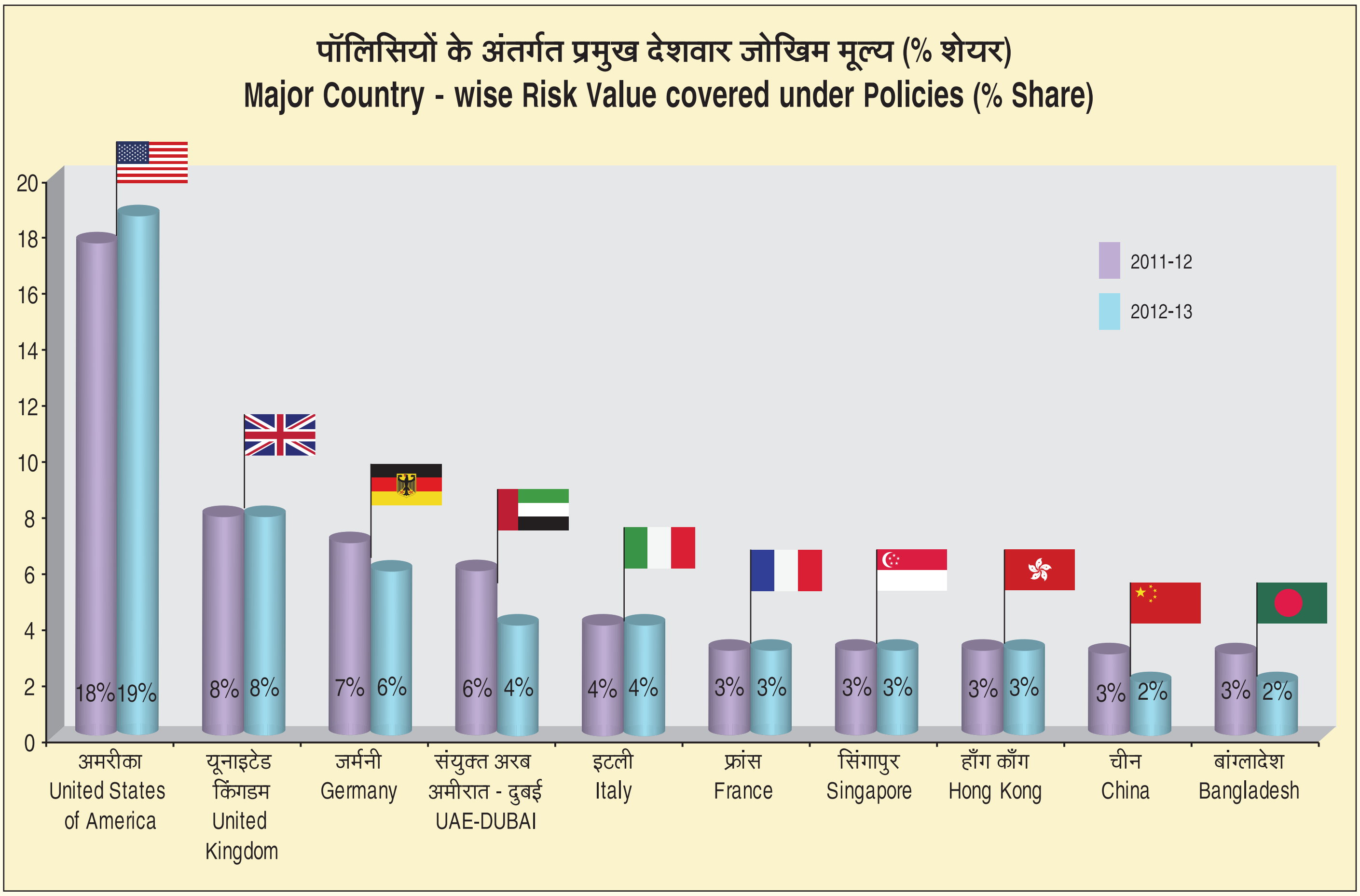

वसूली

कंपनी ने अपने प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक समर्पित वसूली कक्ष की स्थापना की है। इसका उद्देश्य अल्प अवधि पॉलिसियों, बैंकों को अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी), तथा अवरुद्ध निधियों सहित दीर्घावधि पॉलिसियों के कंपनी के व्यापार के सभी क्षेत्रों में वसूली/दावा भुगतान अनुपात में सुधार करने के लिए वसूली के प्रयासों में समन्वय तथा मजबूती प्रदान करना है। कक्ष द्वारा सही विचाराधीन मामलों पर समीक्षा की जा रही है ताकि इन खातों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। ईसीआईबी के अन्तर्गत कक्ष ने वसूली के लिए विलंबित खातावार मामलों की पहचान की है तथा मामलों के शीघ्र समाधान हेतु बैंक शाखाओं अथवा उनके सम्पत्ति वसूली विभागों से चर्चा कर रहा है। कंपनी अपने पैनल पर निर्यातकों को उनकी वसूली प्रयासों में सहायता के लिए विदेश में 16 ऋण वसूली एजेंसियों को रखा है। कंपनी विभिन्न अफ्रीकी देशों से रूकी हुई राशियों के वसूली के लिए प्रयास कर रही है जिसके

RECOVERIES

The Company has set up a dedicated Recovery Cell at its Head Office (HO), in June, 2012, under a senior official, to co-ordinate and strengthen the recovery efforts leading to improved recovery/claim paid ratio in all segments of the Company's business, viz., Short Term Policies, Short Term ECIB, and Medium and Long Term Policies including blocked funds. The Cell is reviewing all the pending cases, so as to initiate appropriate action for ultimate closure of the accounts. Under ECIB, the Cell has identified account-wise cases pending for recovery and is taking up with the Bank Branches or with their Asset recovery departments, for early resolution of the cases. The Company has on its panel, 16 Debt Collection Agencies abroad for assisting exporters in their recovery efforts. The Company is making efforts for recovery of blocked funds from various African countries, in respect of

संबंध में निर्यातकों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दावों का निपटान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 168.64 करोड़ की तुलना में ₹ 120.53 करोड़ की वसूली की गई।

which, claims were settled to exporters, banks and other financial institutions. Recoveries made in the FY 2012-13 were ₹ 120.53 crores, against ₹ 168.64 crores in the previous year.

अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत प्रमुख पण्यवार जोखिम मूल्य (% शेयर)
Major Commodity-wise Risk Value under Short Term Polices (% share)

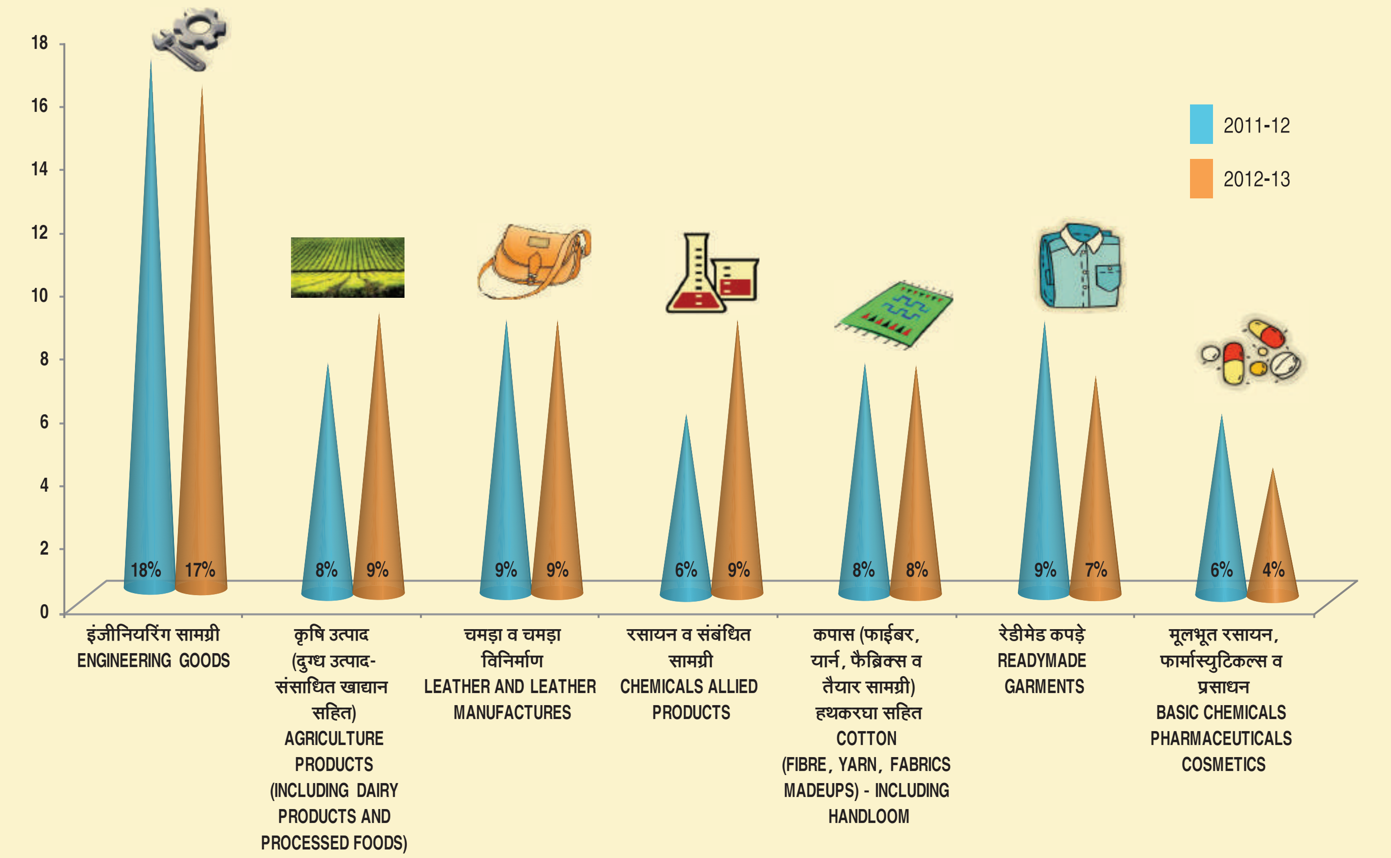

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

कंपनी ने कस्टमाइजेशन एवं इंटीग्रेशन आफ अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर के प्रावधान, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्राप्त करना, कोहॉस्टेड कमर्शियल डाटा केन्द्रों पर डाटा केन्द्र स्थापित करने, कार्यान्वयन के उपरान्त सहायता हेतु नए ढांचों के प्रबंध सहित शुरू से अंत तक आईटी समाधान प्रस्तुत करने के लिए 'सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआय)' की नियुक्ति की थी। एसआई ने सिस्टम डिजाइन, व्यापारिक परिवेश तथा यूजर स्वीकार्यता परीक्षण मामलों को तैयार करने, लेखा के नए चार्ट बनाने, वर्तमान सिस्टम से नए सिस्टम में डाटा मैपिंग तथा नए सिस्टम में अपमार्जन एवं पूर्व डाटा स्थापित करने के लिए स्क्रिप्ट लिखने जैसी विभिन्न गतिविधियों को पूरा कर लिया था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एसआई ने 'यूजरइंटरफेस - यूजर एक्सैप्टंस टेस्टिंग (यूआई-यूएटी) तथा कार्यवाहक यूएटी के लिए कोर बीमा उत्पाद के हिस्से को निर्मित किया था। हमारे फीडबैक के आधार पर एसआई ने सॉफ्टवेयर को संशोधित किया है जो सिस्टम इंटीग्रेशन 'टेस्टिंग (एसआईटी)' के अधीन है। यूएटी, डाटा क्लिंसिंग एवं माइग्रेशन, पैरलल रन एवं प्रयोक्ताओं के प्रशिक्षण जैसी विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company had appointed a 'System Integrator (SI)' to provide an end-to-end IT solution, including customization and integration of application software components, provisioning of hardware, procuring of systems software licenses, setting up of Data Centres at the co-hosted Commercial Data Centres, as also management of the new IT infrastructure for the post-implementation support. The SI had completed various activities such as system design, preparation of business scenarios & User Acceptance Test cases, drawing up a new chart of accounts, data mapping from the current system to the new system and writing of scripts for cleansing & migration of the legacy data to the new system.

During the FY 2012-13, the SI delivered a part of the core insurance product for conducting 'User Interface - User Acceptance Testing (UI-UAT)' and functional UAT. Based on our feedback, the SI has modified the software which is currently under their 'System Integration Testing (SIT)'. After completing various activities such as UAT, data cleansing & migration, parallel run and training

के उपरान्त आशा है कि प्रशासन एवं मानव संसाधन सहित कोर बीमा एवं अन्य सहायक गतिविधियों के लिए संपूर्ण सॉफ्टवेयर वित्तीय वर्ष 2013-14 में लागू हो जाएगें।

आईटी प्रोग्राम कार्यान्वयन पर आईटी सलाहकार की सहायता से एसआई एवं ईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्टियरिंग कमेटी द्वारा नजर रखी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा समय समय पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। नए आईटी सिस्टम के एक बार कार्यान्वित हो जाने पर आगे ग्राहक सम्पर्क, सेवा आपूर्ति तथा प्रचालन क्षमता में सुधार होगा।

विपणन एवं प्रसार

राष्ट्रीय विपणन प्रभाग (एनएमडी), शाखा कार्यालयों के समन्वय से विभिन्न निर्यात केन्द्रो पर नियमित अंतराल में ग्राहकों की बैठक आयोजित करता है। वर्ष 2012 में कंपनी ने सेवा के 55 वर्ष पूरे किए तथा इस उपलब्धि को याद करने के लिए बहुत से स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए - 'एक नया 55 वर्ष' प्रतीक बनाया गया तथा इसे सभी विज्ञापन तथा प्रसार अभियान में प्रसारित किया गया। अंधेरी, मुंबई में कंपनी के बनने वाले कार्यालय एवं आवासीय संकुल में 55 छोटे वृक्ष लगाए गए। 'ईसीजीसी स्थापना दिवस स्मारक व्याख्यान' का आयोजन किया गया तथा प्रारंभिक व्याख्यान प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन द्वारा दिया गया तथा डी एंड बी के साथ मिलकर नवम्बर 2012 में विभिन्न श्रेणियों में 55 उच्च निष्पादन निर्यातकों को निर्यात के लिए श्रेष्ठता पुरस्कार वितरित किए गए।

of the users, it is expected that the entire software for core insurance and other support functions, including administration and HR, would go live in FY 2013-14.

The IT Program Implementation is being monitored by a Steering Committee comprising senior officials of the SI and ECGC, with the assistance of an IT Advisor. The progress is reviewed periodically by the Board of Directors. Once implemented, the new IT system will further improve customer interface, service delivery and operational efficiency.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) co-ordinates with the Branch Offices, to organize Customer Meets at regular intervals, at various export centres. The Company completed 55 years of service in 2012 and to commemorate this milestone, a series of commemorative programme was organized - a new '55 years' emblem was designed and propagated in all advertisement and publicity campaigns; 55 saplings were planted at the Company's upcoming office and residential complex in Andheri, Mumbai; the 'ECGC Commencement Day Commemorative Lecture' was instituted and the initial lecture was delivered by Dr. C. Rangarajan, Chairman, Prime Minister's Economic Advisory Council and in association with Dun & Bradstreet Information Services India Pvt. Ltd (D&B), Export Excellence Awards were distributed to 55 high performing exporters in various categories in November, 2012.

मुंबई में दिनांक 24 नवंबर 2012 को श्री सी.एस.राव, वाणिज्य सचिव ने निर्यातकों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।

Shri C.S. Rao, Commerce Secretary gave away Exporters' Excellence Awards on 24th November, 2012 in Mumbai

ईसीजीसी ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्यात विकास संस्थानों के साथ अपने करीबी रिश्ते को जारी रखा है। ग्राहको के लिए अपने उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नियमित सुधार के अपने प्रयास के साथ एनएमडी ने सुप्रसिद्ध विपणन एजेन्सी के माध्यम से अगस्त, 2012 में

ECGC continues to closely associate itself with export promotion bodies in fulfilling its Mission. With a quest for continual improvement in its products and services for the clientele, the NMD carried out a Customer Satisfaction Survey in August, 2012

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

एक ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया था। सर्वे के परिणाम के अनुसार कंपनी का ग्राहक संतुष्टि स्कोर 79% था।

वैकल्पिक विपणन एवं वितरण चैनल

कंपनी ने 26 बैंकों के साथ कॉरपोरेट एजेन्सी समझौता किया है तथा अभी तक अनछुए बाजारों में प्रवेश करने हेतु 135 ब्रोकरों का पैनल बनाया है।

through a renowned marketing agency. As per the results of the survey, the Company posted a customer satisfaction score of 79%.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

The Company has entered into Corporate Agency Agreements with 26 banks and has empanelled about 135 brokers, to penetrate the untapped market.

दिनांक 3 अगस्त 2012 को फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में 53 वीं शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया।
Opening of 53rd Branch Office at Faridabad, U.P. on 3rd August, 2012

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पहल

ईसीजीसी सीएसआर के अन्तर्गत उठाए जाने वाले पहलों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करती है। आलोच्य वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से जारी निम्नलिखित प्रोजेक्टों के संबंध में सीएसआर पहलों के अन्तर्गत ₹ 4.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई :-

I) महिलाओं के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

II) अजा/अजजा श्रेणी में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप तथा

III) कौशल विकास केन्द्रो को सहायता

इन सभी प्रोजेक्टों को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है। ईसीजीसी महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े जिलों के पहचान की प्रक्रिया में है तथा इन्हें उर्जा बचत उपकरण प्रदान करने के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

सीएसआर के अन्तर्गत गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक वरिष्ठ कार्यपालक समिति का गठन किया गया है। सरकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डीपीई के निर्देशानुसार अध्यक्ष के अलावा दो निदेशकों के साथ बोर्ड की एक उप समिति बनाई गई है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES

ECGC is guided by the directives issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India, with regard to the initiatives under CSR. During the year under review, an amount of ₹ 5 crores was approved under the CSR initiative, in respect of the following projects continuing from the previous year:

I) Entrepreneurship Development Programme for Women

II) Scholarship to meritorious students in the SC/ST category and

III) Support to Skill Development centre.

All these projects are being implemented through the Tata Institute of Social Science (TISS), Mumbai. ECGC is in the process of identifying a backward district in the State of Maharashtra and is working on a project to provide energy saving devices.

A Senior Executive Committee has been constituted with the Executive Director as its Chairperson, to monitor the activities under CSR. Further, a Sub-Committee of the Board with two Directors besides the Chairman, has been formed, as directed by the DPE, to ensure compliance with the Government directives.

दीर्घकालिक विकास

पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवेदनशील संस्थान होने के कारण कंपनी ने अंधेरी में अपने बनने वाले कार्यालय एवं आवासीय संकुल के लिए 'हरितभवन' प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान 122 विकसित वृक्षों के अतिरिक्त कंपनी ने 605 और वृक्षों को चरणबद्ध तरीके से लगाने का काम हाथ में लिया है जिसमें से 140 वृक्षों को लगाया जा चुका है। कंपनी के 55 वें स्थापना वर्ष के अवसर पर अगस्त, 2012 में 55 वृक्ष लगाए गए थे। दिनांक 14.03.2013 को भूमि पूजन समारोह पर श्री आनन्द शर्मा माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों से कंपनी ने पांच वृक्ष लगाए है। इस अवसर पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Being an organisation sensitive to environmental issues, the Company has initiated steps towards acquiring "Green Building" certification for its upcoming Office and Residential Complex at Andheri. In addition to the existing 122 well grown trees, the Company has further undertaken to plant 605 trees in a phased manner, out of which 140 trees has already been planted. As a part of 55th Anniversary of the Company, 55 saplings were planted during August, 2012. On the occasion of the Foundation Stone Laying Ceremony on 14th March, 2013, the Company has planted five trees through the hands of Shri Anand Sharma, Hon'ble Minister for Commerce, Industry & Textiles, Government of India and dignitaries present on the occasion.

दिनांक 14 मार्च 2013 को प्रस्तावित कारपोरेट कार्यालय एवं आवासीय इमारत परिसर में वृक्षारोपण किया गया।
Planting of trees at the proposed Corporate Office and Residential Buildings Complex site on 14th March, 2013

'हरितभवन' निर्माण के उद्देश्य से कंपनी ने परामर्श दाता की नियुक्ति की है जो पारंपरिक उर्जा के उपयोग में कमी तथा जल जैसे अभावी स्त्रोतों को कम करने के उपाय के बारे में सुझाव देंगे। परामर्श दाता ने वनरोपण, वर्षाजल बचाव तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा प्रणाली पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इससे निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी :

i. प्रचालन लागत में कमी;

ii. कच्चे माल एवं अन्य निविष्ट वस्तुओं की लागत में कमी;

With the objective of constructing the "Green Building", the Company has appointed a consultant who will suggest measures for reduction of usage of conventional energy and for optimization of scarce resources like water. The consultant has submitted his project report on afforestation, rain water harvesting and renewable energy system. This will help in achieving the following objectives:

i. Reduction of operation cost;

ii. Reduction of cost for raw materials and other inputs;

iii. आन्तरिक वायु गुणवत्ता में सुधार;
iv. अन्य हरित व्यापारों तथा समग्र पर्यावरण गतिविधियों में समर्थन का प्रावधान;
v. बिल्डिंग डिजाइन के अनुकूलन द्वारा बाह्य प्रकाश व्यवस्था में पारंपारिक ऊर्जा के उपभोग में कमी;
vi. नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के उपयोग से बाह्य प्रकाश व्यवस्था क्षमता में वृद्धि;
vii. जल के कम उपयोग हेतु किफायती उपाय;
viii. पानी के पुनःउपयोग का प्रावधान

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निगम ने वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान हिन्दी कार्यान्वयन में की गई प्रगति के लिए दिनांक 14 सितंबर 2012 को निगम को ''ख'' क्षेत्र में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार'' के अंतर्गत 16वीं बार तथा इस वर्ष प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

iii. Improvement of indoor air quality;
iv. Provision of support to other green businesses and to the overall environmental movement;
v. Reduction of conventional energy outdoor lighting by optimization of the building design;
vi. Enhancement of outdoor lighting system efficiency by utilization of renewable energy;
vii. Cost effective measures for reduction of water usage;
viii. Provision of re-cycling of water.

IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Company has surpassed all the targets laid down in the annual programme for the FY 2012-13 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company has been honoured under the Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 16th time and for the FY 2010-11 the Company received first prize in the ''B'' Region by the Hon'ble President of India on September 14, 2012.

माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिनांक 14 सितंबर 2012 को गृह मंत्रालय का इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया।
Hon'ble Shri Pranab Mukherjee, President of India handed over the Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar of Ministry of Home Affairs for securing 1st place in Official Language Implementation during FY 2011-12 to CMD on 14th September, 2012

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हिन्दी कार्यान्वयन के प्रगति का जायजा लेने के लिए दिनांक 29 जनवरी 2013 को निगम के पुणे शाखा कार्यालय व दिनांक 11 फरवरी 2013 को क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली का निरीक्षण किया। समिति को दिए गए आश्वासनों पर यथापेक्षित कार्रवाई की गई।

The Third Sub-Committee of the Parliamentary Official Language Committee inspected the progress of implementation of Hindi at Pune Branch of the Company on January 25, 2013 and at the Regional Office, New Delhi on February 11, 2013. Requisite action has been taken on the assurance given to the Committee.

दिनांक 11 फरवरी 2013 को राजभाषा पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण
Inspection of Delhi Regional Office by the Parliamentary Committee on Official Language on 11th February, 2013

निगम ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति जारी रखी है। ईसीजीसी के कार्यालयों में 14 से 28 सितंबर 2012 के पखवाडे में पूरे उत्साह के साथ हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 31 अक्तूबर 2012 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी की गृह पत्रिका ''अनुश्री'' का विमोचन किया गया। कार्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन प्रधान कार्यालय और निगम की 55 शाखाओं को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोत्साहन योजनाएँ' शुरू की गई हैं। अपने ग्राहकों के साथ किए जानेवाले निगम के पत्राचार में नियमित वृद्धि दर्ज की जा रही है। निगम की वेबसाईट द्विभाषी रूप में बनाई गई है।

The Company continued its activities in implementation of the Official Language Policy of the Government of India with enthusiasm, ECGC offices celebrated the Hindi Fortnight during September 14-28, 2012. During the Hindi Fortnight, various types of Hindi Competitions were conducted and the winners awarded cash prizes. The prize distribution function was held on October 31, 2012. The House Magazine of Rajbhasha,''Anushree'' was released on this occasion. The HO and 55 branches of the Company have been notified, under Rule 10 (4) of the Official Language Rules, 1976, in the Gazette of India, for acquiring knowledge of Hindi by the staff of the Company.

To accelerate the official use of Hindi, the 'Incentive scheme for working in Hindi' was also initiated. The Company's correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. The website of the Company is designed in bilingual form.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिनांक 3 अगस्त 2012 को वाणिज्य मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने प्राप्त किया
CMD receiving the Rajbhasha Award of the Dept. of Commerce for securing 1st Place for Official Language Implementation during the FY 2011-12 from Shri Jyotiraditya Scindia, Minister of State for Commerce & Industry on 3rd August, 2012

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम द्विभाषी में ही आयोजित किए गए। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति पर एक सत्र शामिल किया गया। उच्च प्रबंधन सहित निगम के लगभग सभी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन प्रधान कार्यालय, निगम की शाखा कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से किया जाता है। निगम में कर्मचारियों द्वारा उनके दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने और प्रेरित करने के लिए नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रचलित हैं। अपने दैनिक कार्यों में प्रधान कार्यालय शाखा कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग करने में कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना लागू है जिसमें संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यालय के विभाग आपस में राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा विजेता कार्यालय व विभागों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

कंपनी निर्यात ऋण एवं निवेश उद्योग हेतु एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस (बर्न यूनियन) का स्थापना के समय से ही सदस्य है। बर्न यूनियन का लक्ष्य वैश्विक व्यापार एवं निवेश में विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2012 में बर्न यूनियन सदस्यों ने वैश्विक क्रॉस बॉर्डर व्यापार एवं निवेश को 1.9 ट्रीलियन अमरीकी डॉलर की सहायता की जो 2011 से लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर अधिक थी। बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा विश्व निर्यात को 10% सहायता दी जाती है। वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ से ऋण निवेश बीमा कर्ताओं ने निर्यातकों और निवेशकों को उनके द्वारा उठाई गई हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए 19.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया है। कंपनी ने अप्रैल 2012 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित बर्न यूनियन की बैठक तथा अकटूबर,2012 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया था। कंपनी को बर्न यूनियन द्वारा आयोजित बैठक एवं कार्यशाला में भाग लेने का लाभ मिला। इसे ऋण बीमा के क्षेत्र में सूचना एवं अनुभव के आदान-प्रदान, जिसमें देश का नजरिया, हामीदारी तकनीक एवं वसूली उपाय शामिल है। मार्च, 2013 में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने टोकियों में जी-11 प्रमुखों की ईसीए वार्षिक बैठक में भाग लिया था तथा कंपनी के अधिकारियों ने बर्लिन, जर्मनी में आयोजित निर्यात वित्त पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भी भाग लिया था। कंपनी के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आईआईएफ) की बैठक में भाग लिया था।

During the FY 2012-13, 30 training programs were conducted, including a training programme for the sub-staff, in which training was provided bilingually. A session related to the national official language policy, was a part of all the training programmes. Almost all the employees of the Company, including the top management, were participants in the training programmes. Quarterly review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branch Offices (BOs), Regional Offices (ROs) and at the HO of the Company. Various incentives, including cash prizes, are already instituted, to encourage and motivate the employee to further the use of Hindi in their daily office work. To encourage employees use of Hindi in their day-to-day official work, all employees at BO's, RO's and HO are encouraged to compete every year, for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for excellence in implementation of the official language in their respective offices. While the winner offices are awarded certificates, all employees in such offices receive cash incentives.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union), a leading International Association for the export credit and investment industry, since inception. The aim of the Berne Union is to promote co-operation, growth in global trade and investments. In 2012, Berne Union members supported USD 1.9 trillion of global cross-border trade and investment, up by almost USD 100 bn from 2011. Berne Union members support 10% of world exports. Since the beginning of the global financial crisis in 2008, credit investment insurers have paid USD 19.7 bn to exporters and investors, to indemnify them against the losses suffered. The Company participated in the Berne Union Meeting held at Brussels, Belgium in April, 2012 and in the Annual General Meeting held at Stockholm, Sweden in October, 2012. The Company has benefited from attending the meetings and workshops organized by the Berne Union. This facilitated exchange of information and experience in the field of Credit Insurance, which included country attitude, underwriting techniques and recovery measures. In March, 2013 the Chairman-cum-Managing Director attended the G11 Heads of ECAs Annual Meeting in Tokyo and the Company's officials also participated in the International Workshop on Export Finance held at Berlin, Germany. The Company's officials also participated in the International Institute of Finance (IIF) meetings held during the year.

जुलाई 2012 को हब्राना, कोलंबो में बर्न यूनियन के क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) की बैठक के उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CMD at the Inaugural Function of Regional Co-operation Group (RCG) Meeting of Berne Union at Habrana, Colombo, in July, 2012

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कंपनी ने अन्य ईसीए से उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया था। 17 जुलाई 2012 को एस ए सी ई, इटली से प्रतिनिधि मंडल ने आपसी बैठक के लिए ईसीजीसी का दौरा किया था। 20 नवम्बर 2012 को एन ई एक्स आई, जापान (सिंगापुर कार्यालय) से प्रतिनिधि मंडल ने ईसीजीसी का दौरा किया था। 30 जनवरी 2013 को कंपनी ने यूएस एक्जिम बैंक, यूएसए के प्रतिनिधि मंडल को दो देशों के बीच व्यापार संपादनों के क्षेत्र में विस्तार के लिए आमंत्रित किया था।

कंपनी ने इयूलर हर्म्स क्रेडिटवर्षीचेरंगस - एजी एवं प्राइसवाटरहाऊस कूपर्स से 24 अप्रैल 2012 को संस्थानों के बीच सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने तथा देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित एवं समर्थन प्रदान करने के लिए सहयोग समझौता किया था।

In FY 2012-13 the Company hosted high level delegations from other ECAs. On July 17, 2012 delegates from SACE, Italy, visited ECGC for a bilateral meeting. On November 20, 2012 a delegate from NEXI, Japan (Singapore Office) visited ECGC. On January 30, 2013 the Company hosted a delegation from the US Exim Bank, USA with the objective of expanding the scope of trade transactions between the two countries.

The Company entered into Co-operation Agreements with Euler Hermes Kreditversicherungs - AG and PriceWaterhouse Coopers on April 24, 2012, with the purpose of establishing a framework of co-operation between the organizations and to support and encourage international trade between the countries.

मई 2012 में लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक, यू.के. में 'वैश्विक व्यापार का बढावा : निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका', पैनल चर्चा में कार्यपालक निदेशक का सहभाग
Executive Director participated in a panel discussion on 'Promoting Global Trade: Role of Export Credit Agencies' at London School of Economics, UK in May, 2012

गुणवत्ता आश्वासन

कंपनी ने अपने प्रचालन में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने को सर्वोच्च वरीयता देना जारी रखा है तथा इस दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त किया है। कंपनी के सभी शाखा कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालयों ने आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। बीआईएस द्वारा हाल ही में विभिन्न शाखा कार्यालयों की निगरानी एवं नवीनीकरण लेखा परीक्षा की गई और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कंपनी के प्रधान कार्यालय के आईएसओ प्रमाणन का नवीनीकरण अगले तीन वर्षों के लिए फरवरी, 2016 तक के लिए किया गया है। सेवा में गुणवत्ता के महत्व की संस्थान के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रशंसा एवं आत्मसात किया गया है।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन : 31.03.2013 को कंपनी के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 655 थी तथा वास्तविक संख्या 586 थी। 34 रिक्त पदों को जनवरी से दिसम्बर 2012 की अवधि में सभी सांविधिक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से भरा गया।

शाखाओं में कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया गया तथा वर्ष के दौरान संशोधित कर्मचारियों की संख्या को स्वीकृति प्रदान की गई। समझौता ज्ञापन (एमओयू) मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से निष्पादन की ग्रेडिंग के लिए विभिन्न मानदंडों पर आधारित संशोधित कर्मचारी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। जिसका उद्देश्य मूल्यांकन को लक्ष्यपूरक बनाना था। एक कर्मचारी सुझाव योजना कार्यान्वित की गई है जिसमें कर्मचारियों से प्रत्येक तिमाही में फीडबैक मंगाया जाता है। व्यापार एवं ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दिए गए सुझावों में से चुने हुए सुझावों को पुरस्कृत किया जाता है और कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया गया था जिसके परिणाम से यह पता चलता है कि 80% से अधिक कर्मचारी संस्थान के निष्पादन से 'संतुष्ट' है। 2012 में छह क्वालिटी सर्कल शुरू किए गए थे जो कंपनी की सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए समाधानों की सिफारिश करेंगे।

QUALITY ASSURANCE

The Company continues to give utmost importance to maintaining high quality standards in its operations and in this direction, it has obtained an ISO 9001:2008 Certification from the Bureau of Indian Standards (BIS). All the BOs and the HO of the Company hold ISO 9001:2008 Certification, which is at par with International Standards. Surveillance and Renewal Audits of the various Branch Offices have been recently conducted and successfully concluded, by the BIS. ISO Certification of the HO of the Company has been renewed for a further period of three years, upto February, 2016. The importance of quality in service has been appreciated and imbibed by all the employees in the organization.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

HUMAN RESOURCES: As on 31st March, 2013, the sanctioned employee strength of the Company was 655 and the actual strength was 586. 34 vacancies were filled up through recruitment of officers over the period January to December, 2012, complying with all statutory provisions.

A detailed and systematic study on the assessment of staff required at Branches was carried out and revised staff strength approved during the year. As per the Memorandum of Understanding (MoU) parameters, a revised Employee Performance Management System, based on various parameters for grading the performance, has been implemented from the FY 2012-13, with the aim of making the appraisal more objective. An Employee Suggestion Scheme has been implemented wherein feedback from the employees are called for every quarter. Selected suggestions for improvement in business and customer service will be rewarded and implemented by the Company. The Employee Satisfaction Survey was also conducted during the FY 2012-13, results of which reflect that over 80% of the employees are 'satisfied' with the organisational performance. Six Quality Circles were launched in 2012, which will recommend solutions for improvement in quality of services of the Company.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के काराबोर निष्पादन की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
Regional and Branch Managers Conference held to review business performance for FY 2012-13

प्रशिक्षण : वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को नियमित रूप से बढ़ाने के अपने प्रयास में एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों के कौशल में वृद्धि हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उच्च स्तर के अधिकारियों यथा महाप्रबन्धकों, उप महाप्रबन्धकों, सहायक महाप्रबन्धकों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकों को आईआईएम तथा एक्सएलआरआई जैसे सुप्रसिद्ध संस्थानों में प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया था। कंपनी ने प्रधान कार्यालय (प्रका) एवं विभिन्न शाखाओं में नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए मेंटरशिप विकास कार्यक्रम आयोजित किए थे। मेंटरशिप प्रशिक्षण, प्रधान कार्यालय में भी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बाहरी विशेषज्ञ द्वारा आयोजित किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 पर जागरूकता कार्यक्रम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विषय विशेषज्ञ की सहायता से आयोजित किया गया था। कार्यस्थल एवं व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तर पर योग एवं तनाव प्रबन्धन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्रेणी III के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया गया। वर्ष के दौरान नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए व्यापक कार्यपालक विकास कार्यक्रम तथा प्रवेश पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न आन्तरिक एवं बाहय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के सक्रिय प्रतिभागिता से कंपनी ने समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित कर्मचारी प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया।

TRAINING: In its endeavour to continuously upgrade the knowledge and skill-set of its employees, during the FY 2012-13, officers at various levels were sponsored for a wide range of training programmes for upgradation of skills. Senior level executives i.e. General Managers, Deputy General Managers, Assistant General Managers and Senior Managers were nominated to attend Management Development Programmes at reputed institutes like Indian Institute of Management (IIM) and Xavier School of Management (XLRI). The Company has initiated the Mentorship Development Programme for newly recruited Probationary Officers (POs) at HO and various branches. Mentorship training was also conducted at the HO, for senior officials, by an external expert. An awareness programme on RTI Act, 2005 was organized for senior officials of the Company with the assistance of an expert on the subject. To strike a balance between personal and work life, Yoga and Stress Management Programmes were organized at various levels. Basic computer training has also been imparted to Class III employees and officials. A comprehensive Executive Development Programme and Induction course was organized for newly recruited POs during the year. With the active participation of employees at all levels, in various in-house and external training programmes, the Company achieved the target for employee training set under the MOU.

डॉ.सी.रंगराजन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने दिनांक 3 अक्तूबर 2012 को निगम के प्रथम, प्रारंभ दिवस स्मारक के अवसर पर व्याख्यान दिया।

Dr. C. Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister delivered the First, Commencement Day Commemorative Lecture of the Corporation on 3rd October, 2012

विकलांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व :

कंपनी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। 31 मार्च 2013 को कंपनी के रोल पर इस श्रेणी के 13 कर्मचारी है। 31 मार्च 2013 को विभिन्न श्रेणी में कंपनी के कुल कर्मचारी बल में अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जन जाति (अजजा) के प्रतिनिधित्व का विवरण तथा कंपनी की सेवा में पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का विवरण पीडब्ल्यूडी (समान

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY (PWD):

The Company endeavours to provide employment to PWD. As of March 31, 2013, the Company has 13 employees on its rolls belonging to this category. Details of Representation of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the total manpower of the Company in various cadres as on March 31, 2013 and

अवसरों, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्णतः सहभागिता) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है और इसे क्रमशः **परिशिष्ट I** और **परिशिष्ट II** पर दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व :

कंपनी द्वारा अपनी सीधी भर्ती एवं आन्तरिक पदोन्नति में अजा/अजजा के आरक्षण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। भारत सरकार के संबंधित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद आधारित रोस्टर प्रणाली अपनाई है। अजा/अजजा/अपिव के सदस्यों द्वारा सीधी भर्ती से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों का विवरण तथा पदोन्नति द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों का विवरण रिपोर्ट के क्रमशः **परिशिष्ट III** एवं **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।

सामान्य प्रशासन

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के भीतर ही कंपनी द्वारा होने वाले राजस्व एवं पूंजी व्यय को उचित रूप से प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है। पूरे देश में कंपनी के स्वामित्व के परिसरों की देखभाल एवं रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है। नवम्बर 2012 से खरीदी एवं अधिप्राप्ति के लिए आन्तरिक दिशा निर्देश बनाए गए और उनका कार्यान्वयन किया गया। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ई-अधिप्राप्ति प्रणाली को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया। सभी शाखा प्रबंधकों से अखिल भारतीय स्तर पर 24 X 7, सम्पर्क में बने रहने के लिए मई 2012 से एक कॉर्पोरेट मोबाइल सम्पर्क लागू किया गया। भारत सरकार के सार्वजनिक अधिप्राप्ति पॉलिसी के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित कदम उठाए गए। सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए गए है कि एमएसएमई का विवरण प्रस्तुत करें जिनसे सामग्री एवं सेवाएं प्राप्त की गई हैं तथा भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। माइक्रो, लघु व मध्यम उद्यमों को किए गए भुगतान में कोई विलंब दर्ज नहीं किया गया।

कंपनी के सभी कार्यालयों को नियमित सहयोग एवं समर्थन सेवाएं प्रदान की गई।

of Representation of PWD in the service of the Company, in pursuance of the relevant provisions under PWD (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, are furnished in **Annexure I** and **Annexure II** respectively.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to the relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in direct recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment by members of SCs/STs/OBCs and Reserved vacancies filled in by promotions' under report are furnished in **Annexure III** and **Annexure IV** respectively.

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and capital expenditure incurred by the Company were properly managed and controlled, within the Annual Budget approved by the Board of Directors. Maintenance and upkeep of the Company-owned premises, all over India, were undertaken on a regular basis. Internal guidelines for purchase/procurement were drawn up and implemented, with effect from November, 2012. An e-procurement system was also successfully introduced, as per DOC, MOC&I guidelines. To remain connected with all the Branch Managers Pan India 24 X 7, a Corporate Mobile connection was introduced from May, 2012. Relevant steps have been taken, for effective implementation of the Public Procurement Policy for Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), as per the Govt. of India Public Procurement Policy. All the BOs/ROs have been advised to submit the details of MSMEs, from whom goods and services are being procured and to take necessary steps to implement the Govt. of India's Policy. There have been no reported cases of delayed payments to micro, small and medium enterprises.

Regular co-ordination and support services were extended to all offices of the Company.

अनुबंध - I

दिनांक 31.03.2013 तक निगम सेवाओं में अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा के उम्मीदवारों के कार्यबल का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कार्यबल का प्रतिशत		
	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा
क	16	4	7
ख	14	6	15
ग	42	11	3
घ	33	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल %	17	5	11

Annexure - I

REPRESENTATION OF SCs/ STs/ OBCs IN THE SERVICES OF THE COMPANY'S WORKFORCE AS ON 31.03.2013

Group	Percentage of Total Workforce		
	SCs	STs	OBCs
A	16	4	7
B	14	6	15
C	42	11	3
D	33	Nil	Nil
Total %	17	5	11

अनुबंध II

31.03.2013 तक निगम की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विकलांग व्यक्तियों की संख्या			कुल
	नेत्रहीन विकलांग	श्रवणहीन विकलांग	विकलांग	ने ही+ श्र ही+ विकलांग
क	0	0	1	1
ख	3	2	4	9
ग	1	0	1	2
घ	1	0	0	1
कुल	5	2	6	13

ने ही - नेत्रहीन विकलांग

श्र ही - श्रवणहीन विकलांग

विकलांग - विकलांग

Annexure - II

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE SERVICES OF THE COMPANY AS ON 31.03.2013

Group	No. of Disabled Persons			Total
	VH	HH	OH	VH+HH+OH
A	0	0	1	1
B	3	2	4	9
C	1	0	1	2
D	1	0	0	1
Total	5	2	6	13

VH - Visually Handicapped

HH - Hearing Handicapped

OH - Orthopaedically Handicapped

वर्ष 01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES DURING THE YEAR 01.01.2012 TO 31.12.2012

अनुबंध III Annexure III

(क) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by Direct Recruitment

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या						नियुक्त अनु जा/ अनु जन जा / अ पि जा की संख्या			पिछले वर्ष से आगे लाए गए अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा की रिक्तियों की सं (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अनु जा के आरक्षण में नियुक्त अनु जन जा के उम्मीदवार तथा अनु जन जा के आरक्षण में नियुक्त अनु जा के उम्मीदवारों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षण (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			पदों की कुल संख्या जिन्हें अगले वर्ष के न भरे गए आरक्षित रिक्तियों के रुप में आगे लाया गया.		
	बैकलॉग रिक्तियाँ		वर्तमान रिक्तियाँ		कॉलम (4) में से			कॉलम (5) में से																	
Class of Post	Total No of Vacancies				No. of vacancies reserved						No. of SC/ST/ OBC candidates appointed			No. of SC/ST/OBC vacancies carried forward from previous years(in such cases where dereservation is permitted)			No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted)			No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted)			No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year		
	Backlog Vacancies		Current Vacancies		Out of Col (4)			Out of Col (5)																	
	अधिसूचित	भरी गई	अधिसूचित	भरी गई	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी (I) समूह ए CLASS I Group (A)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (बी) CLASS II Group (B)	0	0	33	33	2	4	10	2	4	10	2	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (सी) CLASS III Group (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (डी) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वर्ष 01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों का विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES DURING THE YEAR 01.01.2012 TO 31.12.2012

अनुबंध IV Annexure IV

(ख) (01.01.2012 से 31.12.2012) पदोन्नति के ज़रिए भरे जाने वाले पद
(B) Posts filled by promotion (01.01.2012 to 31.12.2012)

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		रिक्तियों की संख्या कॉलम (2) में से		अनु जा / अनु जन जा के लिए आरक्षित कॉलम (3) में से		अनु जा / अनु जन जा के उम्मीदवार		पिछले वर्ष से आगे लाई गई अनु जा / अनु जन जा की रिक्तियों की संख्या		आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष में अनु जा के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर पदोन्नत अ.ज.जा. की संख्या व इसके विपरीत		तीन वर्षों तक आगे लाए जाने के पश्चात व्यपगत रिक्तियों की संख्या		अगले वर्ष के लिए आगे लाए जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
Class of Posts	Total No. of Vacancies		No. of Vacancies Out of Col. (2)		Reserved for SC/ST Out of Col.(3)		No. of SC/ST Candidates promoted		No. of SC/ ST vacancies carried forward from the previous years		No. of ST promoted against vacancies reserved for SC in the third year of carry forward and vice versa		No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years		No. of vacancies carried forward to next year	
	अधिसूचित	भरी गई	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा	अनु जा	अनु जन जा
	Notified	Filled	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी (I) समूह ए CLASS I Group (A) **	14	14	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (बी) CLASS II Group (B)	22	22	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (सी) CLASS III Group (C)	6	6	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (डी) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** यह आंकड़ा समूह 'क' के केवल न्यूनतम पदक्रम, अर्थात प्रबंधकों से संबंधित है।

** This data pertains only to the lowest rung of Group A i.e. Manager

जोख़िम बाटने का सिद्धांत :

ऋण बीमाकर्ता बीमा कराने वाले को हुई हानि का **100%** क्षतिपूर्ति नहीं करता है, अपितु आपसी सहमति से हानि के कुछ प्रतिशत की क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार से यह सुनिश्चित होता है कि बीमा कराने वाले का निर्यात संपादनों में यथेष्ठ स्टेक होता है। इसको इस तरह से वहन किया जाना चाहिए कि बीमा कराने वाला निष्पादन तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा कर सके।

Principle of Risk Sharing :

The credit insurer does not indemnify 100% of the losses incurred by the insured, but a certain mutually agreed percentage of the losses, thus envisaging that the insured has a reasonable stake in the export transactions. This should be borne out by the manner in which the insured carries out the transaction(s) and protects the assets.

कंपनी शासन
CORPORATE GOVERNANCE

कंपनी शासन / CORPORATE GOVERNANCE

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का सिद्धांत

कंपनी संप्रेषण में अपनी पारदर्शिता तथा ईमानदारी और सभी स्टेक धारकों को पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है। भारत सरकार की संस्था होने के कारण कंपनी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं सर्वश्रेष्ठ कंपनी शासन को सुनिश्चित करने का नियमित प्रयास करती है और समर्पित रहती है।

निगम स्वयं को अपने स्टेक धारकों का ट्रस्टी मानता है तथा स्टेक धारकों की सम्पत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा व हितों के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने कंपनी नीतियों को अपनाने तथा मॉनिटरिंग , विवेकशील कारोबार योजना,निगम के कारोबार के मुख्य जोखिमों की मॉनिटरिंग तथा इसके वैधानिक व नीतिगत दायित्वों के अनुसरण के ज़रिए इन उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा।

कंपनी शासन पर नई पहल

कंपनी शासन में सुधार के अपने प्रयास में कंपनी ने पहले ही कुछ नए कदम उठाए है :- (i) कारोबार आचरण संहिता तथा अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए नीति (ii) निगम की अनुपालन नीति (iii) ईसीजीसी की लेखापरीक्षा समिति नियम 1999 में संशोधन तथा (iv) अपने निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति अपनाना।

निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मंडल के गठन में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक (अथवा जहाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वहीं व्यक्ति हों) तथा तीन से कम और तेरह से अधिक निदेशक न हों। अन्य निदेशकों में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात- निर्यात बैंक, भारतीय सामान्य बीमा निगम, सार्वजनिक बैंकों, भारतीय निर्यात संस्थान फेडरेशन, निर्यात विकास परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। आज की तारीख में बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के लिए तेरह पदों में से चार रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। 31 मार्च 2013 को निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों के नाम, जन्म- तिथि, नियुक्ति की तिथि तथा श्रेणियाँ जिनके अधीन उन्हें नियुक्त किया गया है का विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है :

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes full, accurate and clear information available to all stake holders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks in the Company's business and pursuing policies and procedures to satisfy legal and ethical responsibilities.

NEW INITIATIVES ON CORPORATE GOVERNANCE

In its endeavour to improve upon Corporate Governance, the Company has already undertaken certain new initiatives such as adoption of i) Code of Business Conduct and Ethics for its Board Members and Senior Management Personnel; ii) Compliance Policy of the Corporation; iii) Modification to the ECGC Audit Committee Rules, 1999 and iv) Adoption of Training Policy for its Directors.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Article 57& 63, provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director (or a Chairman-cum-Managing Director where the office is held by one and the same person) and not less than three and not more than thirteen other Directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sectors Banks, Federation of Indian Export Organisations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, four of the thirteen positions for part time Directors on the Board remain vacant.The process of filling up these vacancies has already been initiated. The names of Directors on the Board as on 31st March, 2013 along with their dates of birth, dates of appointment and categories under which they were appointed are furnished in Table 1 below:

सारणी 1 / Table 1

क्र.सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	जन्म तारीख Date of Birth	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	संवर्ग Category
1.	श्री एन.शंकर Shri N. Shankar	20.04.1956	19.10.2011	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
2.	श्री अरविंद मेहता Shri Arvind Mehta	16.11.1960	दिनांक 05.05.2010 से निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दि. 01.03.2011 से 18.10.2011 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 19.10.2011 से पुनः निदेशक Director from 05.05.2010, CMD (Additional Charge) from 01.03.2011 till 18.10.2011 and again Director from 19.10.2011	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Department of Commerce, MoC&I, GoI)
3.	डॉ. आलोक शील Dr. Alok Sheel	01.02.1956	26.10.2009 (दिनांक 10.10.2012 से निदेशक नहीं) 26.10.2009 (Ceased to be Director with effect from 10.10.2012)	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance,GoI)
4.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन Shri T. C. A. Ranganathan	19.11.1953	11.05.2010	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
5.	श्री के आर कामथ Shri K. R. Kamath	19.11.1955	20.10.2010	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part -Time Director
6	श्री हरी एस. भरतिया Shri Hari S. Bhartia	12.12.1966	20.12.2010	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
7.	श्री वसंत मेहता Shri Vasant Mehta	16.01.1945	07.01.2011	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
8	श्री रफीक अहमद मक्का Shri Rafeeque Ahmed Mecca	17.09.1947	13.03.2012	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
9	श्री ए.के.रॉय Shri A. K. Roy	02.07.1955	30.04.2012	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
10	श्री जी.गोपालकृष्ण Shri G. Gopalakrishna	11.03.1956	04.10.2012	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Government Director

निदेशक मंडल की बैठकों के विवरण तथा उपस्थिति

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक आवश्यक है। वर्ष 2012-13 के दौरान छः बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष के

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ATTENDANCE

The Board of Directors is required to meet at least once every three months, as per the provisions of Section 285 of the Companies Act, 1956. There were 6 meetings held during the FY

दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों के विवरण व उनमें निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित सारणी 2 में दर्शायी गयी है :

सारणी 2

क्र. सं.	बैठक संख्या	बैठकों की तारीख	मंडल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	379	18.04.2012	9	4
2.	380	21.05.2012	10	5
3.	381	06.07.2012	10	6
4.	382	10.08.2012	9	3
5.	383	09.11.2012	9	6
6.	384	08.02.2013	9	6

वर्ष 2012-13 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी 3 में दर्शाया गया है :

सारणी 3

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	6/6
2.	श्री अरविंद मेहता	4/6
3.	डॉ. आलोक शील	1/4
4.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन	4/6
5.	श्री के आर कामथ	3/6
6.	श्री हरी एस. भरतिया	0/6
7.	श्री वसंत मेहता	2/6
8.	श्री रफीक अहमद मक्का	4/6
9.	श्री वी.एस.दास	2/3
10	श्री ए.के.रॉय	3/5
11.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/2

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 299 (3) के तहत वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त फार्म सं. 24 कक के प्रकटीकरण के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक अन्य मंडलों के निदेशक पद का भार भी संभालते हैं का विवरण निम्नलिखित सारणी 4 में दर्शाया गया है :

सारणी 4

क्र. सं.	अन्य मंडलों के निदेशक पद का भार संभालने वाले निदेशकों के नाम	अन्य मंडलों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	0
2.	डॉ. आलोक शील	0
3.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	2
4.	श्री के आर कामथ	5
5.	श्री वसंत मेहता	0
6.	श्री वी.एस.दास	0

2012-13. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2012-13 and attendance of individual Directors in those meetings are furnished below in Table 2:

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	379	18.04.2012	9	4
2.	380	21.05.2012	10	5
3.	381	06.07.2012	10	6
4.	382	10.08.2012	9	3
5.	383	09.11.2012	9	6
6.	384	08.02.2013	9	6

Attendance of Individual Directors in the meetings held during the FY 2012-13 are furnished below in Table 3:

Table 3

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	6/6
2.	Shri Arvind Mehta	4/6
3.	Dr. Alok Sheel	1/4
4.	Shri T. C. A. Ranganathan	4/6
5.	Shri K. R. Kamath	3/6
6.	Shri Hari S. Bhartia	0/6
7.	Shri Vasant Mehta	2/6
8.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	4/6
9.	Shri V. S. Das	2/3
10	Shri A. K. Roy	3/5
11.	Shri G. Gopalakrishna	1/2

Details of holding other Directorships in public limited companies by Directors on the Board as per disclosure u/s 299(3) of the Companies Act, 1956 in the Form 24AA received for the FY 2012-13 are furnished below in Table 4:

Table 4

Sr. No.	Name of the Directors holding other directorships	No. of other directorships
1.	Shri N. Shankar	0
2.	Dr. Alok Sheel	0
3.	Shri T. C. A. Ranganathan	2
4.	Shri K. R. Kamath	5
5.	Shri Vasant Mehta	0
6.	Shri V. S. Das	0

लेखा परीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

वर्तमान में कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में पाँच गैर - कार्यकारी निदेशक शामिल हैं यथा श्री जी.गोपालकृष्ण, श्री अरविंद मेहता, श्री टी. सी.ए.रंगनाथन, श्री ए.के.राय तथा श्री वसंत मेहता। श्री जी.गोपालकृष्ण लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 292 क के अनुरूप किया गया है। सुश्री स्मिता पंडित, कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। यह समिति कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 292 क के प्रावधानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाती है।

आलोच्य वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 21.05.2012, 21.06.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 तथा 08.02.2013 को पाँच बार बैठक की। एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 5 में दिया गया हैं :

सारणी 5

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री अरविंद मेहता	2/5
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	4/5
3.	श्री वसंत मेहता	2/5
4.	श्री वी.एस.दास	2/2
5.	श्री ए.के.रॉय	3/3
6.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/2

निवेश समिति - संरचना और उपस्थिति

आलोच्य वर्ष के दौरान दिनांक 21.05.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 तथा 08.02.2013 को निवेश समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में निवेश समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 6 में दिया गया है :

सारणी 6

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री अरविंद मेहता	2/4
3.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/4
4.	श्री ए.के.रॉय	3/3
5.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/2

AUDIT COMMITTEE- COMPOSITION AND ATTENDANCE

As on date, the Audit Committee of the Company comprises five non-executive Directors, viz., Shri G. Gopalakrishna, Shri Arvind Mehta, Shri T. C. A. Ranganathan, Shri A. K. Roy and Shri Vasant Mehta. Shri G. Gopalakrishna is the Chairman of the Audit Committee. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements under Section 292A of the Companies Act, 1956. Ms. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee. The Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956.

The Audit Committee met 5 times on 21.05.2012, 21.06.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 and 08.02.2013 during the financial year under consideration. The details of attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished in Table 5:

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/Total no. of meetings held
1.	Shri Arvind Mehta	2/5
2.	Shri T. C. A.Ranganathan	4/5
3.	Shri Vasant Mehta	2/5
4.	Shri V. S. Das	2/2
5.	Shri A. K. Roy	3/3
6.	Shri G. Gopalakrishna	1/2

INVESTMENT COMMITTEE-COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee met 4 times on 21.05.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 and 08.02.2013 during the financial year under consideration. The details of the attendance of the Directors/Members at the Investment Committee meetings are furnished in Table 6:

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/Total no. of meetings held
1.	Shri N.Shankar	4/4
2.	Shri Arvind Mehta	2/4
3.	Shri T. C. A. Ranganathan	3/4
4.	Shri A. K. Roy	3/3
5.	Shri G. Gopalakrishna	1/2

पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति की संरचना और उपस्थिति

आलोच्य वर्ष के दौरान दिनांक 21.05.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 तथा 08.02.2013 को पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 7 में दिया गया है :

सारणी 7

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/4
3.	श्री ए.के.रॉय	3/3
4.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/2

जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना और उपस्थिति

आलोच्य वर्ष के दौरान दिनांक 21.05.2012, 01.09.2012, 09.11.2012 तथा 08.02.2013 को जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 8 में दिया गया है :

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/4
3.	श्री ए.के.रॉय	3/3
4.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/2

पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति के कुछ निदेशक सदस्यों के सेवानिवृत्ति के कारण 10 मई 2013 को कंपनी के पारिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया। श्री अरविंद मेहता, श्री वसंत मेहता, श्री ए.के.रॉय, और श्री जी. गोपालकृष्ण समिति के वर्तमान सदस्य हैं। श्री वसंत मेहता समिति के अध्यक्ष है।

निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर एवं नियमित विकास परियोजना एसडी पर बोर्ड की समिति

कंपनी के सीएसआर और एसडी परियोजना/ गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल की एक समिति का गठन किया गया है। समिति में श्री वसंत मेहता. श्री अरविंद मेहता और श्री ए.के.रॉय शामिल है।

POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE-COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee met 4 times on 21.05.2012, 10.08.2012, 09.11.2012 and 08.02.2013 during the financial year under consideration. The details of the attendance of the Directors/Members at the Policyholders' Interest Protection Committee meetings are furnished in Table 7:

Table 7

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	4/4
2.	Shri T. C. A.Ranganathan	3/4
3.	Shri A. K. Roy	3/3
4.	Shri G.Gopalakrishna	1/2

RISKS MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risks Management Committee met 4 times on 21.05.2012, 01.09.2012, 09.11.2012 and 08.02.2013 during the financial year under consideration. The details of the attendance of the Directors/Members at the Risk Management Committee meetings are furnished in Table 8:

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	4/4
2.	Shri T. C. A.Ranganathan	3/4
3.	Shri A. K. Roy	3/3
4.	Shri G.Gopalakrishna	1/2

REMUNERATION COMMITTEE

The Remuneration Committee of the Company has been re-constituted on 10th May, 2013 in the wake of retirement of some of the Directors who were members of Remuneration Committee. The present members of the Committee are Shri Arvind Mehta, Shri Vasant Mehta, Shri A. K. Roy and Shri G. Gopalakrishna. Shri Vasant Mehta is the Chairman of the Committee.

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS (SD)

A Committee of the Board of Directors has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. The Committee consists of Shri Vasant Mehta, Shri Arvind Mehta and Shri A. K. Roy.

वार्षिक साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न वार्षिक साधारण बैठकों के विवरण सारणी 9 के अनुसार हैः

सारणी 9

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	तारीख व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हों
1.	2009-10	20 जुलाई 2010, 1600 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
2.	2010-11	27 जुलाई 2011, 1530 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
3.	2011-12	6 जुलाई 2012, 1800 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं

कारोबार आचरण संहिता व नीति

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता व नीति बनायी है जिसे कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर डाला गया है।

प्रकटन

किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों और संस्थानों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें सामान्य व्यापारिक लेन-देन के अलावा कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं इसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिसकी समय- समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को लागू किया है जिससे प्रत्येक कर्मचारी किसी अस्वीकार्य/ अनैतिक कार्यों और / या कदाचार का कोई कार्य किसी भी स्तर पर उनकी नजर में आता है तो वे उसे बिना किसी परिणाम के भय के सूचित कर सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें।

कंपनी पर कोई भी गैर अनुपालन का मामला नहीं पाया गया और किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न सांविधि से संबंधित किसी मामले में कंपनी पर कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

चूंकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा भारत सरकार की ओर से सात अन्य नामांकितों के पास 100% इक्विटी शेयर हैं इसलिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के निष्पादन में कंपनी की लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

ANNUAL GENERAL MEETINGS

The details of the Annual General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 9:

Table 9

Sr. No.	Financial Year	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed, if any
1.	2009-10	July 20, 2010 1600 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
2.	2010-11	July 27, 2011 1530 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
3.	2011-12	July 06, 2012 1800 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transaction carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risks Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy so that each employee feels safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties were imposed on the Company by any statutory or regulatory authority on any matter related to various statutes of the land during the last three years.

The audited accounts of the Company are being laid on the table of both the houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक : वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 8 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है और कंपनी के सभी शेयर धारकों यथा भारत सरकार को आवश्यक सूचना भेज दी गई है।

(ख) 31 मार्च 2013 तक शेयर धारण का स्वरुप : निगम भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति, निगम द्वारा जारी प्रत्येक संपूर्ण चुकता ' 100/- के 10,00,00,000 इक्वीटी शेयरों के धारक हैं सिवाय उन आठ शेयरों के जो भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के नामितों के नाम पर हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता : श्रीमती स्मिता पंडित, कंपनी सचिव, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि, एक्सप्रेस टॉवर्स, दसवीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 ई-मेल smita.pandit@ecgc.in

संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट : कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर हमारे बारे में खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक अलग समर्पित सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जो यूजर फ्रेंडली है और डाउनलोड की जा सकती है।
- वित्तीय परिणाम : कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in पर नियमित रूप से वार्षिक, छमाही एवं तिमाही परिणाम पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट : लेखा परीक्षित लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित वार्षिक रिपोर्टों को सदस्यों तथा अन्य पात्र अधिकारियों में परिचालित किया जाता है। प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट की हिस्सा होती है।

कृते व निदेशक मंडल की ओर से

एन.शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 जुलाई 2013

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The Annual General Meeting for the current year is scheduled to be held at New Delhi on July 8, 2013 and required notice has been sent to all the shareholders of the Company i.e. the Government of India.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2013: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100/- each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Ms. Smita V. Pandit, the Company Secretary, Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-smita.pandit@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report and other important information is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Annual Report.

For and on behalf of the Board of Directors

N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi
Dated: 8th July, 2013

कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र

मैं, स्मिता वी.पंडित एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय समय पर संशोधित कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है व इसमें कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

स्मिता वी.पंडित
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 जुलाई 2013

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 8th July, 2013

कारको का सिद्धांत (समीपस्थ कारण) :

जब हानि एक से अधिक कारणों से होती है तो बीमाकर्ता की देयता का निर्णय लेने के लिए निकटवर्ती अथवा समीपस्थ अथवा आसन्न कारण के आधार पर विचार किया जाएगा।

Principle of Causa Proxima (Nearest Cause) :

When a loss is caused by more than one cause, the proximate or the nearest or the closest cause will be taken into consideration to decide the liability of the insurer.

वित्तीय विवरण
FINANCIAL STATEMENTS

फार्म बी- आरए / FORM B-RA
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
Revenue Account for the year ended 31st March, 2013

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002

Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	796,04,30.95	766,25,24.95
2 निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ/हानि Profit/Loss on Sale/Redemption of Investment		3,69,64.20	1,45,55.95
3 अन्य Others			
- शुल्क - Fee		1,12,80.10	87,20.28
- दावों और प्रीमियम पर ब्याज - Interest on Claims & Premium		2,58,59.78	1,09,02.62
- विनिमय घटबढ़ लाभ (शुद्ध) - Exchange Fluctuation Profit (net)		18,98.34	-
- विविध आय - Miscellaneous Income		1,78,73.26	3,03,78.94
4 ब्याज व लाभांश - सकल Interest & Dividend - Gross		215,19,16.79	189,48,63.48
कुल (क) Total (A)		**1020,62,23.42**	**962,19,46.22**
1 उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	812,80,35.03	679,61,20.58
2 कमीशन Commission	3	(55,04,44.34)	(57,92,01.69)
3 बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	138,24,89.30	126,69,46.07
4 अन्य - प्रीमियम की कमी Other - Premium Deficiency		(46,86,08.56)	46,86,08.56
कुल (ख) Total (B)		**849,14,71.43**	**795,24,73.52**
विविध कारोबार अंतरण से लाभ व हानि खाते (क-ख) में परिचालित लाभ/(हानि) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business Transfer to Profit & Loss A/c (A-B)		171,47,51.99	166,94,72.70

FINANCIAL STATEMENTS

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40ग (2) के अधीन आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह प्रतीत होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार से संबंधित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रबंधन से संबंधित सभी व्ययों को पूर्णतया व्यय के रूप में राजस्व खाते के नामे लिखा गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

फार्म बी- पीएल / FORM B-PL
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2013

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 परिचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)			
(क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance		-	-
(ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance		-	-
(ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance		171,47,51.99	166,94,72.70
2 निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS			
(क) ब्याज व लाभांश - सकल (a) Interest & Dividends - Gross		176,06,59.19	161,41,42.96
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		3,02,43.44	1,23,99.51
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		-	-
3 अन्य आय OTHER INCOME			
(क) फैक्टरिंग आय (a) Factoring Income		-	-
(ख) एन ई आई ए आय (b) NEIA Income		1,14,29.63	47,89.78
(ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ (c) Rent & Other Receipts		7,20.90	5,50.64
(घ) विविध आय (d) Miscellaneous Income		5,67,69.56	77,67.51
कुल (क)/Total (A)		357,45,74.71	330,91,23.10
4 प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (OTHER THAN TAXATION)			
(क) निवेशों के मूल्यह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
(ख) फैक्टरिंग के लिए प्रावधान (b) Provisions for Factoring			

FINANCIAL STATEMENTS

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
- मानक आस्ति - Standard Asset		-	-
- अवमानक आस्ति - Sub Standard Asset		-	-
- संदिग्ध आस्ति - Doubtful Asset		-	-
(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		-	-
5 अन्य आय **OTHER EXPENSES**			
(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
- निवेशों के लिए किए गए व्यय - Expenses towards Investments		85,51.12	83,34.22
- निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय - Expenses towards Corporate Social Responsibility		5,00,00.00	2,35,50.00
- विविध व्यय - Miscellaneous Expense		1,45,99.08	
(ख) अन्य - फैक्टरिंग व्यय (b) Others - Factoring expenses		-	-
कुल (ख) / Total (B)		**7,31,50.20**	**3,18,84.22**
कर पूर्व लाभ (क - ख) Profit Before Tax (A-B)		350,14,24.51	327,72,38.88
घटाएँ / Less:			
कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
- आस्थगित कर - Deferred Tax		13,63,75.94	(16,31,64.25)
- वर्तमान कर - Current Tax		96,00,00.00	105,66,00.00
- न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता - MAT Credit Entitlement		-	12,54,00.00
(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		14,31.08	63,04.29
(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्षों के दौरान (c) Tax Adjustments- Earlier Years		(2,42,62.34)	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for appropriation**		242,78,79.83	225,20,98.84

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
विनियोजन **Appropriations**			
(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividend paid during the year		-	27,00,00.00
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend distribution tax on Interim Dividend		-	4,38,00.75
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final Dividend		60,00,00.00	27,00,00.00
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax on Proposed dividend		10,19,70.00	4,38,00.75
(ड़.) सामान्य निधियों में अंतरण (e) Transfer to General Reserve		172,60,10.49	162,45,00.00
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ / हानि शेष Balance of profit / loss brought forward from last year		1,00.66	1,03.32
तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष Balance carried forward to Balance Sheet		-	1,00.66

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

FINANCIAL STATEMENTS

फार्म बी-बीएस / FORM B-BS
31 मार्च 2013 तक का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2013

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
I. निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी Share Capital	5	1000,00,00.00	900,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष Reserves and Surplus	6	1417,74,97.64	1245,15,87.81
उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		19,24,60.89	22,58,74.93
उधार Borrowings	7	-	-
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		-	-
कुल Total		**2436,99,58.53**	**2167,74,62.74**
II. निधियों का प्रयोग APPLICATION OF FUNDS			
निवेश Investments	8	3937,94,47.50	3340,43,21.13
ऋण Loans	9	-	-
स्थिर परिसम्पत्ति Fixed Assets	10	152,64,15.44	147,04,60.75
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ Deferred Tax Assets		6,72,67.96	20,36,43.90
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Current Assets			
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	1122,77,98.26	952,44,67.50
अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	622,52,81.94	504,85,39.32
उप कुल (क) Sub Total (A)		**1745,30,80.20**	**1457,30,06.82**
वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	13	2862,49,69.73	2287,81,46.87
प्रावधान Provisions	14	543,12,82.84	509,58,22.99
उप कुल (ख) Sub Total (B)		**3405,62,52.57**	**2797,39,69.86**

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क-ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(1660,31,72.37)	(1340,09,63.04)
उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		-	-
विविध व्यय (उसी सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
कुल **Total**		**2436,99,58.53**	**2167,74,62.74**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	16		
लेखा के भाग बनने वाली टिप्पणयाँ Notes forming Part of Accounts	17		

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -1 / SCHEDULE -1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
सीधे हामीदारी कारोबार से प्रीमियम Premium from Direct Business	1157,25,49.45	1004,83,31.67
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ: सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	326,72,86.49	243,27,32.73
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	830,52,62.96	761,55,98.94
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(34,48,32.01)	4,69,26.01
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	796,04,30.95	766,25,24.95

अनुसूची -2 / SCHEDULE -2
प्रदत्त दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		548,50,41.55	713,03,22.70
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance accepted		-	-
घटाएँ: सौंपा गया पुनर्बीमा Less : Reinsurance ceded		139,29,52.28	125,90,93.74
वर्ष के दौरान वसूल किए गए Less : Recovered during the year	120,53,79.20		168,63,27.28
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को वापस लौटाए गए Less : Share of reinsurer	16,05,99.69		30,88,29.78
		104,47,79.51	137,74,97.50
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) Net Claims paid (A)		304,73,09.76	449,37,31.46
जोड़े : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		2588,17,02.65	2082,33,96.36
घटाएँ वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)		15,62,79.34	17,86,98.32
(ख) / (B)		2572,54,23.31	2064,46,98.04
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)		2082,33,96.36	1860,17,37.72
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		17,86,98.32	25,94,28.80
(ग) / (C)		2064,46,98.04	1834,23,08.92
कुल प्रदत्त दावे (क+ख-ग) / Total Claims Incurred (A + B - C)		812,80,35.03	679,61,20.58

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -3 / SCHEDULE -3
कमीशन / COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन / Commission paid		
सीधे / Direct	1,94,24.63	2,67,28.30
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	56,98,68.97	60,59,29.99
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(55,04,44.34)**	**(57,92,01.69)**

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएँ Employees' Remuneration and Welfare benefits		76,32,78.74	70,71,54.32
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses		7,31,32.45	6,42,52.68
3	प्रशिक्षण व्यय Training expenses		95,57.79	94,20.94
4	किराया, दर व कर Rent, Rates & Taxes		10,00,94.16	7,36,13.97
5	मरम्मत Repairs		9,76,23.40	8,55,18.40
6	प्रिंटिग व स्टेशनरी Printing & Stationery		88,14.92	1,48,36.82
7	सूचना व्यय Communication expenses		1,14,06.79	1,56,41.99
8	कानूनी व व्यावसायिक चार्ज Legal & Professional charges		1,16,36.10	79,83.37
9	लेखापरीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees, expenses, etc	- सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क - Statutory Audit Fee	50,48.19	38,87.81
		- कर लेखा परीक्षा शुल्क - Tax Audit Fee	9,58.84	8,56.49
		- अन्य (किया गया फुटकर व्यय) - Others (Out of Pocket Expenses)	8,78.64	13,09.70
10	विज्ञापन व प्रचार Advertisement and Publicity		5,68,45.13	4,52,69.74

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
11 ब्याज व बैंक चार्ज Interest and Bank Charges		6,88.42	8,74.68
12 समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क Concurrent Audit Fee		28,14.47	25,38.21
13 परामर्श कार्य संबंधी शुल्क Consultancy Charges		65,41.46	40,47.85
14 बिजली शुल्क Electricity Charges		2,59,39.83	2,16,37.02
15 बीमा प्रीमियम Insurance Premium		24,13.48	37,47.11
16 परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि (शुद्ध) तथा बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ Loss on Sale of Asset (net) & Asset written off		28,48.71	5,47.37
17 हैसियत जाँच व्यय Status Enquiry Expenses	5,59,13.83		6,39,23.94
घटाएँ: हैसियत जाँच शुल्क Less: Status Enquiry Fees	1,42,90.65		1,54,91.62
		4,16,23.18	4,84,32.32
18 विनिमय घटबढ़ हानि (शुद्ध) Exchange Fluctuation Loss (net)		-	-
19 बर्न यूनियन व्यय Berne Union Expenses		5,06.05	3,71.44
20 सदस्यता व अन्य शुल्क Membership and other fees		1,64,50.81	1,57,83.36
21 निवेशों के लिए परिचालन व्यय Operating expenses towards Investments		1,04,51.37	97,83.65
22 संपत्ति कर Wealth Tax		81,91.79	89,63.25
23 कारोबार संवर्धन व्यय Business Promotion Expenses		1,08,63.84	1,34,87.64
24 एनईआईए गारंटी शुल्क NEIA Guarantee Fee		1,03,68.55	-
25 विविध व्यय Miscellaneous Expenses		4,14,04.76	3,81,65.70
26 मूल्यह्रास Depreciation		6,21,07.43	6,88,20.24
27 स्थिर आस्तियों की अनर्जक हानि Impairment Loss of Fixed Assets		-	-
कुल / Total		**138,24,89.30**	**126,69,46.07**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -5 / SCHEDULE -5

शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
	₹ 100 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each	**1000,00,00.00**	1000,00,00.00
	(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
2	जारी पूंजी Issued Capital		
	₹ 100 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each	**1000,00,00.00**	900,00,00.00
	(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 9,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
3	अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital	**1000,00,00.00**	900,00,00.00
	₹ 100 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 9,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी Called up & Paid-up Capital	**1000,00,00.00**	900,00,00.00
	₹ 100 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each		
	(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 9,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
	जोड़ें: जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रुप से प्रदत्त राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	-	-
	घटाएँ: पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य Less : Par Value of Equity Shares bought back	-	-
	घटाएँ: आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses	-	-
	शेयरों के बीमा अंकन अथवा हामीदारी पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	-	-
कुल / Total		**1000,00,00.00**	**900,00,00.00**

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -5क / SCHEDULE -5A

शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान वर्ष Current Year		पिछले वर्ष Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) (As Certified by the Management)				
प्रवर्तक Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति व उनके नामिती सदस्य President of India & His Nominees	10,00,00,000	100.00	9,00,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	**10,00,00,000**	**100.00**	**9,00,00,000**	**100.00**

अनुसूची -6 / SCHEDULE -6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा General Reserve - Opening Balance	1245,14,87.15	1082,69,87.15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during year	172,60,10.49	162,45,00.00
		1417,74,97.64	1245,14,87.15
	वर्ष के दौरान कटौती Deduction during year	-	-
		1417,74,97.64	1245,14,87.15
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि Catastrophe Reserve	-	-
6	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) Other Reserves (to be specified)	-	-
7	लाभ व हानि खाता में शेष Balance in Profit & Loss Account	-	1,00.66
	कुल /Total	**1417,74,97.64**	**1245,15,87.81**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -7 / SCHEDULE -7
उधार / BORROWINGS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 डिबेंचर / बाँड्स Debentures/Bonds	-	-
2 बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटाने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3 वित्तीय संस्थान Financial Institutions	-	-
4 अन्य Others	-	-
कुल / Total	-	-

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8
निवेश / INVESTMENTS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1 सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government Securities	**1054,09,90.51**	905,33,32.79
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	**687,97,25.10**	516,83,78.95
2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ Other approved Securities	**65,17,14.38**	100,19,11.56
3 स्वीकृत निवेश Approved Investments		
क. शेयर a. Shares		
कक . इक्विटी aa. Equity	**483,22,81.75**	454,72,11.75
खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
ख. म्यूचुअल फ़ंड b. Mutual Funds	-	-
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8
निवेश / INVESTMENTS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
घ. डिबेंचर्स / बॉण्डस d. Debentures/Bonds		
I. आवास क्षेत्र बॉण्डों में निवेश I . Investment in housing sector bonds	402,78,64.31	357,82,03.01
II. बाज़ार क्षेत्र बॉण्डों में निवेश II . Market sector bonds	412,97,42.63	343,31,30.08
च. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
छ. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
ज. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4 मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	623,82,06.98	529,07,07.63
5 अन्य निवेश Other Investments	2,39,18.97	24,13,16.43
कुल (क) / Total (A)	**3732,44,44.63**	**3231,41,92.20**
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government Securities	-	5,00,22.45
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	-	-
2 अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	35,00,00.00	-
3 मान्य निवेश Approved Investments		
क. शेयर a. Shares		
कक. इक्विटी aa. Equity	-	-
खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
ख. म्यूचुअल फ़ंड b. Mutual Funds	-	-

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8
निवेश / INVESTMENTS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
घ. डिबेंचर्स / बॉण्डस d. Debentures/Bonds		
I. आवास क्षेत्र बॉण्डो में निवेश I . Investment in housing sector bonds	55,00,01.24	39,26,16.48
II. बाज़ार क्षेत्र बॉण्डो में निवेश II. Market sector bonds	20,00,00.53	5,00,00.00
च. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
छ. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
ज. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4 मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	95,50,01.10	59,74,90.00
5 अन्य निवेश Other Investments	-	-
कुल (ख) / Total (B)	**205,50,02.87**	**109,01,28.93**
कुल (क+ख) / Total (A+B)	**3937,94,47.50**	**3340,43,21.13**

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9
ऋण / LOANS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 **प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
ज़मानती / Secured		
(क) सम्पत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
भारत में In India	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-
घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for doubtful debts	-	-
(ख) शेयरों, बाँडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities	-	-

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9
ऋण / LOANS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
(ग) अन्य - (गैर जमानती) (c) Others - (Unsecured)	-	-
कुल / Total	-	-
2 लेनदारवार वर्गीकरण BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	-
(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
(ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries	-	-
(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
(च) अन्य (e) Others	-	-
कुल / Total	-	-
3 निष्पादन वार वर्गीकरण PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
(क) मानक के रुप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard		
भारत में (कर्मचारियों को ऋण) in India (Loans to employees)	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-
(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण (b) Non-performing loans less provisions		
भारत में In India	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-
कुल / Total	-	-
4 परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
(क) अल्पावधि (a) Short Term	-	-
(ख) दीर्घावधि (b) Long Term	-	-
कुल / Total	-	-

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 10 / Shedule - 10
स्थिर आस्ति / FIXED ASSETS

(₹ '000)

क्र. सं/ Sr. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक/ Gross Block					मूल्य ह्रास/ Depreciation					आस्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets				शुद्ध ब्लॉक/ Net Block	
		प्रारंभिक/ Opening	समायोजन/ Adjustment	परिवर्धन/ Additions	कटौतियाँ / Deductions	अंतिम / Closing	प्रारंभिक/ Opening	समायोजन / Adjustment	वर्ष के लिए / For the year	बिक्री पर / समायोजन / On sale / Adjustment	आज तक/ To date	प्रारंभिक/ Opening	अतिरिक्त अनर्जन / Additional impairment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक/ To date	तक / As at 31.03.2013	तक / As at 31.03.2012
1	साख Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त Intangibles	3,83,68.39	-	-	-	**3,83,68.39**	2,92,42.90	-	81,76.12	-	**3,74,19.02**	-	-	-	-	**9,49.37**	91,25.50
3	भूमि- पूर्ण स्वामित्व वाली Land - freehold	75,21,50.81	-	-	53,14.16	**74,68,36.65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**74,68,36.65**	75,21,50.82
4	पट्टे पर ली गई सम्पत्ति Leasehold Property	5,87,63.54	-	-	-	**5,87,63.54**	1,06,72.41	-	6,90.11	-	**1,13,62.52**	-	-	-	-	**4,74,01.02**	4,80,91.13
5	बिल्डिंग Building	42,25,30.12	-	1,24,58.73	-	**43,49,88.85**	9,33,82.55	-	68,89.52	(39.19)	**10,03,11.26**	-	-	-	-	**33,46,77.59**	32,91,47.57
6	फर्नीचर तथा फिटिंग्स Fittings	14,26,88.01	-	37,77.12	2,43.88	**14,62,21.25**	8,98,64.15	-	78,47.22	1,64.65	**9,75,46.72**	1.25	-	-	1.25	**4,86,73.29**	5,28,22.60
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	15,25,72.15	-	80,21.59	62,25.72	**15,43,68.02**	11,69,41.84	-	1,48,20.54	61,42.96	**12,56,19.42**	-	-	-	-	**2,87,48.60**	3,56,30.30
8	वाहन Vehicles	6,55,00.63	-	81,99.86	26,53.12	**7,10,47.37**	4,04,11.21	-	2,02,07.23	26,50.17	**5,79,68.27**	-	-	-	-	**1,30,79.10**	2,50,89.41
9	कार्यालय उपकरण Office Equipments	5,36,82.82	-	57,92.11	26,45.97	**5,68,28.96**	2,14,63.44	-	34,76.68	12,84.70	**2,36,55.42**	37.93	-	36.96	0.97	**3,31,72.57**	3,21,81.46
कुल Total		**168,62,56.47**	**-**	**3,82,49.41**	**1,70,82.85**	**170,74,23.03**	**40,19,78.50**	**-**	**6,21,07.42**	**1,02,03.29**	**45,38,82.63**	**39.18**	**-**	**36.96**	**2.22**	**125,35,38.19**	**128,42,38.79**
प्रगतिरत कार्य Work in progress																**27,28,77.25**	**18,62,21.96**
कुल योग Grand Total		**168,62,56.47**	**-**	**3,82,49.41**	**1,70,82.85**	**170,74,23.03**	**40,19,78.50**	**-**	**6,21,07.42**	**1,02,03.29**	**45,38,82.63**	**39.18**	**-**	**36.96**	**2.22**	**152,64,15.44**	**147,04,60.75**
पिछले वर्ष Previous Year		**168,42,65.27**	**(0.01)**	**1,31,87.13**	**1,11,95.92**	**168,62,56.47**	**34,33,85.98**	**-**	**6,88,20.24**	**1,02,27.72**	**40,19,78.50**	**39.18**	**-**	**-**	**39.18**	**147,04,60.75**	**143,19,46.72**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -11 / SCHEDULE -11

नकदी व बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 नकदी (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	**3,55,77.32**	2,90,49.66
2 बैंक शेष Bank Balances		
(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): Short Term (due within 12 months):		
अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	**859,87,93.29**	859,39,14.96
वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institutions	**124,86,00.00**	50,00,00.00
अन्य Others		
अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	**120,51,18.47**	31,31,93.29
वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institution	**-**	-
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	**13,96,09.18**	8,82,09.59
(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	**1,00.00**	1,00.00
3 मांगे जाने व अल्प नोटिस पर मुद्रा Money at Call and Short Notice		
बैंकों के पास With Banks	**-**	-
अन्य संस्थानों के पास With other Institutions	**-**	-
4 अन्य Others	**-**	-
कुल / Total	**1122,77,98.26**	**952,44,67.50**

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12
अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
अग्रिम / ADVANCES			
1 सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies		-	-
2 निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments		-	-
3 समयपूर्व भुगतान Prepayments		**5,14,02.35**	5,54,45.53
4 निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors / Officers		-	-
5 प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of provision for taxation)		**324,63,07.52**	237,68,60.01
6 न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता MAT Credit Entitlement		-	-
7 बैंकों को लेखागत दावा अदायगी On account claim payment to Banks	6,00.00		6,00.00
घटाएँ : संदिग्ध दावों की वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	6,00.00		6,00.00
	-	-	-
8 कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees		**10,69,17.98**	10,84,14.55
9 व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses		**44,66.33**	27,21.78
कुल (क) Total (A)		**340,90,94.18**	**254,34,41.87**
अन्य परिसम्पत्तियाँ / OTHER ASSETS			
1 निवेशों पर प्रोद्भूत आय Income accrued on Investments		**122,91,58.81**	95,79,92.26
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums		-	-
3 एजेंटों के शेष Agents' Balances		-	-
4 विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies Balances		-	-
5 बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाईयों से देय Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)		**34,03,15.78**	24,23,17.40
6 गौण / धारक इकाईयों से देय Due from subsidiaries/holding		-	-

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12
अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
7 भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरुप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)		**9,95,25.00**	9,95,25.00
8 आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan		**3,37,42.46**	3,31,61.01
9 विविध देनदार Sundry Debtors			
मानक परिसम्पत्तियाँ Standard Asset			-
घटाएँ: मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset			-
(I)	-		-
अवमानक परिसम्पत्तियाँ Sub-standard Asset	-		-
घटाएँ: अवमानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub-standard Asset	-		-
(II)	-	-	-
संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
घटाएँ: संदिग्ध परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
(III)	-	-	-
(I + II + III)		-	-
10 अधिमानित / अदा किए गए दावों की वसूली के लिए प्रावधान Provision for recovery of claims preffered/paid		**15,62,79.34**	17,86,98.32
11 अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	88,12,22.42		92,03,82.56
घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	95,11.50		95,11.50
	87,17,10.92	**87,17,10.92**	91,08,71.06
12 विविध जमा Sundry Deposits	8,54,55.45		8,56,75.92
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		31,43.52
	8,54,55.45	**8,54,55.45**	8,25,32.40
कुल (ख) / Total (B)		**281,61,87.76**	**250,50,97.45**
कुल (क + ख) / Total (A+B)		**622,52,81.94**	**504,85,39.32**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -13 / SCHEDULE -13

वर्तमान देयताएँ / CURRENT LIABILITIES

	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	एजेंटों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	59,55,06.83	20,56,65.47
3	सौपें गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	193,72,97.69	167,80,58.87
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	-	-
6	विविध देनदान Sundry Creditors	8,46,28.75	11,62,09.23
7	अनुषंगी / धारक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	-	-
8	बकाया दावे Claims outstanding	2588,17,02.65	2082,33,96.36
9	कर्मचारियों को देय Due to Employees	1,68,48.36	1,18,67.50
10	अन्य को देय - Due to Others - एन ई आई ए / NEIA	2,77,42.75	1,09,66.91
	- फ़ैक्टरिंग / Factoring	-	-
	- विविध / Miscellaneous	1,70,07.13	1,22,79.62
11	बीमाकृत - अदावी को देय Due to Insured - Unclaimed	6,42,35.57	1,97,02.91
12	बैंक बही ओवरड्राफ्ट- अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
कुल / Total		**2862,49,69.73**	**2287,81,46.87**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14

प्रावधान / PROVISIONS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	**415,26,31.48**	380,77,99.47
2 प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	-	46,86,08.56
3 निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	**8,77,94.50**	3,79,41.50
4 कराधान के लिए For Taxation		
- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
- सम्पत्ति कर - Wealth Tax	**81,91.69**	89,63.25
- उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5 प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	**60,00,00.00**	27,00,00.00
6 लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend Distribution Tax	**10,19,70.00**	4,38,00.75
7 सेवानिवृत्ति की सुविधाएँ - For Retirement Benefits -		
अर्जित छुट्टी / Earned Leave	**25,49,34.23**	22,33,23.85
उपदान / Gratuity	**1,89,76.72**	1,10,17.61
पेंशन / Pension	**20,67,84.22**	22,43,68.00
कुल / Total	**543,12,82.84**	**509,58,22.99**

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 शेयर / डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount allowed in issue of shares/debentures	-	-
2 अन्य Others	-	-
कुल / Total	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 16
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1 लेखा परिपाटी

1.1 सह वित्तीय विवरण,बीमा अधिनियम,1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों, बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (1), (2) व (5) व धारा 227 की उपधारा (5) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत व उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं जो बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेख़ा परीक्षकों की रिर्पोट व वित्तीय विवरणों को तैयार करना) विनियमन 2002 तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3 सी) में विनिर्दिष्ट लेख़ा मानकों का लागू सीमा तक अनुपालन करते हैं तथा जब तक वैसे दर्शाया न गया हो, ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है कि विचाराधीन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों की राशि तथा देयताओं व वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों तथा राजस्वों व व्ययों के रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमानों तथा पूर्व धारणाओं का सहारा लिया जाए। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जिन अवधियों के लिए परिणाम जाने गए / उत्पन्न हुए हैं के दौरान वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच अंतर हो सकता है।

2. अचल परिसम्पत्तियाँ व मूल्यन्हास :

2.1 अचल परिसम्पत्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से मूल्यन्हास को घटा कर दर्ज की गई हैं।

2.2 मूल्यन्हास का प्रावधान समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार संबंधित दरों पर सीधी रेखा पद्धति से किया गया है केवल वाहन और आईटी हार्डवेयर को छोडकर क्योंकि दिनांक 1 अप्रैल 2011 से इनके लिए मूल्यन्हास दर 20% किया गया है। वर्ष के दौरान वर्धित/निपटाई गई/परिसम्पत्तियों का वर्धन/निपटान की तारीख के संदर्भ में समानुपातिक आधार पर मूल्यन्हास किया गया।

2.3 ₹ 5000/- से कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ व मोबाइल हैंड सेट का खरीद के वर्ष में ही पूर्णतया मूल्यन्हास हो गया।

2.4 पट्टे वाली परिसम्पत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

SCHEDULE - 16
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the provisions of sub-sections (1), (2) and (5) of section 211 and sub-section (5) of section 227 of the Companies Act, 1956. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed by Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and the provisions of the Companies Act, 1956 to the extent applicable, and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION :

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except for Vehicles and IT hardware for which the depreciation rate has been changed to 20% with effect from 1st April, 2011. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

2.3 Assets costing less than ₹ 5,000 and mobile hand sets are fully depreciated in the year of purchase.

2.4 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.5 हार्डवेअर के समाकलित भाग के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेअर, जिसमें पूर्व में लोड किए गए सॉफ्टवेअर तथा नए ख़रीदे गए हार्डवेअर में लगाने के लिये ख़रीदे गए सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर के साथ पूंजीकृत किया गया है। उसके बाद के संशोधनों/सुधारों व अन्य लिए गए सॉफ्टवेअरों व आंतरिक तौर पर निर्मित सॉफ्टवेअर पर किए गए व्यय को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

2.6 सॉफ़्टवेयर विकास तथा उसे खरीदने की कीमतें जो कि आई सी ए आई द्वारा जारी अमूर्त परिसम्पत्तियों - ए एस- 26 के मानदंडों के अनुरुप रहीं को सॉफ़्टवेयर की उपयोगपूर्ण अवधि के दौरान पूंजीकृत व परिशोधित किया गया। यदि उपयोगपूर्ण अवधि का अनुमान लगाना मुमकिन न हो तो सीधे उसे उसकी खरीद की तारीख से 5 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाता है।

2.7 कमीशनिंग के अंतर्गत परियोजनाओं को मुख्य प्रक्रियाधीन पूंजीगत (सीडब्ल्यूआईपी) कार्य के रूप में लागत पर अग्रेषित किया जाता है और यह अग्रिमों एवं सीधे अट्रिब्युटबल लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

3. अनर्जन

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों की रखाव राशियों की समीक्षा की गई ताकि किसी प्रकार के अनर्जन को पहचाना जा सके। यदि इस प्रकार का कोई संकेत पाया गया तो परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया। जहाँ भी किसी परिसम्पत्ति की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पाई गई वहाँ अनर्जन की हानि को स्वीकार किया गया।

4. निवेश :

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरणों जैसे वाणिज्यिक पेपर तथा जमा प्रमाण पत्रों को उनके रियायत मूल्य पर दिखाया जाता है तथा खरीद मूल्य व शोधन मूल्य के बीच के अंतर को समय के आधार पर प्रभाजित किया जाता है व उसे उपचयित आय माना जाता है।

4.2 शेयरों, बॉण्डो, डिबेंचरों आदि को खरीदने के लिए किए जाने वाले करारों को सौदों की तारीख को " निवेश" के रूप में गिना जाता है।

4.3 निवेश मूल्य में खरीदने पर अदा किया गया प्रीमियम, व्यय,जैसे ब्रोकरेज,अंतरण स्टैम्प,अंतरण शुल्क आदि तथा उस पर प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो तो, की शुद्ध राशि शामिल है।

4.4 लाभांश को घोषणा के वर्ष के दौरान आय के रुप में माना जाता है।वसूली की तारीख को आपत्ति/ लंबित सुपुर्दगी के अधीन शेयरों पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गई। जहाँ वॉरंटों की तारीख 31 मार्च अथवा उसके पहले की थी वहाँ अंतरिम लाभांश की गणना की गई है।

4.5 निवेशों की उगाही पर लाभ/हानि की गणना निवेशों के मूल्य के रुप में औसत लेखा मूल्य को ध्यान में रखते हुए की गई है तथा परिपक्वता तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर लाभ/हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (एफआईएफओ) के आधार पर की गई।

2.5 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.6 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS - 26 - Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.7 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS :

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 सरकारी प्रतिभूतियों,ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमानित शेयरों की परिपक्वता तक मान कर तथा उसकी कीमत के आधार पर गणना की गई। तथापि बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों के खरीद के समय अदा किए गए प्रीमियम को परिपक्वता की परिशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया गया।

4.7 (क) म्यूचुअल फ़ंडों में निवेशों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर किया गया तथा मूल्य/अंकित मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गई।तथापि यदि मूल्य में घाटा पाया गया तो उसकी भरपाई राजस्व में से की जाएगी व निवेश के अंकित मूल्य में तदनुसार कटौती की जाएगी। पूर्व में पहचाने गए किसी भी घाटे की हानि को यदि उल्टा किया जाए तो उसे उस सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा जिस सीमा तक घाटे को स्वीकार कर कटौती की गई थी।

(ख) तुलन पत्र की तारीख को एन ए वी की अनुपलब्धता पर निवेश को उसके मूल्य के अनुसार ही दिखाया गया।

4.8 (क) बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार इक्विटी /इक्विटी संबंधी प्रपत्रों को सक्रीय रुप से व्यापारित तथा अल्प व्यापारित में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई व बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान हुए लेनदेन को देखते हुए शेयरों को अल्प व्यापारित श्रेणी में गिना गया है।

(ख) सक्रिय व्यापारित/अल्प व्यापारित प्रपत्रों की गणना आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। भारित औसत लागत तथा कोट किए गए मूल्य के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाता में डाला गया।

4.9 अल्प व्यापारित शेयरों तथा असूचीगत शेयरों में निवेशों को मूल्य के अनुसार दर्शाया गया। तथापि मूल्य तथा विश्लेषित मूल्य के अंतर को मूल्य में मूल्यन्हास के रूप में दर्शाया गया है। यह भी की यदि अल्प व्यापारित/असूचीगत शेयरों के लिए प्रावधानों की गणना करने की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात की तारीख तक असूचीगत कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक हैं तो सम्पूर्ण लागत के लिए प्रावधान किया गया हैं।

4.10 वे कंपनियों जो पिछले तीन वर्षों से निरंतर हानि में चल रहीं हों व जहाँ पूंजी की हानि हुई हो में सूचीगत इक्विटी/इक्विटी संबंधी प्रपत्रों/अधिमानित शेयरों में किए गए निवेश को मूल्य में घाटे की श्रेणी में गिना गया है। यह भी कि यदि मूल्य के घाटे की गणना की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात यदि किसी कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखों के आंकडे उपलब्ध न हों तो यह मान लिया जाएगा कि निवेशों पर पूर्ण रुप से हानि हुई है व उसे ₹ 1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर बट्टे खाते में डाल दिया गया।

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in Thinly Traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/ Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of ₹ 1/- per Company.

4.11 क) मूल्य में घाटे में शामिल किए जानेवाले निवेशों की गणना निम्नानुसार की गईः

(क) सक्रिय व्यापारित इक्विटी शेयर :- लागत मूल्य, बाज़ार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक हुआ तो ₹ 1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।

(ख) सक्रिय व्यापारित शेयरों के अलावा अन्य के संदर्भ में: - लागत मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक हुआ तो ₹ 1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।

(ग) अधिमानित शेयरों के मामले में यदि पिछले तीन वर्षों से लाभांश प्राप्त न हुआ हो तो : - अधिमानित शेयरों की गणना उसी मूल्य में की जाएगी जो उनका अंकित मूल्य हो,इक्विटी शेयरों के उसी अंश को लिए गए मूल्य / अंकित मूल्य वाले बट्टे खाते में डाले जानेवाले इक्विटी शेयरों के मूल्य में शामिल किया गया। तथापि यदि इक्विटी शेयर जिन्हें ₹ 1/-प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया, अधिमानित शेयरों की भी ₹ 1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर गणना की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार एक बार यदि सूचीगत इक्विटी/ इक्विटी से संबंधित प्रपत्र/अधिमानित शेयरों में निवेश के मूल्य का घाटा तय किया जाए तो इस प्रकार के हानि घाटे को राजस्व/लाभ व हानि खाते से केवल तब ही बाहर लाया जा सकता है जब उसे उलटने की तारीख को अथवा तत्काल पश्चात जिन कंपनियों में निवेश किया गया है उन कंपनियों के उपलब्ध प्रकाशित लेखों के नवीनतम आंकडों के अनुसार घाटे की राशि की हानि पूर्ण रुप से समाप्त हो जाए।

4.12 रिवर्स रेपो लेनदेनों को सुरक्षित उधार लेनदेन मानकर तदनुसार वित्तीय विवरणों में घोषित किया गया। सौदे के पहले व दूसरे चरण के कुल प्रतिफ़ल के बीच के अंतर को आय माना गया।

4.13 ''संपार्श्वीकीकृत उधार तथा उधार देने का दायित्व'' (सी बी एल ओ), जो कि अंकित मूल्य पर रियायत देते हुए जारी किया गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार प्रपत्र माना गया। सीबीएलओ के ज़रिए उधार देते समय अर्जित छूट की गणना आय में की गई जिसे समय के आधार पर प्रभाजित किया गया।

4.14 (क) सूचीगत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त वसूलियाँ, हानियों को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में रखा जाता है व उनकी प्राप्ति पर उन्हे लाभ तथा हानि के खाते में रिपोर्ट किया जाता है।

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹ 1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of ₹ 1/- per Company.

B) Once the value of investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "Collateralised Borrowing and Lending Obligation"(CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

(ख) ''उचित मूल्य खाते'' में लंबित वसूली, ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

5. प्रीमियम आय :

5.1 वर्ष के अंत तक प्राप्त अंतरण गारंटियों, बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (निष्पादन गारंटियों), अल्पावधि पॉलिसियों तथा बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा तथा घरेलू ऋण बीमा पॉलिसीयों व घरेलू ऋण बीमा से संबंधित प्रीमियम आय की गणना निर्यातक/बैंक से प्राप्त संबंधित घोषणा फार्मों / प्रलेखों के सत्यापन के बाद तथा उठाए गए जोख़िम के लिए देय प्रीमियम की प्राप्ति पर की जाएगी।

5.2 परियोजना और सावधि निर्यातों, ऋण व्यवस्थाओं तथा विदेशी निवेश बीमा से संबंधित दीर्घावधि पॉलिसियों/ बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा के संबंध में प्रीमियम आय को समय-समय पर जब भी व जैसे भी भुगतान / निर्यात की अनुसूची के आधार पर पॉलिसी/ गारंटी की अवधि के दौरान प्रभाजित किया गया है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ, वर्ष के लिए शुद्ध प्रीमियम आय के 50% तक ऱखी गई हैं।

7. प्रीमियम घाटा

प्रीमियम घाटा को तब पहचाना जाता है जब अनुमानित दावा मूल्य तथा संबंधित व्यय असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों से अधिक हो।

8. दावों पर देयता तथा अनुमानित वसूलियों का लेखा:

8.1 बकाया दावों के लिए देयता में अधिमानित, प्राप्त दावे तथा वर्ष के अंत तक बकाया शामिल है। यह भी कि वर्ष के अंत तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वहन किए गए किंतु रिपोर्ट न किए गए दावे (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान तथा बकाया हानि, यदि कोई हो तो उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान को हिसाब में लिया गया है।

8.2 अदा किए गए अथवा प्रावधान किए गए दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों (अंतरण विलंब की वसूलियों के अलावा) की गणना प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर की गई है। तथापि प्रदत्त दावों के संबंध में तथा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए बकाया दावों के संबंध में वसूलियों के लिए ₹ 100/- (सौ रुपए मात्र) का अनुमान किया गया है, भले ही ऐसे मूल्यांकनों पर उच्च वसूली का प्रावधान है। अदा किए गए अथवा प्रावधान किए गए अंतरण विलंब दावों संबंधी अनुमानित वसूलियों की गणना उपलब्ध जानकारी व गत अनुभव पर आधारित निगम के वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर की गई है।

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

5. PREMIUM INCOME :

5.1 Premium Income in respect of Transfer Guarantees, Export Credit Insurance for Banks (Export Performance), Short Term Policies, Export Credit Insurance for Banks and Domestic Credit insurance policies and Domestic Credit insurance for banks, received upto the end of the year is accounted for after verification of the relevant declaration forms/documents received from exporter/bank and on receipt of premium due for the risk undertaken.

5.2 Premium Income in respect of Long Term policies/ Export Credit Insurance for Banks relating to Project and Term Exports, Lines of Credit and Overseas Investment Insurance, is apportioned over the period of policy/ guarantee on the basis of the schedule of payments/ exports as and when drawn up from time to time.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. LIABILITY ON ACCOUNT OF CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES:

8.1 Liability towards outstanding claims comprises of claims preferred and outstanding at the year end. Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.2 The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at ₹ 100 (Rupees one hundred only) even if higher recovery provision is estimated on such assessments. The estimated recoveries on account of transfer delay claims paid, is accounted on the basis of the Corporation's current perceptions based on the available information and past experience.

8.3 निम्नलिखित जिन दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है उनके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

निगम द्वारा अस्वीकृत दावे और जिन दावों के संबंध में कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है सिवाए ऐसे मामलों के जहाँ प्रतिकूल निर्णय हुआ था। इस प्रकार के दावों के मामलों के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।

बैंकों द्वारा अधिमानित दावे जिनकी उनके द्वारा पुष्टि की गई है व देयों की वसूली के लिए किए जानेवाले समाधानात्मक प्रस्ताव विचाराधीन हों।

ऊपर उल्लेखित (i) व (ii) के संबंध में यदि ब्याज के लिए यदि कोई दावा किया गया है तो उस उद्देश्य के लिए न तो आकस्मिक देयता के लिए न ही प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया।

9. पुनर्बीमा :

9.1 जोखिम के आरंभ होने के वर्ष के दौरान ही जोखिम स्वीकारे (सौंपे)जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम की गणना कर ली गई। स्वीकार किए गए (सौंपे गए) प्रीमियम में तत्पश्चात यदि किसी प्रकार का संशोधन हो तो उस प्रकार के संशोधन के वर्ष से उसकी गणना की गई। पॉलिसियों को रद्द किए जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम का समायोजन की गणना उसे रद्द किए जानेवाले वर्ष से की गई है।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन की गणना सौंपे गए पुनर्बीमा की अवधि के लिए आय के रुप में किया गया है।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन लाभ कमीशन को, जहाँ भी लागू हो को, लाभों तथा जैसा भी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया हो, के अंतिम निर्धारण के वर्ष में गिना गया है।

9.4 पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा व्यवस्था की शर्तों के अनुसार प्राप्त की गई /प्राप्ति योग्य राशियाँ को दावों की अभिस्वीकृति के साथ ही स्वीकार किया गया है।

10. व्यय का प्रबंधन :

10.1 निगम दव्ारा वहन किए गए प्रबंधन के हर प्रकार के व्यय को बीमा कारोबार से संबंधित व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसीलिए इसे राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निवेशों से संबंधित व्ययों को महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 10.2 में उल्लेखित अनुपात के अनुसार राजस्व तथा लाभ व हानि खाते में प्रभाजित किया गया है।

10.2 वर्ष के आरंभ में ही ब्याज तथा लाभांशों से प्राप्त आय को शेयर धारकों की निधि तथा पॉलिसी धारकों की निधि के अनुपात में ही क्रमशः लाभ व हानि खाता तथा राजस्व खाते में प्रभाजित कर लिया गया है। शेयरधारकों की निधि में उधार सहित मुक्त प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में बकाया दावों के लिए किए गए प्रावधान तथा असमाप्त जोखिम की प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं।

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE :

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT :

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 The income from interest and dividends is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital and Free Reserves including Borrowings. Policyholders' Fund consists of provisions for outstanding claims and reserves for unexpired risks.

10.3 छपाई और लेखन सामग्री की वस्तुओं को जिस वर्ष खरीदा जाता है उनके बारे में यह मान लिया जाता है कि उनका उपयोग कर लिया गया है।

11. कर्मचारी सुविधाएँ :

11.1 निगम में उपदान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सुविधा योजना है। इस योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय अथवा उनकी सेवा समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन व निगम में उनकी सेवा अवधि के आधार पर एक मुश्त राशि अदा की जाती है। निगम बीमा कंपनी के रखरखाव वाली निधि में अपना अंशदान करता है। अंशदान की राशि वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.2 तुलन पत्र की तारीख को परियोजित इकाई ऋण पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन तथा बीमा कंपनी के पास शेष निधि के बीच की कमी की भरपाई के लिए प्रावधान किया गया है।

11.3 निगम की नीति के अनुसार निगम के कर्मचारी निबंधनों व शर्तों के अधीन अपने त्यागपत्र/ सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में शेष छुट्टियों का नकदीकरण करवाने के लिए पात्र हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में शेष छुट्टी का उपयोग करने के अनुमान के आधार पर अल्पावधि प्रतिपूरित अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है। तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है।

11.4 भविष्य निधि परिभाषित सुविधा योजना है। निधि में किया जानेवाला निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि के अर्जन विधि सम्मत निर्धारित न्यूनतम से कम हों तो निगम को उस कमी की भरपाई करनी होगी।

11.5 कर्मचारी भविष्य निधि सुविधाओं का लाभ एक निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए उठा सकते हैं जिसमें कर्मचारी योजना में कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान करते हैं। निगम पात्र कर्मचारियों जो दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके पश्चात तथा पात्र कर्मचारी जिन्होंने निगम में दिनांक 31.12.2003 को निगम की सेवाएँ ग्रहण की हैं तथा पेंशन सुविधा का विकल्प नहीं चुना है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह भविष्य निधि के लिए अंशदान किए जाते हैं।निगम अवधिक आधार पर किए जाने वाले इस प्रकार के अंशदानों पर अर्जन के दर की गारंटी देता है।निगम अर्जन में होने वाली कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा जिसका प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

11.6 कर्मचारी निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए पेंशन सुविधाएँ पाने के लिए पात्र हैं जिसमें निगम कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान देगा। कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 31/03/2010 को

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS :

11.1 The Corporation provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at the Balance Sheet date.

11.4 Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5 Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. Employees who have joined the Corporation on

अथवा उसके पश्चात निगम में सेवा ग्रहण की है और पेंशन सुविधा का विकल्प चुना है, वे पेंशन योजना के अंतर्गत रक्षित है। निगम ने पेंशन फ़ंड ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें पेंशन निधि में किए जानेवाले अंशदान को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। निगम अर्जनों में होनेवाली किसी भी प्रकार की कमी यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा जिसका प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

11.7 दिनांक 01.04.2010 को या उससे पहले निगम में नियुक्त कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) के सदस्य होने के पात्र होंगे। इस योजना में कर्मचारियों द्वारा अपने मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के @10% की दर से मासिक अंशदान दिया जाएगा। पात्र कर्मचारियों के बारे में इसी के बराबर निगम अंशदान करेगा। निगम का अंशदान वास्तविक आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा।

11.8 सभी दीर्घावधिक लाभ उपचयित आधार पर लिए गए हैं।

11.9 कर्मियों की सुविधा पर उपचयित लाभ / हानि तत्काल राजस्व खाते में लिए गए हैं।

12. आय कर:

12.1 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, कर का प्रावधान वर्तमान लेखा अवधि के लिए गणना की कर योग्य लाभ के आधार पर किया जाता है। कर कानून के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर का भुगतान किया गया है जो भावी आयकर देयता पर कर क्रेडिट के रूप में भावी आर्थिक लाभ को बढ़ा देता है, को तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि वहाँ ठोस सबूत है कि निगम भावी वर्षों में सामान्य कर अदा करेगा और जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति को विश्वास से मापा जा सकता है, को चालू लेखा अवधि के लिए गणना किए गए कर योग्य लाभ के आधार पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

12.2 प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित कर दरों तथा कानून के आधार पर आस्थगित कर की गणना की गई है और एक अवधि में उत्पन्न समय अंतर को पहचाना गया है तथा तत्पश्चात एक अथवा अधिक अवधियों के लिए उसे पलटा जा सकता है। जहाँ कहीं भी आगे लाए गए अनवशोषित कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यन्हास है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तब ही निर्धारित किया गया है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की निश्चितता का पूर्वाभास हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण केवल तभी किया जाता है जब भविष्य में उनकी उगाही की समुचित निश्चितता हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

13.1 प्रावधान का निर्धारण तब किया जाता है जब पिछली घटना के परिणाम के रूप में किसी उद्यम को वर्तमान में दायित्वों का निपटान करना होता है और यह संभव है कि दायित्वों के निर्वाह में स्रोतों

or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contributions' are charged to the Revenue Account on an accrual basis.

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX:

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives raise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS:

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,

का बहिर्गमन होगा, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। प्रावधान उसके वर्तमान मूल्य पर नहीं भुनाए जाते तथा उनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को परिलक्षित करने हेतु समायोजित किया गया है।

13.2 आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब निगम की देयता संभावित हो या वर्तमान देयता और इस बात की संभावना हो कि दायित्वों के निपटान हेतु नकद बहिर्गमन की आवश्यकता नहीं होगी।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का न तो निर्धारण किया गया न ही उनकी घोषणा की गई है।

14. फ़ैक्टरिंग:

14.1 फ़ैक्टरिंग सेवा चार्जों में ब्याज को जब भी वह उपचयित होता है तब ही उसकी गणना की जाती है।

14.2 फ़ैक्टर किए गए उधारों को विविध देनदारों के रुप में चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष में शामिल किया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सक्रीय तथा निष्क्रीय परिसम्पत्तियों के रुप में विभक्त किया गया है। आई आर डी ए द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के मानदंडों के आधार पर सक्रीय देनदारों को मानक परिसम्पत्ति तथा निष्क्रीय देनदारों को उप मानक , संदिग्ध तथा हानि रुपी परिसम्पत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फ़ैक्टर किए गए उधारों के मूल्य के तथा वसूली पर ग्राहकों को देय अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है व उन्हें फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते के रुप में दर्शाया गया है।

14.4 मुद्रागत परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के निपटान / लेनदेन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण उत्पन्न लाभ तथा हानि की वसूली ग्राहकों से की गई है।

14.5 उधारों की फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए के मानदंडों के अनुसार ही किया गया है। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसम्पत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। एन पी ए के लिए विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नानुसार आई आर डी ए द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

अवमानक परिसम्पत्ति	10% का सामान्य प्रावधान आरंभ से ही अरक्षित ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ वसूली योग्य प्रतिभूति आरंभिक 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसम्पत्ति:	
-रक्षित भाग:	एक वर्ष तक - 20%
	एक से तीन वर्ष तक - 30%
	तीन से अधिक वर्षों तक - 100%
-अरक्षित भाग:	100%
हानि युक्त परिसम्पत्ति:	100%

in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent Assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING:

14.1 Factoring Service charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA.

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients.

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Sub-standard Assets:	A general provision of 10% Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	Upto one year - 20%
	One to three years - 30%
	More than three years - 100%
-Unsecured portion:	100%
Loss Assets:	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता :

सम्पूर्ण रक्षा की अवधि के दौरान एन ई आई ए से प्राप्त प्रशासनिक चार्जों को समान रुप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

16.1 आरंभिक निर्धारण : लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा दर को लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 परिवर्तन : अंतिम दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को रिपोर्ट किया जाता है। गैर मुद्रागत वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में परंपरागत लागत के रुप में होती है को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर : मुद्रागत वस्तुओं के परिवर्तन अथवा निपटान के समय उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय अथवा व्यय के रुप में गिना गया है जिस अवधि के दौरान वे उत्पन्न हुए हैं तथा उन्हें निम्नानुसार अपेक्षित राजस्व खाते में डाला गया है :

प्रदत्त / प्रदान किए गए दावों की वसूलियों पर विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को '' प्रदान किए गए दावों (शुद्ध)'' शीर्ष के अंतर्गत रखते हुए ''वर्ष के दौरान वसूल'' शीर्ष में शामिल किया गया है।

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period

16. FOREX TRANSACTIONS :

16.1 Initial Recognition - Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion - Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences - Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account excepted as stated under:

Foreign exchange gain or loss on recoveries of claims paid/ provided are accounted under the head ''Claims incurred (net)'' and are included under the head ''recovered during the year''.

अनुसूची - 17

लेखे के भाग के रूप में व उससे संलग्न टिप्पणियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करना**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरण की तैयारी) विनियमन, 2002 व कंपनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू प्रावधानों तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसरण में बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)द्वारा निगम को प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में सह वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2. **स्वीकृत राशि की वसूली क्षमता :**

प्रबंधन के विचार से कारोबार की सामान्य स्थिति में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों की मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जितना उन्होंने तुलन पत्र तथा सभी ज्ञात व संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान में बताया गया है ।

3 **अचल परिसंपत्तियाँ :**

3.1 "भवन" के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों में ₹ 6,50.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 6,50.76 हज़ार) मूल्य की कुछ संपत्ति शामिल है जहाँ पंजीकरण की औपचारिकताएँ लंबित है। यह भी कि ₹ 5,76,51.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 5,75,11.06 हज़ार) की संपत्ति जिसके करार गुम हो गए हैं / वर्तमान में जिसके करार निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि निगम के पास इन संपत्तियों से संबंधित सहकारी संस्थानों से प्राप्त शेयर प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

3.2 स्थिर सम्पत्तियों के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 2,15 हज़ार) के स्थायी लाईसेंस शामिल हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए खरीदा गया है। आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार इस प्रकार के लाईसेंसों का स्वामित्व लाईसेंसों के लिए पूर्ण अदायगी कर दिए जाने के पश्चात कंपनी के नाम हो जाएगा। हालांकि निगम ने इस प्रकार के लाईसेंसों का '' उपयोग '' आरंभ कर दिया है, इस प्रकार के लाईसेंसों के कुल मूल्य को अमूर्त शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है तथा वह 5 वर्षों के पश्चात परिशोधित किया जाएगा ।

3.3 **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित शामिल है :**

i) कंसल्टेंसी एवं कार्यालय भवन के निर्माण के लिए संबंधित शुल्क के लिए ₹ 7,91,99.43 हजार (पिछले वर्ष ₹ 10,05,86.06 हजार)

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. **PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and the Insurance Act, 1938, pursuant to the permission granted to the Corporation by the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

2. **REALISABILITY OF STATED AMOUNTS**

In the opinion of the management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3 **FIXED ASSETS :**

3.1 ''Buildings'' under Fixed Assets include certain properties costing ₹ 6,50.76 thousands (previous year ₹ 6,50.76 thousands) where stamp duty has been paid and registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹ 5,76,51.06 thousands (previous year ₹ 5,75,11.06 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Corporation. However, the Corporation is in the possession of the share certificates of the Co-operative institutions in respect of these properties.

3.2 Intangible under Fixed Assets include perpetual licences purchased for use of software. Amount capitalised during the year in relation to acquisition of such licenses is NIL (previous year ₹ 2,15 thousands). As per the terms of agreement with the supplier, the ownership of such licences would pass to the Corporation on payment for such licences. Since the Corporation has 'put to use' such licenses, the total value of such licenses have been capitalised under the head Intangible and would be amortised over a period of 5 years from the date of asset 'put to use'.

3.3 **Capital Work in Progress includes :**

i) On account of Consultancy and related charges for construction of office building ₹ 7,91,99.43 thousands (previous year ₹ 10,05,86.06 thousands)

ii) पूंजी व्यय के लिए अग्रिम ₹ 25,12.81 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8,56,35.90 हजार)

iii) परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किया गया (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

4. **अनर्जन**

वर्ष के दौरान निगम को स्थिर आस्तियों में कुछ अनर्जक हानि नहीं हुई (पिछले वर्ष कुछ नहीं)। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की बिक्री पर निगम को ₹ 36.95 हजार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) की विपर्यस्त अनर्जक हानि हुई। दिनांक 31/03/2013 तक शेष अनर्जक हानि ₹ 2.23 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 39.18 हजार)। प्रबंधन की दृष्टि में अनर्जन की हानि के लिए प्रावधान आवश्यक है।

5. **अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ**

5.1 अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) निगम द्वारा अदा किए गए/देय दावों से ₹ 15,62,79.34 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 17,86,98.32 हज़ार) (पुनर्बीमा का शुद्ध) की अनुमानित वसूली का अनुमान किया जा रहा है जिसका निर्धारण कंपनी द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा प्रथा के अनुसार प्रत्येक मूल्यांकन/अनुमान के आधार पर किया गया है।

(ख) न्यायालय के आदेश पर निगम के खिलाफ दायर दावों के मामलों के जिनपर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, के लिए ₹ 1,16,04.73 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 1,16,04.73 हज़ार) की राशि को जमा कर दिया गया है। जिसे विविध वस्तु जमाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गई है। यदि कोई समायोजन आवश्यक है उसे अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

5.3 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के प्रावधानों की शर्तों में जमाओं को ₹ 10,00,00 हज़ार के अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को [लागत व अंकित मूल्य ₹ 9,95,25 हज़ार) (पिछले वर्ष ₹ 9,95,25 हज़ार)] जिसे केनरा बैंक के ग्राहक सहायक सामान्य बही खाते (कॉन्स्टूयेंट सबसिडरी जनरल लेजर अकाउंट) (सी एस जी एल) में रखा गया है। इन जमाओं को उनकी परिपक्वता अवधि तक रखे जाने का आशय है अतः बाजार मूल्य में ऱ्हास हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. **चालू देयताएँ :**

6.1 चालू देयताओं में, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा रेटिंग के लिए लंबित, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31.03.2013 को निगम की अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि (पी एल

ii) Advance for Capital Expenses ₹ 25,12.81 thousands (previous year ₹ 8,56,35.90 thousands)

iii) Assets not put to use NIL (previous year NIL)

4. **IMPAIRMENT**

During the year the Corporation has provided for impairment loss amounting to NIL (previous year NIL) on fixed assets. On sale of the impaired assets, the Corporation has reversed impairment loss of ₹ 36.95 thousands (previous year NIL). The Balance of impairment loss as on 31st March, 2013 is ₹ 2.23 thousands (previous year ₹ 39.18 thousands). In the opinion of the management no further provision for impairment loss is considered necessary.

5. **ADVANCES AND OTHER ASSETS:**

5.1 Advances and other assets include:

a. ₹ 15,62,79.34 thousands (previous year ₹ 17,86,98.32 thousands) (net of re-insurance) being the estimated amount of recovery expected out of the claims paid/payable by the Corporation, which has been recognized on individual assessment/estimate basis as per the accounting practice followed by the Corporation.

b. An amount of ₹ 1,16,04.73 thousands (previous year ₹ 1,16,04.73 thousands) deposited in the Court of Law in pursuance of Court Order for claim suits filed against the Corporation and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

5.2 Interest on Housing Loans to employees is accounted for on accrued basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

5.3 Deposit in terms of the provisions of Section 7 of the Insurance Act, 1938 invested in the Government Securities of face value ₹ 10,00,00 thousands [Cost & Book value ₹ 9,95,25 thousands (previous year ₹ 9,95,25 thousands)] are kept in Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) Account with Canara Bank. These deposits are intended to be held till maturity and therefore no provision for diminution in the market value, if any, is considered.

6. **CURRENT LIABILITIES :**

6.1 Current Liabilities includes ₹ 78,30 thousands (previous year ₹ 68,94 thousands) towards Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Corporation as on 31st March, 2013 under

एल आई) के लिए ₹ 78.30 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 68.94 हज़ार) की गणना की गई है, अंतिम रेटिंग की जानकारी मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

6.2 आग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम जिसमें अधूरी जानकारी के कारण प्रीमियम की राशि जिसे समायोजित किया जाना शेष है, शामिल है। निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार कथित राशियों को आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के उपरांत ही आय के रूप में गिना गया है।

6.3 निगम द्वारा अपनाई गई लेखा प्रथानुसार, अधिमानित दावों व बकायों की देयता के लिए वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के दावों पर व्यक्तिगत दावों, देयताओं का निर्धारण कर उनके मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के विचार से इसका यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उस पर वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए व पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) दावों के समग्र प्रावधान तथा अशोधित हानियों जिसकी गणना नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बकाया हानि के मूल्यांकन के समय विचार किया जाएगा। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) के लिए अनुमानित देयता को निर्धारित करते हुए ₹ 1700,00,00 हज़ार की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1450,00,00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है।

7. पुनर्बीमा

निगम द्वारा वर्ष के दौरान कुल अध्यपर्ण में आई आर डी ए दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक बाध्यकारक अध्यपर्ण के अधीन निगम के संपूर्ण कारोबार के 10% (पिछले वर्ष 10%) (अल्पावधि, मध्यावधि व दीर्घावधि के कारोबार) को भारतीय साधारण बीमा निगम को सौंप दिया है। भारतीय साधारण बीमा निगम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड के साथ कोटा शेयर अध्यपर्ण 12% (पिछले वर्ष 13%) साथ ही साथ वर्ष के दौरान अतिरिक्त हानि (एक्स ओ एल) साधारण बीमा निगम के साथ अल्पावधि कारोबार कवर के लिए संधि अध्यपर्ण को दर्ज किया है।

पहले के वर्षों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्न रूप से था :

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल (अल्पावधि)
	बाध्यकारक	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध

निगम ने एनईआईए ट्रस्ट के साथ मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) सुरक्षा के अंतर्गत कोटा शेयर आधार पर कुछ उच्च मूल्य ऋण जोखिमों के लिए जोखिम साझा व्यवस्था की। एनईआईए ट्रस्ट को ₹ 1,20,66.17 हजार (पिछले वर्ष ₹ 1,61,63.01 हजार) कुल प्रीमियम का भुगतान किया।

the Annual Memorandum of Understanding (MoU) with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

6.2 Premium received in advance includes amounts of premium remaining to be adjusted on account of incomplete information. As per the accounting policy followed by the Corporation, the said amounts are recognized as income only after completion of necessary formalities.

6.3 As per the Accounting practice followed by the Corporation, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims, liabilities towards such claims has been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by Appointed Actuary (AA). Accordingly, an amount of ₹ 1700,00,00 thousands (previous year ₹ 1450,00,00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

7. REINSURANCE

The Corporation has ceded obligatory cession of 10% (previous year 10%) of the entire business of the Corporation (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDA guidelines to General Insurance Corporation of India (GIC). Quota Share cession is 12% (previous year 13%) with GIC, United India Insurance Company Ltd. and Oriental Insurance Company Ltd. The Corporation has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with GIC was entered into during the year.

The reinsurance programme for the earlier years was as under:

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08(only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available

The Corporation has also made risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust on Quota Share basis. The total premium paid to NEIA Trust is ₹ 1,20,66.17 thousands (previous year ₹ 1,61,63.01 thousands).

निगम ने गारंटी शुल्क के भुगतान पर कुछ मध्यम व दीर्घावधि सुरक्षा के लिए एनईआईए ट्रस्ट से गारंटी लिया है। इस व्यवस्था को आईआरडीए में अधिसूचित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान निगम ने एनईआईए ट्रस्ट को ₹ 1,03,68.55 हजार (पिछले वर्ष शून्य) की गारंटी शुल्क का भुगतान किया।

8. **फ़ैक्टरिंग**

आई आर डी ए के मानदंडों के आधार पर बकाया फ़ैक्टरिंग देयों के 0.40% के हिसाब से कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) किया गया है। आगे निगम ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए उपमानक आस्तियों के लिए कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) तथा संदिग्ध फैक्टरिंग देयों के लिए ₹ 7,04,26.80 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 7,04,26.80 हज़ार) का प्रावधान किया है।

9. **एन ई आई ए ट्रस्ट :**

निगम को प्राप्त आय कुल ₹ 1,14,29.63 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 47,89.78 हजार है) इसे अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम रुप में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क कुल ₹ 2,77,42.75 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 1,09,66.91 हज़ार) है. जिसे चालू देयताओं - अन्य - एन ई आई ए खाते में शामिल किया गया है।

10. **प्रीमियम आय :**

निगम द्वारा अपनाई गई समनुरूप प्रथा अनुसार, प्रीमियम आय को पोतलदान/ अग्रिम की तारीख/लेखा वर्ष जिससे वह संबंधित होता है, पर विचार किए बिना आवश्यक घोषणा के साथ उसकी प्राप्ति के समय हिसाब में लिया गया है।

11. निगम ने उन पॉलिसी धारकों के दावों को निरस्त कर दिया है जिनके विरुद्ध पॉलिसी धारकों ने संविदा के निष्पादन के लिए निगम के विरुद्ध याचिका दायर की है और मामला न्यायाधीन है। अनुसूची 13 के अंतर्गत अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम - वर्तमान देयताओं में शामिल ₹ 2,32,44.55 हज़ार की प्रीमियम की राशि को समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि पॉलिसी धारकों से घोषणा प्राप्त नहीं हुई है। निगम द्वारा जारी पॉलिसी की अवधि 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसीधारक निगम को ₹ 2,40,00 हज़ार न्यूनतम प्रीमियम के रूप में देने के लिए प्रतिबद्ध था तथा शेष का उपयोग न किए जाने की अवस्था में उसे लौटाना होगा।

चूंकि, पॉलिसी के दस्तावेज रिफंड या प्रीमियम के समायोजन का विकल्प प्रदान करते हैं और मामला न्यायाधीन है अतः संपूर्ण ₹ 2,32,44.55 हजार की राशि न्यूनतम प्रीमियम से अधिक या ऊपर ₹ 30,00 हजार की राशि सहित आईआरडीए द्वारा जारी दिनांक - 4 नवंबर 2010 के परिपत्र क्र. आईआरडीए/ एफएण्ड/सीआईआर/ सीएमपी/174/11/2010 के अनुसार अदावाकृत नहीं है।

वित्तीय विवरण

The Corporation has taken Guarantees from NEIA Trust for a few MLT Covers on payment of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the current year, Corporation paid Guarantee Fees to NEIA Trust ₹ 1,03,68.55 thousands (previous year NIL)

8. **FACTORING**

A provision of NIL (previous year NIL) is made at the rate of 0.40% of the standard factoring dues outstanding based on IRDA norms. The Corporation has made a provision of Nil (previous year Nil) on account of Sub-standard Assets and ₹ 7,04,26.80 thousands (previous year ₹ 7,04,26.80 thousands) on account of Doubtful Assets factoring dues in line with the IRDA norms.

9. **NEIA TRUST**

The Income received by the Corporation is ₹ 1,14,29.63 thousands (previous year ₹ 47,89.78 thousands) is included in Other Income. Administrative charges received in advance are ₹ 2,77,42.75 thousands (previous year ₹ 1,09,66.91 thousands). The same is included in Current Liabilities - Others - NEIA Trust.

10. **PREMIUM INCOME**

As per the consistent practice followed by the Corporation, premium income is accounted for at the time of its receipt along with necessary declarations, irrespective of the date of shipment / date of advance/accounting year to which it relates.

11. The Corporation has rejected the claim of a policyholder against which the policyholder has filed a suit against the Corporation for performance of the contract and currently the matter is sub-judice. Premium received in advance under Schedule 13 - Current Liabilities includes an amount of ₹ 2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the policyholder. The policy issued by the Corporation has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the policyholder had committed ₹ 2,40,00 thousands as the minimum premium to the Corporation and the balance is to be refunded to the policyholder in case the same is not utilized.

As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice the entire amount of ₹ 2,32,44.55 thousands (including amount of ₹ 30,00 thousands being over and above the minimum premium) is not unclaimed in accordance with the circular no. IRDA/F&A/CIR/CMP/174/11/2010 dated November 4, 2010 issued by the IRDA.

12. निगम ने पूर्व के वर्षों / वर्तमान वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए / अदा किए गए दावों पर चालू वसूली की है। इस प्रकार की वसूलियाँ विदेशी मुद्रा में भी हो सकती हैं . लेखागत नीति (अनुसूची 16) के मद संख्या 16.3 में उल्लेखित अनुसार इस प्रकार की वसूलियों में उत्पन्न विनिमय अंतर को " किए गए दावे (शुद्ध) " मद के अंतर्गत रखा गया है तथा उन्हें " वर्ष के दौरान वसूल " मद में शामिल किया गया है . लेनदेन की मात्रा को देखते हुए निगम इस प्रकार के सौदों में विनिमय लाभ / हानि का निर्धारण करने में अक्षम है।

13. शेष, विविध लेनदार, विविध देनदार तथा जमा, अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ जिसके अंतर्गत वसूलीयोग्य राशि, बीमाकृत शेषों की व्यक्तिगत खाता बहियाँ, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा शामिल हैं, पुष्टिकरण, मिलान व परिणामी समायोजन , यदि कोई हो तो के अधीन हैं।

14. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के प्रावधानों के अनुसरण में, निगम ने ₹ 5,78.62 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 5,02.41 हज़ार) की राशि केंद्र सरकार को देय कर के रूप में अदा की। उसका वास्तविक भुगतान ऐसे भुगतान के लिए संबद्ध नियमों की घोषणा के बाद किया जाएगा।

15. निगम द्वारा अपनाई गई मानक प्रथा के अनुसार निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिसमें निदेशक मंडल भी शामिल है, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों की माफी के विवेकाधिकार का उपयोग कर दावे निपटाए जाते हैं। ये सभी निपटाए गए दावे कंपनी के कारोबार के सामान्य तरीके से निपटाए गए माने गए।

16. निगम डेटा के प्रवाह के संबंध में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को व्यवस्थित करने की कार्रवाही कर रहा है ताकि कारोबार अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सके।

17. कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अनुलाभों में शामिल किए गए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कुल पारिश्रमिक नीचे दिए गए अनुसार है:

श्री एन.शंकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ '000)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष**
वेतन	16,04.75	6,13.00
भ.नि. में अंशदान	89.18	38.80
छु.या.रि	0.00	0.00
चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
कुल	16,93.93	**6,51.80**

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं

** (19/10/2011 से)

12. The Corporation on an ongoing basis recovers claims paid/ provided in earlier years/current year. Such recoveries may be in foreign currency. As stated in accounting policy (Schedule 16) 16.3 the Exchange difference on such recoveries are accounted under the head "Claims incurred (net)" and are included under the head "Recovered during the year". In view of the voluminous transactions the Corporation is unable to ascertain the amount of exchange gain/loss on such transactions.

13. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including amount recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium accounts, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

14. Pursuant to the provisions of Section 441A of the Companies Act, 1956, the Corporation has provided an amount of ₹ 5,78.62 thousands (previous year ₹ 5,02.41 thousands) towards cess payable to the Central Government. The actual payment thereof shall be made once the relevant rules for such payment are announced.

15. As per standard practice followed by the Corporation, claims are settled by the various officials of the Corporation including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Corporation.

16. The Corporation is in the process of streamlining the Information Technology System regarding the flow of data so that precise data is available for business applications.

17. The remuneration of Chairman-cum-Managing Director included in Employees' Remuneration and other Benefits is as under:

Shri N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

(₹ '000)

Particulars *	Current Year	Previous Year **
Salaries	16,04.75	6,13.00
Contribution to PF	89.18	38.80
Leave Travel Concession	0.00	0.00
Medical Expenses	0.00	0.00
Total	16,93.93	6,51.80

* Does not include Actuarial Valuations

** (From 19/10/2011)

FINANCIAL STATEMENTS

18. पूर्वावधि के समायोजन में शामिल :

नामे:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	12,11.85	52,55.31
एजेंसी कमीशन	0.00	6,29.17
विविध जमा	0.00	1,34.24
दर एवं कर	0.00	1,24.56
यात्रा व्यय	8.61	86.88
अन्य	1,18.37	77.67
पुनर्बीमा	0.00	29.00
मूल्यन्हास	70.92	0.00
किराया	51.10	0.00
इलेक्ट्रिसिटी	4.14	0.00
कुल	14,64.99	63,36.83

जमा :

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मूल्यन्हास	0.00	16.46
विविध जमा	0.00	12.95
अन्य	0.00	3.12
इलेक्ट्रिसिटी	33.91	0.00
कुल	33.91	32.53
शुद्ध नामे/ (जमा) पूर्व अवधि समायोजन	14,31.08	63,04.30

19. विदेशी मुद्रा में अर्जन व व्यय :

(₹ '000)

अर्जन	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	9,61,70.45	8,68,30.72

(₹ '000)

व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क और अन्य व्यय	19,63.12	34,70.16
यात्रा व्यय	26,10.26	22,80.12
हैसियत जाँच शुल्क	1,90,65.02	1,87,50.63
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	3,91.87	3,10.07
फैक्टरिंग सेवा प्रभार	0.00	22,15.52
पुनर्बीमा	18,43.24	67,43.67
अन्य	0.00	0.00
कुल	2,58,73.51	3,37,70.17

18. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS INCLUDE:

Debits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	12,11.85	52,55.31
Agency Commission	0.00	6,29.17
Sundry Deposit	0.00	1,34.24
Rates & Taxes	0.00	1,24.56
Travel Expenses	8.61	86.88
Others	1,18.37	77.67
Reinsurance	0.00	29.00
Depreciation	70.92	0.00
Rent	51.10	0.00
Electricity	4.14	0.00
Total	14,64.99	63,36.83

Credits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Depreciation	0.00	16.46
Sundry Deposit	0.00	12.95
Others	0.00	3.12
Electricity	33.91	0.00
Total	33.91	32.53
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	14,31.08	63,04.30

19. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	9,61,70.45	8,68,30.72

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	19,63.12	34,70.16
Travelling Expenses	26,10.26	22,80.12
Status Enquiry Fees	1,90,65.02	1,87,50.63
Books and Periodicals	3,91.87	3,10.07
Factoring Service Charges	0.00	22,15.52
Reinsurance	18,43.24	67,43.67
Others	0.00	0.00
Total	2,58,73.51	3,37,70.17

20. **खंडीय रिपोर्ट, संलग्न अनुबंध - 1 में उल्लेखित है - इसके साथ संलग्न।**

21. **संबंधित पार्टी प्रकटन, लेखा मानक संख्या 18 के अनुसार है।**

क. मुख्य प्रबंधन कर्मी :

i) श्री एन.शंकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख. निगम की संबंधित पार्टियाँ :

i) सहयोगी

क) एन ई आई ए खाता

ii) इकाईयाँ जिन पर नियंत्रण चलता है

क) ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड

ग. प्रमुख प्रबंधन कर्मी को अदा की गईं परिलब्धियाँ :

श्री एन.शंकर,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ '000)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष**
वेतन	16,04.75	6,13.00
भ.नि. में अंशदान	89.18	38.80
छु.या.रि	0.00	0.00
चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
कुल	**16,93.93**	**6,51.80**

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं

** (19/10/2011 से)

घ. संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन

(₹ '000)

क्र. सं	लेनदेन का स्वरूप	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड	कुल
1	वर्ष के लिए प्राप्त प्रशासनिक शुल्क	1,14,29.63 (47,89.78)	0.00 (0.00)	1,14,29.63 **(47,89.78)**
2	अग्रिम रुप में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क	2,77,42.75 (1,09,66.91)	0.00 (0.00)	2,77,42.75 **(1,09,66.91)**
3	प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अदा किए गए दावों के कारण वसूली	0.00 (12,78.87)	0.00 (0.00)	0.00 **(12,78.87)**
4	एनईआईए ट्रस्ट को पुनर्बीमा प्रीमियम सौंपा गया	1,20,66.17 (1,61,63.01)	0.00 (0.00)	1,20,66.17 **(1,61,63.01)**

20. **Segmental Reporting is given in Annexure - 1 attached.**

21. **Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard no. 18:**

a. Key Management Personnel:

i) Shri N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

b. Corporation's related parties:

i) Associates

a) NEIA Trust

ii) Entities over which control exists

a) The ECGC Employees Pension Fund

c. Remuneration paid to Key Management Personnel:

Shri N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

(₹ '000)

Particulars *	Current Year	Previous Year **
Salaries	16,04.75	6,13.00
Contribution to PF	89.18	38.80
Leave Travel Concession	0.00	0.00
Medical Expenses	0.00	0.00
Total	**16,93.93**	**6,51.80**

* Does not include Actuarial Valuations

** (From 19/10/2011)

d. Transactions during the year with related parties:

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	NEIA Trust	The ECGC Employees Pension Fund	Total
1	Administrative charges received for the year	1,14,29.63 (47,89.78)	0.00 (0.00)	1,14,29.63 **(47,89.78)**
2	Administrative charges received in advance	2,77,42.75 (1,09,66.91)	0.00 (0.00)	2,77,42.75 **(1,09,66.91)**
3	Recovery made on a/c of claims paid under stimulus package	0.00 (12,78.87)	0.00 (0.00)	0.00 **(12,78.87)**
4	Reinsurance premium ceded to NEIA Trust	1,20,66.17 (1,61,63.01)	0.00 (0.00)	1,20,66.17 **(1,61,63.01)**

क्र. सं	लेनदेन का स्वरूप	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड	कुल
5	वर्ष के अंत तक बकाया देय राशियाँ नामे शेष	2,59,35.73 (1,21,28.21)	0.00 (0.00)	2,59,35.73 **(1,21,28.21)**
6	कर्मचारी के हिस्से का अंशदान	0.00 (0.00)	22,64,35.26 (24,32,46.75)	22,64,35.26 **(24,32,46.75)**
7	गारंटी फीस का भुगतान	1,03,68.55 (0.00)	0.00 (0.00)	1,03,68.55 **(0.00)**

नोट : कोष्ठक में दर्शाए गए अंक पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं

22. आस्थगित कर लेखा

वर्ष के दौरान निगम लेखा मानक 22 के अनुसरण में आस्थगित कर के लिए उत्तरदायी है। जिसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान शुद्ध आस्थगित कर ₹ 13,63,75.94 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 16,31,64.25 हज़ार जमा) डेबिट किया गया है। वर्ष के अंत तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹ 6,72,76.96 हज़ार (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹ 20,36,43.90 हज़ार) थी। आस्थगित परिसंपत्तियों व आस्थगित कर देयताओं के विवरण निम्न अनुसार हैं :

(₹ '000)

विवरण	1.4.2012 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रभारित/जमा	31.3.2013 को अंत शेष
देयता			
मूल्यह्रास	5,01,66.60	(73,24.77)	4,28,41.83
कुल	**5,01,66.60**	**(73,24.77)**	**4,28,41.83**
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान	6,29,49.69	1,02,29.30	7,31,78.99
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2,61,34.18	0.00	2,61,34.18
उपदान के लिए प्रावधान	86,60.56	(25,03.56)	61,57.00
सीएसआर के लिए प्रावधान	0.00	0.00	
पी एल एल आई	22,36.76	3,03.68	25,40.44
दीर्घावधिक सेवा देयता	13,58.44	26.69	13,85.13
कंपनी अधिनियम की 441 ए धारा के अंतर्गत उपकर	4,38.54	2,75.51	7,14.05
प्रीमियम कमी के लिए प्रावधान	15,20,32.33	(15,20,32.33)	0.00
कुल	**25,38,10.50**	**(14,37,00.71)**	**11,01,09.79**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयता)	**20,36,43.90**	**(13,63,75.94)**	**6,72,67.96**

Sr. No.	Nature of Transactions	NEIA Trust	The ECGC Employees Pension Fund	Total
5	Outstanding dues as at year end - Debit Balance	2,59,35.73 (1,21,28.21)	0.00 (0.00)	2,59,35.73 **(1,21,28.21)**
6	Contribution of Employer's share	0.00 (0.00)	22,64,35.26 (24,32,46.75)	22,64,35.26 **(24,32,46.75)**
7	Guarantee Fees paid	1,03,68.55 (0.00)	0.00 (0.00)	1,03,68.55 **(0.00)**

Note: Figures in bracket represents previous year's amount

22. DEFERRED TAX ACCOUNTING

During the year the Corporation has accounted for the deferred tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax debit during the year amounting to ₹ 13,63,75.94 thousands (previous year Credit ₹ 16,31,64.25 thousands). The net deferred tax asset at the end of the year amounts to ₹ 6,72,67.96 thousands (previous year deferred tax asset ₹ 20,36,43.90 thousands). The breakup of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as under:

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01.04.2012	Charge/ Credit during the year	Closing at 31.03.2013
Liability			
Depreciation	5,01,66.60	(73,24.77)	4,28,41.83
Total	**5,01,66.60**	**(73,24.77)**	**4,28,41.83**
Assets			
Provision for leave encashment	6,29,49.69	1,02,29.30	7,31,78.99
Provision for doubtful debts	2,61,34.18	0.00	2,61,34.18
Provision for gratuity	86,60.56	(25,03.56)	61,57.00
Provision for CSR	0.00	0.00	
PLLI	22,36.76	3,03.68	25,40.44
Long Service liability	13,58.44	26.69	13,85.13
Cess u/s. 441A of Companies Act	4,38.54	2,75.51	7,14.05
Provision for Premium Deficiency	15,20,32.33	(15,20,32.33)	0.00
Total	**25,38,10.50**	**(14,37,00.71)**	**11,01,09.79**
Deferred Tax Asset / (Liability)	**20,36,43.90**	**(13,63,75.94)**	**6,72,67.96**

23. **प्रति शेयर अर्जनों की गणना निम्नानुसार है :**

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	अंश : लाभ व हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ (₹ '000)	**24,27,879.83**	225,20,98.84
ख)	हर : वर्ष के दौरान भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या	**938,90,411**	9,00,00,000
ग)	प्रति शेयर अर्जन (आधार भूत) : मूल (₹)	**25.86**	25.02
घ)	शेयरों का सांकेतिक मूल्य (₹)	**100.00**	100.00

निगम की शेयरों को कम करने की कोई भी संभावना नहीं है। परिणाम स्वरुप निगम की आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के फ़लस्वरुप हुए अर्जन एक समान हैं।

24. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची के भाग VI के भाग II के पैरा 3,4 क, 4 ग व 4 घ के अंतर्गत अपेक्षित अन्य अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है क्यों कि यह निगम के लिए लागू नहीं है।

25. **आकस्मिक देयताएँ:**

(₹ 000)

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से अदा किया गया निवेश	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
2.	पॉलिसी से संबंधित दावों को छोड़कर अन्य जिसे निगम द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया	**6,71,73.00**	1,27,78.00
3.	निगम के विरुद्ध पॉलिसी व ई सी आई बी से संबंधित दावे जिन्हें निगम द्वारा ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	**1054,35,01.47**	1005,20,30.47
4.	निगम द्वारा दी गई अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटियाँ	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	**206,91,32.00**	207,30,78.53
6.	आय कर	**212,65,87.70**	कुछ नहीं

23. **Earnings per share is calculated as under:**

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c	**24,27,879.83**	225,20,98.84
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	**938,90,411**	9,00,00,000
c)	Earnings per share: Basic (₹)	**25.86**	25.02
d)	Nominal Value of Shares (₹)	**100.00**	100.00

The Corporation does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Corporation remain the same.

24. Other additional information required under paras 3, 4A, 4C and 4D of Part II of Schedule VI of the Companies Act, 1956 is not given as the same is not applicable to the Corporation.

25. **CONTINGENT LIABILITIES:**

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	**Nil**	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Corporation	**6,71,73.00**	1,27,78.00
3.	Policies and ECIB claims against the Corporation not acknowledged as debt and not provided for	**1054,35,01.47**	1005,20,30.47
4.	Guarantees given by or on behalf of the Corporation	**Nil**	Nil
5.	Capital Commitments	**206,91,32.00**	207,30,78.53
6.	Income Tax	**212,65,87.70**	Nil

26. आई आर डी ए द्वारा अपने परिपत्र संख्या एफ व ए / परि/017/मई - 04 दिनांक 18 मई 2004 द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसरण में दिनांक 31.03.2013 तक कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 46,86,08.56 हज़ार) प्रीमियम में कमी आंकी गई।

(₹ '000)

विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
खंड	विविध		
संबंधित प्रीमियम	1	415,26,31.48	380,77,99.47
अपेक्षित दावा लागत और संबंधित व्यय	2	345,92,13.89	383,29,27.94
अपेक्षित अनुरक्षण लागत	3	49,12,57.28	44,34,80.09
कमी	4 = 1-2-3	0.00	(46,86,08.56)

27. **निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान**

भारत सरकार - भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग) ने अपने परिपत्र संख्या एफ. संख्या.15(3)/2007- डीपीई(जीएम) दिनांक 9 अप्रैल 2010 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है कि निगमित सामाजिक दायित्व के लिए पैसे व्यय करें। उक्त परिपत्र के शर्तों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च के लिए निगम ने ₹ 4,98,53 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2,35,00 हजार) का प्रावधान किया है। निगमित सामाजिक दायित्व के शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 8,77,94.50 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3,79,41.50 हजार) की राशि बकाया रखी है।

28. बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार प्रकटन, इसके साथ अनुबंध - 2क व 2 ख के अनुसार संलग्न है।

29. अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधिक जमाओं (अनुसूची 11) जिसमें ₹ 68,93.29 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 35,14.96 हज़ार) शामिल हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹ 40,18.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 68,93.29 हज़ार) शामिल हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹ 40,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 40,00,00 हज़ार) शामिल हैं जिसे कारपोरेशन बैंक के पास बंधक रखा गया है।

वित्तीय विवरण

26. Premium deficiency has been identified as on 31.03.2013 of Nil (previous year ₹ 46,86,08.56 thousands) as required by IRDA vide circular no. F&A/CIR/017/May-04 dated 18th May, 2004.

(₹ '000)

Particulars		Current Year	Previous Year
Segment	Miscellaneous		
Relevant Premium	1	415,26,31.48	380,77,99.47
Expected Claim Cost and related expenses	2	345,92,13.89	383,29,27.94
Expected Maintenance Cost	3	49,12,57.28	44,34,80.09
Deficiency	4 = 1-2-3	0.00	(46,86,08.56)

27. **PROVISION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Government of India - Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises) vide their Circular No. F.No.15(3)/2007-DPE(GM) dated April 9, 2010 have issued the guidelines to the Public Sector Enterprises to expend money on account of Corporate Social Responsibility. The Corporation has made a provision of ₹ 4,98,53 thousands (previous year ₹ 2,35,00 thousands) on account of money to be expended on Corporate Social Responsibility as per the terms of the said circular. The total amount lying outstanding under the head Reserve for Corporate Social Responsibility is ₹ 8,77,94.50 thousands (previous year ₹ 3,79,41.50 thousands)

28. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-2A & 2B.

29. Short Term deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) includes deposits of ₹ 68,93.29 thousands (previous year deposits of ₹ 35,14.96 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Long Term deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) includes deposits of ₹ 40,18.47 thousands (previous year ₹ 68,93.29 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) includes ₹ 40,00,00 thousands (previous year ₹ 40,00,00 thousands) pledged with Corporation Bank.

30. केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों (अनुसूची 8) में निम्नलिखित शामिल हैं :-

i. निगम द्वारा प्रवेश किए गए गौण बाज़ार लेनदेन के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹ 5,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 4,97,51.25 हज़ार, 8.26 % वाले 2027 के भारत सरकार के बॉंड) के अंकित मूल्य वाले 8.24% वाले 2018 के भारत सरकार के बॉंड।

ii. निगम के संपार्श्विक उधारों लेने व उधार देने के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹ 93,17 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 93,17 हज़ार 8.24 % वाले 2027, के भारत सरकार के बॉंड) के अंकित मूल्य वाले 8.24% वाले 2027 के भारत सरकार के बॉंड।

31. कर्मचारी सुविधाएँः

31.1 भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार निगम में दिनांक 31/03/2010 को अथवा उससे पहले भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल करने के लिए योजना को विस्तारित किया गया है। छह कर्मचारी जो दिनांक 01/01/2004 और 31/03/2010 के बीच निगम में भर्ती हुए हैं, उनको कर्मचारी भविष्य निधि योजना जारी रखने के विकल्प का प्रयोग किया है। निगम में दिनांक 01/04/2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को निगम द्वारा तैयार किए गए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना द्वारा रक्षित किया जाएगा।

31.2 जो कर्मी पेंशन के लिए पात्र हैं, निगम पेंशन निधि में अंशदान अग्रेषित करता है। अन्य कर्मचारियों के लिए निगम अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट में अग्रेषित करता है।

31.3 आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस 15 (संशोधित 2005) को कार्यान्वित करने के लिए नोट में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि जिसे ब्याज की आवश्यकता है, में होने वाली कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा की जाएगी; को निर्धारित सुविधा योजना समझा जाए।

31.4 भविष्य निधि की आधारभूत निधि तथा उस पर प्राप्त होने वाले अर्जन भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार प्रावधान व खाते के संबंध में विशेष प्रकटन नहीं किया गया है।

31.5 अवधि के दौरान उपदान अधिवर्षितता, जिसके लिए निर्धारित कर्मचारी सुविधा योजना द्वारा निधि जमा की जाती है के लिए कर्मचारी सुविधा विवरण निम्नानुसार हैं:

30. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

i. 8.24% 2018 Government of India bonds having book value of ₹ 5,00,00 thousands (previous year ₹ 4,97,51.25 thousands 8.26% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Corporation.

ii. 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹ 93,17 thousands (previous year ₹ 93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Corporation.

31. EMPLOYEE BENEFITS:

31.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who joined the Corporation on or before 31/03/2010 as per the letter given by the Ministry of Commerce, Government of India. Six employees who had joined the Corporation between 01/01/2004 and 31/03/2010 have exercised option to continue with the Provident Fund scheme. Employees joining the Corporation on or after 01/04/2010 shall be covered by a Defined Contribution Pension Scheme to be framed by the Corporation.

31.2 In case of employees who are eligible for pension, the Corporation remits the contribution to the Pension Fund. For the other employees, the Corporation remits the Corporation's share to the Provident Fund Trust.

31.3 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

31.4 As the corpus of the Provident Fund and earnings there on are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and specific disclosure on account of provision is made in the account.

31.5 The details of employee benefits for the period on account of gratuity superannuation which are funded defined employee benefit plans are as under:

पेंशन (₹ '000)

क्र. सं	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	**160,81,96.93**	**132,39,82.00**
	ब्याज लागत	**13,66,96.74**	10,92,29.00
	वर्तमान सेवा लागत	**5,33,45.67**	5,18,08.00
	में अंतरित देयता	**0.00**	0.00
	प्रदत्त लाभ	**(10,09,40.23)**	(7,22,00.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**17,08,73.88**	19,53,78.00
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	**186,81,72.49**	**160,81,97.00**
2	**योजना परिसम्पत्तियों में संशोधन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	**11,90,09.29**	7,27,82.00
	अंशदान	**24,40,28.35**	43,31,00.00
	अंतरित परिसंपत्तियां	**0.00**	24,29.00
	प्रदत्त लाभ	**(10,09,40.23)**	(7,22,00.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**1,54,61.86**	3,79,41.00
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसम्पत्तियाँ	**1,66,13,88.27**	**138,38,29.00**
3	**निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य**	**186,81,72.49**	**1,60,81,97.00**
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसम्पत्तियाँ	**166,13,88.27**	138,38,29.00
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	**(20,67,84.22)**	**(22,43,68.00)**
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	**5,33,45.67**	**5,18,08.00**
	ब्याज लागत	**13,66,96.74**	10,92,29.00
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	**(11,90,09.29)**	(7,27,82.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**15,54,11.52**	15,74,37.00
	राजस्व खाते में दर्शाए गए व्यय	**22,64,44.64**	**24,56,92.00**

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रस्तुति के उद्देश्य से पुनः समूहित/पुनःयोजित किया गया है

Pension (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	**160,81,96.93**	**132,39,82.00**
	Interest Cost	**13,66,96.74**	10,92,29.00
	Current Service Cost	**5,33,45.67**	5,18,08.00
	Liability transferred in	**0.00**	0.00
	Benefits paid	**(10,09,40.23)**	(7,22,00.00)
	Actuarial (Gain) / Loss	**17,08,73.88**	19,53,78.00
	Projected Benefit obligations at the end of the year	**186,81,72.49**	**160,81,97.00**
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan assets at the beginning of the year at fair value	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
	Expected return on plan assets	**11,90,09.29**	7,27,82.00
	Contributions	**24,40,28.35**	43,31,00.00
	Assets transferred in	**0.00**	24,29.00
	Benefits paid	**(10,09,40.23)**	(7,22,00.00)
	Actuarial Gain / (Loss)	**1,54,61.86**	3,79,41.00
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	**1,66,13,88.27**	**138,38,29.00**
3	**Present Value of the Defined Benefit Obligation**	**186,81,72.49**	**1,60,81,97.00**
	Plan Assets at the end of the year at fair value	**166,13,88.27**	138,38,29.00
	Liability recognised in the Balance Sheet	**(20,67,84.22)**	**(22,43,68.00)**
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	**5,33,45.67**	**5,18,08.00**
	Interest Cost	**13,66,96.74**	10,92,29.00
	Expected return on plan assets	**(11,90,09.29)**	(7,27,82.00)
	Actuarial (Gain) / Loss	**15,54,11.52**	15,74,37.00
	Expense Recognised in the Revenue account	**22,64,44.64**	**24,56,92.00**

Note : Figures for the previous year have been regrouped / rearranged for presentation purpose

उपदान (₹ '000)

क्र. सं	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**
	ब्याज लागत	**2,28,54.13**	1,98,34.14
	वर्तमान सेवा लागत	**1,14,49.96**	82,63.87
	पिछली सेवा लागत - संबंधित लाभ	**0.00**	0.00
	प्रदत्त लाभ	**(1,40,70.16)**	(1,07,35.53)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**1,18,60.49**	1,10,95.74
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	**30,09,66.51**	**26,88,72.09**
2	**योजना परिसम्पत्तियों में संशोधन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसम्पत्तियाँ	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	**2,21,75.48**	1,79,79.07
	अंशदान	**1,34,03.65**	2,14,77.83
	प्रदत्त लाभ	**(1,40,70.16)**	(1,07,35.53)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**26,26.35**	43,94.67
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसम्पत्तियाँ	**28,19,89.79**	**25,78,54.47**
3	नियत लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**30,09,66.51**	**26,88,72.09**
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसम्पत्तियाँ	**28,19,89.79**	25,78,54.47
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	**(1,89,76.22)**	**(1,10,17.63)**
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	**1,14,49.96**	**82,63.87**
	ब्याज लागत	**2,28,54.13**	1,98,34.14
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	**(2,21,75.48)**	(1,79,79.07)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**92,34.14**	67,01.07
	पिछली सेवा लागत - संबंधित लाभ	**0.00**	0.00
	राजस्व खाते में स्वीकृत गए व्यय	**2,13,62.75**	**1,68,20.01**

Gratuity (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit obligations at the beginning of the year	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**
	Interest Cost	**2,28,54.13**	1,98,34.14
	Current Service Cost	**1,14,49.96**	82,63.87
	Past Service Cost - Vested Benefit	**0.00**	0.00
	Benefits paid	**(1,40,70.16)**	(1,07,35.53)
	Actuarial (Gain) / Loss	**1,18,60.49**	1,10,95.74
	Projected Benefit obligations at the end of the year	**30,09,66.51**	**26,88,72.09**
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
	Expected return on plan assets	**2,21,75.48**	1,79,79.07
	Contributions	**1,34,03.65**	2,14,77.83
	Benefits paid	**(1,40,70.16)**	(1,07,35.53)
	Actuarial Gain / (Loss)	**26,26.35**	43,94.67
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	**28,19,89.79**	**25,78,54.47**
3	Present value of the Defined Benefit Obligation	**30,09,66.51**	**26,88,72.09**
	Plan Assets at the end of the year at fair value	**28,19,89.79**	25,78,54.47
	Liability recognised in the Balance Sheet	**(1,89,76.22)**	**(1,10,17.63)**
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	**1,14,49.96**	**82,63.87**
	Interest Cost	**2,28,54.13**	1,98,34.14
	Expected return on plan assets	**(2,21,75.48)**	(1,79,79.07)
	Actuarial (Gain) / Loss	**92,34.14**	67,01.07
	Past Service Cost - Vested Benefit	**0.00**	0.00
	Expense Recognised in the Revenue account	**2,13,62.75**	**1,68,20.01**

क्र. सं	श्रेणी	पेंशन	उपदान
5	**अनुमान**		
	भुनाई हेतु ब्याज दर (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ (%)	8.60 (8.60)	8.70 (8.60)
	वेतन वृद्धि	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
	मूल्यांकन की पद्धति	**पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि**	
6	नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए आधार	नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर, परिसम्पत्तियों के वर्तमान पोर्टफोलियो निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य पर आधारित होते हैं ताकि पूंजी को संरक्षित किया जा सके तथा स्वीकृत जोखिम मानदंडों के भीतर अर्जनों का वर्धन किया जा सके; नियोजित परिसम्पत्तियों को उचित रुप से विविधीकृत किया गया है।	

32. परिचालन पट्टे

निगम के पास विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसरों व आवासीय फ़्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं जो कि आवधिक आधार पर नवीनीकृत किए जाने योग्य हैं अथवा 1 महीने से 6 महीनों तक की अवधि की नोटिस देते हुए रद्द किए जा सकते हैं। प्रत्येक करार के लिए किराया बढ़ाने से संबंधित शर्तें अलग अलग हैं।

किराया व्ययों को परिचालन पट्टे में राजस्व खाते में रखा गया है जो कि ₹ 7,92,23.54 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 6,38,28.93 हज़ार) रहा।

33. निगम को यौगिक संविदाओं अथवा वायदा संविदाओं में किसी प्रकार का अपावरण नहीं है। निगम को विदेशी मुद्रा में अपावरण है (बिना दबाव के वायदा)।

क) अपनी स्वयंपूर्ण फैक्टरिंग योजना के लिए आई डी बी आई तथा कॉर्पोरेशन बैंक से लिया गया ऋण। इसके विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं	विवरण	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये (₹ ' 000)
i	आई डी बी आई ऋण खाता-	यूरो - 0.00 यूरो - (0.00)	0.00 (0.00)

नोटः कोष्ठक के आंकडे पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं

ख) विविध देनदार :

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विदेशी मुद्रा	**यूएसडी 0.00**	यूएसडी 0.00
भारतीय रुपये	**0.00**	0.00

Sr. No.	Category	Pension	Gratuity
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
	Estimated rate of return on plan assets (%)	8.60 (8.60)	8.70 (8.60)
	Salary Escalation (%)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
6	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**	
	Basis used to determine the expected rate of return on plan assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the plan assets are well diversified.	

32. OPERATING LEASES

The Corporation has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹ 7,92,23.54 thousands (previous year ₹ 6,38,28.93 thousands)

33. The Corporation does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Corporation has no exposure in foreign currency (un-hedged)

a) In the form of loan from IDBI Bank for its full-fledged Factoring Scheme. The details are as under:

Sr. No.	Particulars	Foreign Currency	Indian Rupees (₹ ' 000)
i	IDBI Loan Account	Euro - 0.00 Euro - (0.00)	0.00 (0.00)

Note: Figures in bracket represents previous year's amount

b) Sundry Creditors:

Particulars	Current Year	Previous Year
Foreign Currency	**USD 0.00**	USD 0.00
Indian Rupees	**0.00**	0.00

वित्तीय विवरण

34. कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची VI के भाग IV के अधीन आवश्यक जानकारी संलग्न अनुबंध -3 में दी गई है।

35. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विवरणों के प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
बकाया राशि	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
संपूर्ण वर्ष के दौरान किए गए विलंबित भुगतान	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
देय ब्याज जहाँ मूलधन देयों का निपटान देय तारीख के पश्चात किया गया था वहाँ	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं

36. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 067/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि/ मार्च -08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

(₹ '000)

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष में व्यय	पिछले वर्ष में व्यय
i	आउट सोर्सिंग व्यय	**1,66,49.03**	1,55,51.49
ii	कारोबार विकास	**1,08,63.84**	1,34,87.64
iii	बाज़ार समर्थन	**7,62,69.76**	7,19,98.04

37. पूर्व के वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) को निगम द्वारा नियमित रुप से पालन की जानेवाली प्रथा के अनुसार इस प्रकार की वसूलियों पर हुए व्यय को वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि को शुद्ध व्यय के रुप में लेखाबद्ध किया गया है .

वर्ष के दौरान की गई वसूलियाँ व उसके लिए किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कुल वसूली	**129,47,07.08**	176,15,22.24
वसूली कमीशन, सेवा कर आदि सहित वसूली के लिए किया गया व्यय	**8,93,27.88**	7,51,94.96
लेखा बहियों में दर्शायी गई शुद्ध वसूली	**120,53,79.20**	**168,63,27.28**

38. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी को अनुबंध - 4 के रुप में संलग्न किया गया है .

34. Information required under Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956 is given in Annexure - 3 attached.

35. The details to be disclosed as per the provisions of the MSMED Act, 2006 are as under:

Particulars	Current Year	Previous Year
Amount outstanding	**Nil**	Nil
Delayed Payments made throughout the year	**Nil**	Nil
Interest payable where principal dues are settled after due date	**Nil**	Nil

36. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Expenses in Current Year	Expenses in Previous Year
i	Outsourcing Expenses	**1,66,49.03**	1,55,51.49
ii	Business Development	**1,08,63.84**	1,34,87.64
iii	Marketing Support	**7,62,69.76**	7,19,98.04

37. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses such as recovery commission, bank charges, service tax, etc., incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Corporation.

The details of recoveries made during the year and the expenses incurred are as under:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total recovery	**129,47,07.08**	176,15,22.24
Expenses incurred on such recovery including Recovery Commission, Service Tax, etc.	**8,93,27.88**	7,51,94.96
Net recovery shown in the books of accounts	**120,53,79.20**	**168,63,27.28**

38. RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure - 4 attached.

39. प्रतिधारित जोखिम तथा पुनर्बीमा को निम्नानुसार दर्शाया गया है (इसमें हानि की अधिकता तथा व्यापक आपत्ति संबंधी पुनर्बीमा शामिल नहीं है)

(₹ '000)

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए प्रीमियम सांख्यिकीय आंकडे					
	प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा कमीशन	%
2012-13	1157,25,49.45	830,52,62.96	71.77%	326,72,86.49	28.23%
2011-12	1004,83,31.67	761,55,98.94	75.79%	243,27,32.73	24.21%

40 अनुबंध 5 में दिए गए आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एंड आई/परि/सीएमपी/174/11/2010 दिनांक 04/11/2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों के अदावी राशि के आयु-वार विश्लेषण को दर्शाता हुआ विवरण

41. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि/ मई - 09 दिनांक 07/05/2009 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

(₹ '000)

क्र सं	प्राधिकरण	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	दंड की अदायगी	माफ/ कम किया गया दंड
1.	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं			
2.	सेवा कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
3.	आय कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
5.	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के अधीन ट्रिब्युनल अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
6.	कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कंपनी मामले विभाग अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
7.	प्रतिपूर्ति के अलावा दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए कोई न्यायालय / ट्रिब्युनल	कुछ नहीं			

39. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

(₹ '000)

Premium Statistics for the period April 2012 to March 2013					
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2012-13	1157,25,49.45	830,52,62.96	71.77	326,72,86.49	28.23
2011-12	1004,83,31.67	761,55,98.94	75.79	243,27,32.73	24.21

40. Statement showing Age-wise Analysis of unclaimed amount of the policyholders as per IRDA circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 is given in Annexure 5.

41. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 07-05-2009 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No.	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	NIL			
2.	Service Tax Authorities	NIL			
3.	Income Tax Authorities	NIL			
4.	Any other Tax Authorities	NIL			
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL			
6.	Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	NIL			
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL			

क्र सं	प्राधिकरण	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	दंड की अदायगी	माफ/ कम किया गया दंड
8.	भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड*	लागू नहीं क्योंकि निगम सूचीबद्ध इकाई नहीं है।			
9.	कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया	कुछ नहीं			
10.	कोई केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकारी / सांविधिक प्राधिकारी	कुछ नहीं			

* प्रबंधन द्वारा प्रमाणित।

42. निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्षों से संबंधित आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

पुनःसमूंहन / पुनःवर्गीकरण से संबंधित सूचना संलग्न परिशिष्ट 6 के अनुसार है।

Sr. No.	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Corporation is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL			
10.	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority	NIL			

Note: As certified by the management

42. Figures relating to previous years have been re-grouped / re-classified in the following cases:

Information in respect of re-grouping / re-classification is as per Annexure 6 attached.

अनुसूची 1 से 17 के हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Schedule 1 to 17

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांकः 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

लेखा मानक- 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - I / Annexure - 1 to Schedule 17

(₹ '000)

प्राथमिक कारोबार के खंड PRIMARY BUSINESS SEGMENT	वर्तमान वर्ष / Current Year						पिछले वर्ष / Previous Year					
	पॉलिसी Policy	ईसीआईबी ECIB	फ़ैक्टरिंग Factoring	एनईआईए NEIA	डीसीआईई DCIE	कुल Total	पॉलिसी Policy	ईसीआईबी ECIB	फ़ैक्टरिंग Factoring	एनईआईए NEIA	डीसीआईई DCIE	कुल Total
खंड राजस्व / Segment Revenue												
बाहरी ग्राहकों से प्रीमियम आय (वापसी का शुद्ध / पुनर्बीमा प्रीमियम) Premium Income from external customers (Net of Refund / Reinsurance Premium)	292,21,70.40	538,23,80.07	0.00	0.00	7,12.50	**830,52,62.97**	304,30,71.35	465,68,29.20	0.00	0.00	95,50.41	**770,94,50.96**
शुल्क एवं अन्य रसीद\ Fees & Other receipts	1,18,01.84	13,76.60	0.00	0.00	0.00	**1,31,78.44**	64,31.48	7,23.02	0.00	0.00	66.00	**72,20.50**
ब्याज और दावा एवं प्रीमियम पर ब्याज और अन्य प्राप्तियाँ Interest & Claims & Premium & Other receipts	2,07.28	2,56,52.50	0.00	0.00	0.00	**2,58,59.78**	4,37.11	3,43,27.60	0.00	0.00	0.00	**3,47,64.71**
एन ई आई ए प्रशासनिक आय \ NEIA Adminstrative Income	0.00	0.00	0.00	1,14,29.63	0.00	**1,14,29.63**	0.00	0.00	0.00	9,97.02	0.00	**9,97.02**
सीडिंग कमीशन \ Ceding Commission	18,56,87.64	38,41,81.32	0.00	0.00	0.00	**56,98,68.96**	5,92,15.09	7,64,98.44	0.00	0.00	3,11.10	**13,60,24.63**
अंतर खंडीय राजस्व \ Inter segment Revenue												
फ़ैक्टरिंग आय \ Factoring income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	59.59	0.00	0.00	**59.59**
असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन Change in Reserve for Unexpired Risks	1,95,46.18	(36,94,81.43)	0.00	0.00	51,03.24	**(34,48,32.01)**	(38,96,61.83)	(57,30,23.30)	0.00	0.00	18,58.67	**(96,08,26.46)**
कुल खंड राजस्व Total Segment Revenue	**313,94,13.34**	**542,41,09.06**	**0.00**	**1,14,29.63**	**58,15.74**	**858,07,67.77**	**271,94,93.20**	**419,53,54.96**	**59.59**	**9,97.02**	**1,17,86.18**	**692,76,90.95**
खंड व्यय / Segment Expenditure												
दावे (वसूलियों को घटाकर)* / Claims (Net of Recoveries)*	247,24,40.19	565,28,58.62	0.00	0.00	27,36.22	**812,80,35.03**	(56,17,69.95)	813,79,52.54	(49,95.48)	0.00	31,99.71	**757,43,86.82**
फ़ैक्टरिंग व्यय / Factoring expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	48.47	0.00	0.00	**48.47**
मानक, अवमानक व संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard, Sub-standard & Doubtful Asset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	6,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6,00.00**
प्रीमियम कमी के लिए प्रावधान Provision for Premium Deficiency	(17,33,85.17)	(29,52,23.39)	0.00	0.00	0.00	**(46,86,08.56)**	(14,45,94.29)	(33,73,86.67)	0.00	0.00	0.00	**(48,19,80.96)**
सीधे अदा किया गया कमीशन Commission Paid Direct	1,94,24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,94,24.63**	4,07,03.59	0.00	0.00	0.00	0.00	**4,07,03.59**
कुल / Total	**231,84,79.65**	**535,76,35.23**	**0.00**	**0.00**	**27,36.22**	**767,88,51.10**	**(66,50,60.64)**	**780,05,65.87**	**(49,47.01)**	**0.00**	**31,99.71**	**713,37,57.92**
खंड परिणाम / Segment Result (ब्याज पूर्व लाभ, कर तथा अपवादात्मक वस्तुएँ) (Profit before Interest, Tax and Exceptional Items)	82,09,33.69	6,64,73.83	0.00	1,14,29.63	30,79.52	**90,19,16.67**	338,45,53.84	(360,52,10.91)	50,06.60	9,97.02	85,86.47	**(20,60,66.97)**
जोड़ेः अविनियोज्य व्यय को घटाकर अविनियोज्य आय Add : Unallocable Income net of Unallocable Expenditure						**260,01,96.26**						**138,30,90.46**
घटाएँः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts						**0.00**						**0.00**
घटाएँः ब्याज व वित्त चार्ज / Less : Interest & Finance charges						**6,88.42**						**7,60.05**

लेखा मानक- 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - I / Annexure - 1 to Schedule 17

(₹ '000)

प्राथमिक कारोबार के खंड PRIMARY BUSINESS SEGMENT	वर्तमान वर्ष / Current Year						पिछले वर्ष / Previous Year					
	पॉलिसी Policy	ईसीआईबी ECIB	फ़ैक्टरिंग Factoring	एनईआईए NEIA	डीसीआईई DCIE	कुल Total	पॉलिसी Policy	ईसीआईबी ECIB	फ़ैक्टरिंग Factoring	एनईआईए NEIA	डीसीआईइ DCIE	कुल Total
कर पूर्व लाभ / Profit Before Tax						350,14,24.51						117,62,63.44
घटाएँ / Less :												
पूर्व अवधि समायोजन व पूर्व के वर्षों का कर समायोजन Prior Period Items & Tax adjustment earlier years						(2,28,31.26)						(3,93,20.40)
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax						0.00						0.00
आस्थगित कर के लिए प्रावधान Provision for Deferred Tax						13,63,75.94						16,58,38.14
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax						96,00,00.00						31,85,00.00
घटाएँ : न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता / (प्राप्य) Less : MAT Credit Set off / (Receivable)						0.00						(12,54,00.00)
कर पश्चात लाभ \ Profit After Tax						242,78,79.83						85,66,45.70
खंड परिसम्पत्तियों की आवर्ती राशि Carrying Amount of Segment Assets	8,54.56	15,54,23.28	0.00	0.00	1.50	15,62,79.34	2,98,17.14	22,96,11.36	0.00	0.00	0.00	25,94,28.50
अचल परिसम्पत्तियों सहित अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोजन योग्य नहीं) Unallocated Assets including Fixed Assets (Not allocable to any specific segment)						5826,99,31.76						4605,55,25.61
कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets						5842,62,11.10						4631,49,54.11
खंड देयताओं की आवर्ती राशि Carrying Amount of Segment Liablities	654,99,41.87	1976,58,57.52	0.00	2,77,42.75	4,06.02	2634,39,48.16	370,90,67.12	1645,11,94.70	0.00	8,19.05	9,12.02	2016,19,92.89
अविनियोज्य देयताएँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोज्य योग्य नहीं) Unallocated Liablities (Not allocable to any specific segment)						771,23,04.41						553,07,33.45
कुल / Total						3405,62,52.57						2569,27,26.34
शेयर पूंजी / Share Capital						1000,00,00.00						900,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / Reserve & Surplus						1417,74,97.64						1082,70,90.46
उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair Value Change Account						19,24,60.89						79,51,37.30
कुल देयताए / Total Liablities						5842,62,11.10						4631,49,54.11

लेखा मानक- 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 1 / Annexure - 1 to Schedule 17

(₹ '000)

गौण खंड - लागू नहीं Secondary Segment - Not Applicable			
प्रत्येक कारोबार खंड में उत्पादों / सेवाओं के प्रकार Types of Products/ Services in each Business Segment			
पॉलिसियाँ POLICIES	ई सी आई बी ECIB	घरेलू ऋण बीमा Domestic Credit Insurance	एन ई आई ए NEIA राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता National Export Insurance Account
मानक पॉलिसी Standard Policy	पैकिंग ऋण Packing Credit	डी सी आई ई - मानक पॉलिसी DCIE - Standard Policy	
लघु निर्यातक पॉलिसी Small Exporter's Policy	पोतलदानोत्तर ऋण Post-Shipment Credit	डी सी आई ई - एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी DCIE - Single Buyer Exposure Policy	
विशिष्ट पॉलिसी Specific Policy	निर्यात निष्पादन गारंटी Export Performance Guarantee	डी सी आई ई - बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी DCIE - Multi Buyer Exposure Policy	
पण्यावर्त पॉलिसी Turnover Policy	निवेश गारंटी Investment Guarantee	डी सी आई बी - व्यक्तिगत पैकिंग ऋण DCIB - Individual Packing Credit	
खरीदारवार पॉलिसी Buyerwise Policy	**फैक्टरिंग Factoring**	डी सी आई बी - व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर DCIB - Individual Post Shipmentt	
अंतरण गारंटी Transfer Guarantee	फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना Full-fledged factoring scheme		
फ़ैक्टरिंग सेवाएँ Factoring Services			
खरीदारवार ऋण जोखिम पॉलिसी Buyerwise Exposure Policy			
परेषण पॉलिसी Consignment Export Policy			
सॉफ्टवेयर परियोजना पॉलिसी Software Project Policy			
सू.प्रौ. समर्थ सेवा पॉलिसी IT - Enabled Services Policy			

* प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, आयबीएनआर तथा प्रीमियम के कमी के लिए प्रावधान सकल प्रीमियम के अनुपात में है।

* As per management Estimates , Provision for IBNR & Premium Deficiency has been taken in the ratio of Gross Premium Income.

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2 (क) / Annexure - 2 (a) to Schedule 17

(₹ '000)

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
1	निगम की परिसम्पत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं : The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under :		
	क) भारत में a) In India	**9,95,25.00**	9,95,25.00
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकडों के अनुसार) Commitments outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
	ख) स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए की प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	**206,91,32.00**	207,30,78.53
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुर्नबीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	**409,20,89.27**	587,12,28.96
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
4	जहाँ भी दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
5	छः महीनों से अधिक के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	**17**	13
	राशि Amount	**184,04,95.03**	84,51,49.78
	छः महीनों से कम के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	**313**	313
	राशि Amount	**1049,99,75.51**	777,91,95.84
	बकाया दावों की कुल संख्या (कुल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	**330**	326
	राशि Amount	**1234,04,70.54**	862,43,45.62

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2 (क) / Annexure - 2 (a) to Schedule 17

(₹ '000)

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
6	कारोबार से लिखित प्रीमियम, पुर्नबीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	भारत के बाहर Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रुप में स्वीकार किया गया है शुद्ध प्रीमियम के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium	**415,26,31.48**	380,77,99.47
8	निवेशों के संबंध में संविदा के विवरण : Details of contracts in relation to investments for :		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित हो a) Purchase where deliveries are pending	**कुछ नहीं Nil**	21,05.01
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हों b) Sales where payments are due	**कुछ नहीं Nil**	6,94.07
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधित सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business		
10	घोषित लेखागत नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणनाः निगम को सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम यू /एल 620 के जी एस आर 235,दिनांक 31 जनवरी 1978 के जरिए निगम को इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Corporation is exempted vide notification: GSR 235, dated 31st January, 1978 u/s 620 of the Companies Act, 1956 being a Government Company		
12	निवेश के मूल्य में कमी के लिए ऋण प्रतिभूतियों प्रावधान के परिशोधन के आधार पर Basis of amortisation of debt securities Provision for diminution in the value of the investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair Value Change Account	**19,24,60.89**	22,58,74.93
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ, जमा शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं b) Pending realisation,credit balance in Fair Value Change Account not available for distribution	**19,24,60.89**	22,58,74.93

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2 (क) / Annexure - 2 (a) to Schedule 17

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
14 निगम ने रियल इस्टेट निवेश सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property'		
15 क तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे : A Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under:		
दावों की कुल संख्या Number of claims	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
राशि Amount	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
ख वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गईं हैं B All Significant Accounting Policies forming part of the financial statements are disclosed separately		
ग 1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं : C 1 Deposits made in accordance with statutory requirements are as under:		
क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य ₹ 1000 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act, 1938 (Face Value ₹ 1000 lacs)	**9,95,25.00**	9,95,25.00
ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है : Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under :		
अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	**3937,94,47.50**	3340,43,21.13
अनर्जक निवेश Non Performing Investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
कुल अंकित मूल्य (अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	**3937,94,47.50**	3340,43,21.13
3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत - जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है Percentage of business sectorwise as the Corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable		
4 5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है A summary of financial statements for 5 years is enclosed	**(अनुबंध 2 ख) के अनुसार As per Annexure 2b**	(अनुबंध 2 ख) के अनुसार As per Annexure 2b

लेखा मानक- 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2 (क) / Annexure - 2 (a) to Schedule 17

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year	वृद्धि% / Growth%
5 विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन द्वारा अनुपालित अनुसार)(प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपातों की अनुपस्थिति में ,कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है.) (वर्ष के अंत तक, जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given) (Year-end unless otherwise stated)			
सकल प्रीमियम Gross Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67	15.17
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94	9.06
शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/ सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	**71.77%**	75.79%	-5.31
शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Share Capital (%)	**35.01**	36.41	-3.85
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Networth (%)	**14.37**	15.12	-4.96
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit After Tax to Networth (%)	**9.96**	10.39	-4.14
सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	**12.75**	13.19	-3.34
कुल रोज़गार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	**60,82.29**	58,20.75	4.49
शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
असमाप्त जोखिम प्रारक्षण Unexpired Risks Reserve	**415,26,31.48**	380,77,99.47	9.06
बकाया दावे Outstanding Claims	**2588,17,02.65**	2082,33,96.36	24.29
कुल तकनीकी प्रारक्षण Total Technical Reserves	**3003,43,34.13**	2463,11,95.83	21.94
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94	9.06
अनुपात Ratio	**3.62**	3.23	11.81

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख)/ Annexure - 2(b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
	परिचालन परिणाम Operating Results					
1	लिखित सकल प्रीमियम Gross Premium Written	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67	885,46,69.25	812,99,64.48	744,67,67.85
2	शुद्ध प्रीमियम आय Net Premium Income	**830,52,62.96**	761,55,98.94	770,94,50.96	578,77,98.05	573,21,00.10
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**397,97,83.62**	353,59,61.90	280,17,45.66	277,41,09.81	287,18,49.36
4	अन्य आय Other Income	**12,58,31.57**	6,31,09.76	16,68,52.16	16,10,74.93	55,71,60.68
5	कुल आय Total Income	**1241,08,78.15**	1121,46,70.60	1067,80,48.79	877,29,82.78	916,11,10.14
6	कमीशन Commission	**(55,04,44.34)**	(57,92,01.69)	(9,53,21.04)	(31,56,94.54)	(24,76,45.11)
7	ब्रोकरेज Brokerage	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
8	परिचालन व्यय Operating Expenses	**145,56,39.50**	129,88,30.30	154,38,74.08	112,38,41.59	99,41,42.25
9	दावे, असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधियों व अन्य बर्हिगमन Claims, Increase in Un-expired Risk Reserve and other outgos	**800,42,58.48**	721,78,03.12	805,32,32.32	(677,96,08.92)	(403,17,37.22)
10	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	**350,14,24.51**	327,72,38.87	117,62,63.43	65,47,92.00	438,28,75.78
11	पूर्व अवधि समायोजन व आस्थगित कर समायोजन Prior Period Adjustments and Deffered Tax Adjustment	**11,35,44.68**	(15,68,59.96)	12,65,17.73	(34,25,55.11)	1,04,35.44
12	उपरोक्त समायोजन के उपरांत लाभ / (हानि) Profit / (Loss) after above adjustment.	**338,78,79.83**	343,40,98.83	104,97,45.69	99,73,47.12	437,24,40.34
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	**96,00,00.00**	118,20,00.00	19,31,00.00	46,00,00.00	153,85,51.16
14	कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) Net Profit / (Loss) after tax	**242,78,79.83**	225,20,98.83	85,66,45.70	53,73,47.12	283,38,89.18
15	चुकता इक्विटी पूंजी Paid-up Equity Capital	**1000,00,00.00**	900,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख)/ Annexure - 2(b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
16	निवल मालियत (वर्ष के अंत तक) Net Worth (End of year)	**2436,99,58.53**	2167,74,62.74	2062,22,27.75	1958,94,26.87	1886,21,72.23
17	कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets	**2436,99,58.53**	2167,74,62.74	2062,22,27.77	1959,21,45.70	1917,54,73.46
18	कुल निवेशों पर अर्जन (%) Yield on Total Investments (%)	**8.85**	8.69	7.78	8.62	9.72
19	प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings per share (₹)	**25.86**	25.02	9.52	5.97	31.49
20	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) Book Value per share (₹)	**2,43.70**	2,40.86	2,29.14	2,17.66	2,09.58
21	कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) Total Dividend (Inclu. Div.Tax)	**70,19,70.00**	62,76,01.50	30,33,40.73	12,57,33.85	210,59,10.00
22	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share (₹)	**6.00**	6.00	2.90	1.19	20.00

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची VI के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT,1956

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 / Annexure - 3 to Schedule 17

(₹ '000)

I. पंजीकरण विवरण
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration Number								
				1	0	9	1	8

राज्य कोड State Code								
							1	1

तुलन पत्र Balance Sheet Date								
	3	1	0	3	2	0	1	3

II. वर्ष के दौरान वर्धित पूंजी
Capital raised during the year

सार्वजनिक निर्गम Public Issue	कु	छ N	न I	हीं L
अधिकार निर्गम Rights Issue	कु	छ N	न I	हीं L
बोनस निर्गम Bonus Issue	कु	छ N	न I	हीं L
निजि तौर पर शेयर आबंटन (भारत सरकार) Private Placement (Govt. of India)	कु	छ N	न I	हीं L

III. निधियों को जुटाने व उनके अभिनियोजन की स्थिति
Position of Mobilisation and Deployment of funds

कुल देयताएँ Total Liabilities	5	8	4	2	6	2	1	1
कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets	5	8	4	2	6	2	1	1
प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	1	0	0	0	0	0	0	0
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष * Reserves & Surplus*	1	4	3	6	9	9	5	9

जमानती ऋण Secured Loans	कु	छ N	न I	हीं L

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची VI के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT ,1956

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 / Annexure - 3 to Schedule 17

(₹ '000)

गैर जमानती ऋण Unsecured Loans						कु	छ N	न I	हीं L
निधियों का प्रयोग **Application of Funds**									
शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ Net Fixed Assets			1	5	2	6	4	1	5
निवेश Investments		3	9	3	7	9	4	4	8
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ Net Current Assets	-	1	6	6	0	3	1	7	2
आस्थगित कर परिसम्पत्ति Deferred Tax Asset					6	7	2	6	8
ऋण Loans						कु	छ N	न I	हीं L
IV. कंपनी का निष्पादन **Performance of the Company**									
कुल आय Total Income		1	2	0	6	6	0	4	6
कुल व्यय Total Expenditure			8	5	6	4	6	2	2
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax			3	5	0	1	4	2	4
कर पश्चात लाभ Profit After Tax			2	4	2	7	8	8	0
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning Per Share (₹)					2	5	.	8	6
लाभांश दर (%) Dividend Rate (%)						6	.	0	0

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची VI के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT,1956

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 / Annexure - 3 to Schedule 17

(₹ '000)

V. कंपनी के मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम
Generic Names of Principal Products/Services of the Company

वस्तु कोड संख्या Item Code No.	ला	गु	न N	हीं A
उत्पाद विवरण Product Description	ला	गु	न N	हीं A

* उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शामिल
* Includes balance in Fair Value Change Account.

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक: 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

FINANCIAL STATEMENTS

गैर जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में जानकारी
INFORMATION IN RESPECT OF RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

अनुसूची 17 का अनुबंध 4
Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2013 31st March, 2013	31 मार्च 2012 31st March, 2012
1	सकल प्रीमियम वृद्धि दरः Gross premium growth rate:		
	कुल सकल प्रीमियम Total Gross Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67
	वृद्धि Growth	**15.17%**	13.48%
2	शेयरधारकों की निधि की तुलना में सकल प्रीमियम अनुपातः Gross Premium to shareholders' fund ratio:		
	सकल प्रीमियम Gross Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67
	शेयर धारकों की निधि (आरंभिक) Share Holders' Fund (Opening)	**2167,74,62.74**	2062,22,27.77
	अनुपात Ratio	**53.39%**	48.73%
3	शेयरधारकों की निधि की वृद्धि दरः Growth rate of shareholders' funds:		
	वर्ष के आरंभ में शेयरधारक फंड Share Holders' Fund at the beginning of the year	**2167,74,62.74**	2062,22,27.77
	वर्ष के अंत तक शेयरधारक फंड Share Holders' Fund at the end of the year	**2436,99,58.53**	2167,74,62.74
	अनुपात Ratio	**12.42%**	5.12%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (शुद्ध प्रीमियम भागित सकल प्रीमियम): Net retention ratio (Net premium divided by gross premium):		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	सकल प्रीमियम Gross Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67
	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio	**71.77%**	75.79%
5	शुद्ध कमीशन अनुपातः Net commission ratio:		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	**(55,04,44.34)**	(57,92,01.69)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	अनुपात Ratio	**-6.63%**	-7.61%

गैर जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में जानकारी
INFORMATION IN RESPECT OF RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

अनुसूची 17 का अनुबंध 4
Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2013 31st March, 2013	31 मार्च 2012 31st March, 2012
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपातः Expenses of Management to gross direct premium ratio:		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**147,50,64.13**	132,55,58.60
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67
	अनुपात Ratio	**12.75%**	13.19%
7	समन्वित अनुपातः Combined ratio:		
	सकल उपगत दावे Gross Incurred Claims	**548,50,41.55**	713,03,22.70
	प्रबंधन का व्यय Expenses of Management	**147,50,64.13**	132,55,58.60
	कुल Total	**696,01,05.68**	845,58,81.30
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1157,25,49.45**	1004,83,31.67
	अनुपात Ratio	**60.14%**	84.15%
8	तकनीकी प्रारक्षण की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपातः Technical reserves to net premium ratio:		
	बकाया दावों के लिए प्रारक्षण Reserve for Outstanding Claims	**2588,17,02.65**	2082,33,96.36
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण Reserve for Un-expired Risks	**415,26,31.48**	380,77,99.47
	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षण Reserve for Premium Deficiency	**-**	46,86,08.56
	कुल Total	**3003,43,34.13**	2509,98,04.39
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	अनुपात Ratio	**361.63%**	329.58%
9	हामीदारी शेष अनुपातः Underwriting balance ratio:		
	हामीदारी लाभ Underwriting Profit	**(99,96,49.04)**	17,86,59.99
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	अनुपात Ratio	**-12.04%**	2.35%

गैर जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में जानकारी
INFORMATION IN RESPECT OF RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

अनुसूची 17 का अनुबंध 4
Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2013 31st March, 2013	31 मार्च 2012 31st March, 2012
10	परिचालन लाभ अनुपात Operating profit ratio:		
	हामीदारी लाभ Underwriting Profit	**(99,96,49.04)**	17,86,59.99
	निवेश आय Investment Income	**397,97,83.62**	353,59,61.90
	अन्य Others	**12,39,33.23**	6,31,09.77
	परिचालन लाभ Operating Profits	**310,40,67.81**	377,77,31.66
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	अनुपात Ratio	**37.37%**	49.61%
11	चल परिसम्पत्तियों की तुलना में देयता अनुपात (बीमाकृत की चल परिसम्पत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) Liquid assets to liabilities ratio (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities):		
	चल परिसम्पत्तियाँ * Liquid Assets*	**1328,27,01.13**	1061,44,96.43
	पॉलिसीधारकों की देयताएँ ** Policyholders' Liabilities**	**3003,43,34.13**	2509,98,04.39
	अनुपात Ratio	**44.23%**	42.29%
12	शुद्ध अर्जन अनुपात Net Earnings Ratio:		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**242,78,79.83**	225,20,98.84
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**830,52,62.96**	761,55,98.94
	अनुपात Ratio	**29.23%**	29.57%
13	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति Return on Net Worth		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**242,78,79.83**	225,20,98.84
	शुद्ध मालियत Net Worth	**2436,99,58.53**	2167,74,62.74
	अनुपात Ratio	**9.96%**	10.39%
14	वास्तविक शोधनक्षमता मार्जिन अनुपात की तुलना में वास्तविक शोधक्षमता Actual Solvency to Required Solvency Margin Ratio		
	वास्तविक शोधनक्षमता मार्जिन Actual Solvency Margin	**2350,67,47.00**	2058,36,20.00

गैर जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में जानकारी
INFORMATION IN RESPECT OF RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

अनुसूची 17 का अनुबंध 4
Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2013 31st March, 2013	31 मार्च 2012 31st March, 2012
	आवश्यक शोधनक्षमता मार्जिन Required Solvency Margin	243,84,10.50	203,88,36.30
	अनुपात (समयबद्ध) Ratio (Times)	9.64	10.1
15	अनर्जक खाता अनुपात NPA ratio:		
	निवेश Investment	0%	0%
	फैक्टरिंग Factoring	100%	100%

* नकद व बैंक जमा, अल्पावधि ऋण व अल्पावधि निवेश तथा अग्रिम व भारतीय रिजर्व बैंक जमा के अलावा अन्य जमा
Cash & Bank Balances, Short term loans & Short term Investments and Advances and Deposits except RBI Deposits

** असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षण, वर्तमान दावों के लिए प्रावधान, पुनर्बीमा की ओर देयता व अग्रिम रुप में प्राप्त प्रीमियम
Reserve for Un-expired risks, Provision for claims on hand, Liability towards Reinsurance & Premium received in advance

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

FINANCIAL STATEMENTS

दिनांक 31 03 2013 तक अदावी - बीमा कंपनियों को देय
Due to Insured - Unclaimed as on 31.03.2013

अनुसूची 17 का अनुबंध 5
Annexure 5 to Schedule 17

(₹ '000)

क्रमांक Sr. No	विवरण Particulars	कुल राशि Total Amount	अवधिवार विश्लेषण / AGE-WISE ANALYSIS					
			4-12 माह 4-12 months	13-18 माह 13-18 months	19 - 24 माह 19-24 months	25 - 30 माह 25-30 months	31 - 36 माह 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्ही कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the policyholders / insured	7.34	4.62	2.72	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य के लिए पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों को देय राशि Sum due to the policyholders / insured on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/ कर अथवा कोई भी अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटाना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है। Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	6,33,58.58	68,81.68	21,60.00	20,69.44	23,95.30	1,11,10.83	3,87,41.31
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों द्वारा भुनाएं नहीं गए है। Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured	8,69.65	3,60.20	20.52	1,95.61	1,90.96	4.83	97.53
	कुल / Total	**6,42,35.57**	**72,46.51**	**21,83.24**	**22,65.06**	**25,86.26**	**1,11,15.66**	**3,88,38.84**

नोट : उपरोक्त मद संख्या 4 के तहत चेक जारी किए गए है परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तद्नुसार ऐसे चेक की राशि को अदावी रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Note :Cheques issued but not encashed under point no. 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly, the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

अनुसूची 17 का अनुबंध 6 / Annexure - 6 to Schedule 17

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित मामलों में पुनःसमुहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है:
Figures relating to previous years have been re-grouped / re-classified in the following cases:

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year		पिछले वर्ष / Previous year		कारण / Reason
	अनुसूची Schedule	राशि / Amount (₹ '000)	अनुसूची / Schedule	राशि / Amount (₹ '000)	
Bank Balance	11	50,00,00.00	8	50,00,00.00	निवेश की श्रेणी के लिए आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 11 (क्र.सं.- 2 क - अल्पावधि - वित्तीय संस्था के साथ) में पुनःसमुहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है। Re-grouped and re-classified in Sch. 11 (Sr. No. - 2(a) - Short Term - With Financial institution) as per IRDA guidelines for category of Investments.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति व भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)
Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2013

पंजीकरण संख्या 124 — पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124 — Date of registration: 27th September, 2002

(₹ '000)

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY		
अग्रिम प्रीमियम सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from Policyholder including Advance receipts	**1187,28,86.83**	1016,74,54.79
अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts	**3,87,21.34**	2,12,49.71
पुनर्बीमाकर्ताओं का प्रीमियम - कमीशन व दावों को घटा कर Payments to Reinsurers net of commission and claims	**(116,19,15.79)**	(58,57,18.06)
फैक्टरिंग क्रियाकलापों से प्राप्त आय (शुद्ध) Income from Factoring Activity (Net)	**-**	-
फैक्टरिंग उधारकर्ताओं को प्रदान की गई राशि Amount given to Factoring debtors	**-**	-
फैक्टरिंग उधारकर्ताओं से प्राप्त राशि Amount received from Factoring debtors	**-**	-
दावों की अदायगी Payments of Claims	**(548,50,41.55)**	(713,03,22.70)
कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of Commission & Brokerage	**(1,94,24.63)**	(2,67,28.30)
अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of Other Operating Expenses	**(126,90,69.21)**	(133,01,91.03)
जमा , अग्रिम व कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	**61,15.21**	1,05,80.12
अदा किया गया सेवा कर Service Tax Paid	**(2,32,00.38)**	(94,75.66)
अदा किया गया आय कर Income Tax Paid	**(261,93,13.89)**	(24,87,538.53)
आय कर की वापसी Refund of Income Tax	**85,85,20.19**	-
अन्य अदायगियाँ / एकत्रण (शुद्ध) Other Payments/Collection (net)	**(15,69.39)**	(1,65,33.04)
वसूलियाँ Recoveries	**121,85,67.46**	169,63,59.46
परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**341,52,76.19**	**3,09,136.76**

वित्तीय विवरण

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
ख. निवेश क्रिया कलापों से नकद प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अचल परिसम्पत्तियों में सम्मिलन (अग्रिम भुगतान सहित) Addition to Fixed Assets (including Advance payment)	(12,49,04.71)	(10,82,90.49)
निवेश से आय Income from Investment	363,51,85.25	341,37,84.79
निवेशों की बिक्री Sale of Investment	2256,08,64.26	1933,98,80.60
परिसम्पत्तियों की बिक्री Sale of Assets	39,52.79	4,48.02
निवेशों की खरीद Purchase of Investments	(2926,56,43.02)	(2216,81,10.66)
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(319,05,45.43)	**47,77,12.27**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी जारी किए जाने पर प्राप्ति Receipt on issue of Share Capital	100,00,00.00	-
वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण Loan accepted during the year	-	-
वर्ष के दौरान अदा किए गए ऋण Loan repaid during the year	-	-
लाभांश कर Dividend Paid	(27,00,00.00)	(53,10,00.00)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities(C)	73,00,00.00	**(53,10,00.00)**
शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग) Net Cash Flow(A+B+C)	95,47,30.76	25,58,49.04
नकद व नकद समतुल्य Cash and Cash equivalent		
वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year		
तुलन पत्र के अनुसार As per Balance Sheet	902,44,67.50	876,86,18.46
कुल (क) Total (A)	902,44,67.50	876,86,18.46

FINANCIAL STATEMENTS

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
वर्ष के अंत में At the end of the year तुलन पत्र के अनुसार As per Balance Sheet	997,91,98.26	902,44,67.50
कुल (ख) Total (B)	**997,91,98.26**	902,44,67.50
नकदी व नकद समतुल्य में परिवर्तन (क - ख) Change in Cash and Cash equivalent (A-B)	**(95,47,30.76)**	**(25,58,49.04)**

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

(राकेश कुमार जैन)
कंपनी सचिव
(Rakesh Kumar Jain)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our Report of even date attached

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2013
Dated: 10th May, 2013

वित्तीय विवरण

प्रबंधन रिपोर्ट
MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों व बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रस्तुति) विनियमन 2002 की अनुसूची ''ख'' के भाग IV में अपेक्षित प्रबंधन की रिपोर्ट।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2012-13 के लिए प्रमाण पत्र संख्या 403 दिनांक 06/03/2012 के ज़रिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले सभी देयों की भुगतान/ प्रावधान किया जा चुका है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण का स्वरुप तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरुप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी की गई पॉलिसियों के धारकों की निधियों को भारत के बाहर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि हमने शोधन क्षमता सीमा को बनाए रखा है।
6. हम प्रमाणित करते है कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गई है व हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार तुलन पत्र में विविध शीर्षों-'' 'ऋण', 'निवेश', 'विविध लेनदार', 'नकद', व ' कुछ मदों को वर्तमान परिसम्पत्तियों' के अधीन दर्शाई गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य उनकी पुनः बिक्री अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के द्वारा निगम का समग्र ऋण जोखिम ₹ 74675,80,00 हज़ार से ₹ 1000,000,000 हजार ₹ की अधिकतम देयता तक बढ़ाया है। निगम का जोखिम ऋण जोखिम इस संबंध में साधारण बीमा कंपनियों के लिए आई आर डी ए द्वारा अनुबद्ध सीमा के भीतर है।
8. हमारा कोई भी विदेशी परिचालन नहीं है।
9. दावों की अवधि जो कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान दावों के औसत निपटान समय की प्रवृत्ति को दर्शाता है, निम्नवत है :

वर्ष	दिनों की संख्या
2012-2013	40
2011-2012	91
2010-2011	70
2009-2010	50
2008-2009	47

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE ''B'' OF INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory and Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the year 2012-13, vide their certificate no.: 403 dated 06/03/2012.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings - ''Loans'', ''Investments'', ''Sundry Debtors'', ''Cash'' and the several items specified under ''Current Assets''.
7. The overall exposure of the Corporation is ₹ 74675,80,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Corporation is well within the relevant limits stipulated by IRDA in this regard for general insurance companies.
8. We have no overseas operations.
9. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below :

Year	Number of Days
2012-2013	40
2011-2012	91
2010-2011	70
2009-2010	50
2008-2009	47

पिछले 5 वर्षों से बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है :

दिनांक 31/03/2013 को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 दिनों से 6 माह	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 माह से 1 वर्ष तक	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	134	973,80,35.92	186	260,24,34.62	320	1234,04,70.54

दिनांक 31/03/2012 को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक बकाया दावों का विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 दिनों से 6 माह	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 माह से 1 वर्ष तक	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

दिनांक 31/03/2011 वित्तीय वर्ष 2010-11 तक बकाया दावों का विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 दिनों से 6 माह	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 माह से 1 वर्ष तक	65	394,56,69.16	0	-	65	394,56,69.16
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	26	139,42,65.73	0	-	26	139,42,65.73
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51

दिनांक 31/03/2010 वित्तीय वर्ष 2009-10 तक बकाया दावों का विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47
30 दिनों से 6 माह	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21
6 माह से 1 वर्ष तक	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	9	48,48,27.18	9	48,48,27.18
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37

Ageing of claims outstanding during the preceding 5 years is as per details below:

Claims Pending as on 31/03/2013, Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 Days to 6 Months	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 Months to 1 Year	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	134	973,80,35.92	186	260,24,34.62	320	1234,04,70.54

Claims Pending as on 31/03/2012, Financial Year 2011-12

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 Days to 6 Months	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 Months to 1 Year	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

Claims Pending as on 31/03/2011, Financial Year 2010-11

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 Days to 6 Months	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 Months to 1 Year	65	394,56,69.16	0	-	65	394,56,69.16
1 year to 5 years	26	139,42,65.73	0	-	26	139,42,65.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51

Claims Pending as on 31/03/2010, Financial Year 2009-10

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47
30 Days to 6 Months	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21
6 Months to 1 Year	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51
1 year to 5 years	-	-	9	48,48,27.18	9	48,48,27.18
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37

दिनांक 31/03/2009 वित्तीय वर्ष 2008-09 तक बकाया दावों का विवरण :

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	41	73,91,56.53	135	159,50,92.11	176	233,42,48.63
30 दिनों से 6 माह	78	221,79,36.33	49	49,73,08.94	127	271,52,45.28
6 माह से 1 वर्ष तक	1	12,68,10.00	2	1,60,14.88	3	14,28,24.88
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	1	1,72,82.95	1	1,72,82.95
कुल	120	308,39,02.86	187	212,56,98.88	307	520,96,01.73

10. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही मूल्यांकित किया गया है।

11. सभी निवेश परिसम्पत्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा हम यह भी पुष्टि करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी भी प्रकार की अनर्जक परिसम्पत्तियाँ नहीं है।

12. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि :

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखागत मानकों,सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्रबंधन ने लेखागत नीतियों को अपनाया है तथा आई आर डी ए विनियमों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के अलावा नियमित रुप से उनका अनुपालन किया गया है तथा युक्तसम्मत व विवेकशील निर्णय व अनुमान किए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कारोबार व वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ की स्थिति के संबंध में सही व उचित तथ्य उजागर हो सकें।

ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा तथा अन्य अनियमितताओं को टालने के लिए बीमा अधिनियम 1938(1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के 1) अनुसार लेखागत रिकॉर्डों के पर्याप्त रखरखाव के लिए सही तथा समुचित सावधानी बरती है।

घ. यह कि प्रबंधन ने चालू संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं।

च. यह कि प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरुप है व यह प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित हो रही है।

Claims Pending as on 31/03/2009, Financial Year 2008-09

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	41	73,91,56.53	135	159,50,92.11	176	233,42,48.63
30 Days to 6 Months	78	221,79,36.33	49	49,73,08.94	127	271,52,45.28
6 Months to 1 Year	1	12,68,10.00	2	1,60,14.88	3	14,28,24.88
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	1	1,72,82.95	1	1,72,82.95
Total	120	308,39,02.86	187	212,56,98.88	307	520,96,01.73

10. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.

11. All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

12. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDA Regulations and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938) and Companies Act, 1956(1 of 1956) for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

13.ऐसी किसी भी कंपनी,व्यक्तिगत फ़र्मों तथा संगठनों को अदायगी नहीं की गई है जिनमें कंपनी के निदेशकों की कोई रुचि है सिवाय उन सौदों के जो कि कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के दौरान किए गए हों।

कृते भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

13. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

(एन.शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. Shankar)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(Arvind Mehta)
Director

(जी.गोपालकृष्ण)
निदेशक
(G. Gopalakrishna)
Director

(टी.सी.ए.रंगनाथन)
निदेशक
(T .C. A. Ranganathan)
Director

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai
दिनांक : 10 मई 2013
Dated: 10th May, 2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एम बी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
204, म्हात्रे पेन बिल्डिंग
सेनापती बापट मार्ग,
दादर (पश्चिम)
मुंबई 400 016

पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
26, लक्ष्मी नारायण बाग,
बाल गोविंद दास रोड,
माहिम (पश्चिम),
मुंबई 400 016

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड,
मुंबई के सदस्यों के लिए

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने 31 मार्च 2013 तक के भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (निगम) के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ समाप्त वर्ष के लिए संलग्न राजस्व खाते, लाभ व हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्ति व भुगतान खाता) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षक फर्मों द्वारा लेखा परीक्षित उसकी चौवन शाखाओं के विवरण भी शामिल हैं। निम्न उल्लेखित के अलावा, तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के बीमा अधिनियम 1938 बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3 सी) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 2002 (विनियम) के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह के वास्तविक तथा उचित चित्रण प्रस्तुत करते है। उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वास्तविक तथा उचित चित्रण प्रस्तुत करते है तथा महत्वपूर्ण और मिथ्याकथन से मुक्त होते है, चाहे यह धोखाधड़ी से हों या गलती से।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर केवल अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा भारत के साधारणतया मान्य लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की योजना व उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हों।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants
204, Mhatre Pen Building,
Senapati Bapat Marg,
Dadar (West),
Mumbai - 400028

P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants
26,Laxmi Narayan Baug,
Bal Govind Das Road,
Mahim (West),
Mumbai 400016

To the Members of
Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai

1 Report on the Financial Statements:

We have audited the attached Balance Sheet of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited (the Corporation) as at 31st March, 2013 and the Revenue Account, the Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement (Receipt & Payment Account) for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the returns of fifty four branches audited by other firms of auditors. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and Receipt and Payment Account, have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority ('IRDA') (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the Regulations') read with Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956 ('the Act') except as stated hereunder.

2 Management's Responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of Corporation. The responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

3 Auditors Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच राशि के समर्थन में सबूत तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिम मूल्यांकन सहित चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखा परीक्षक, निगम के तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन में वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुती पर विचार करते हैं जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों।लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखागत सिद्धांतों व महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन व साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुती का मूल्यांकन भी शामिल किया जाता है।

हम मानते हैं कि हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के निर्धारण हेतु हमें प्रदान किए गए लेखा परीक्षा प्रमाण, पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. प्रीमियम को तब तक आय नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे संबंधित आवश्यक प्रलेखन का कार्य पूरा नहीं हो जाता भले ही इसकी तारीख जोखिम / संविदा अवधि (अनुसूची 16 की लेखागत नीति 5.1 व अनुसूची 17 के नोट सं 10 का संदर्भ लें) की तारीख के बाद की हो। वर्ष के लिए लाभ, प्रारक्षित निधियाँ तथा चालू परिसम्पत्तियाँ / चालू देयताओं पर इसका प्रभाव अनिश्चित रहा।

ख. अनुसूची 16 की लेखागत नीति 16.3 तथा अनुसूची 17 के नोट संख्या 12 में उल्लेखित अनुसार मुद्रा विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न लाभ अथवा हानि को ''प्रदत्त दावे (शुद्ध) ''तथा'' वर्ष के दौरान वसूल किए गए ''शीर्ष के अंतर्गत (अनुसूची 2) में दर्शाया गया है। लेखागत मानक 11'' विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों'' के अनुसार निगम द्वारा मुद्रा विनिमय अंतरों के कारण लाभ अथवा हानि की राशि का प्रकटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अभिनिश्चयन के वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि पर उसका प्रभाव साफ नज़र आए। निगम इस प्रकार का प्रकटन करने में असमर्थ है इस लिए किसी भी प्रकार का प्रकटन नहीं किया गया है।

5. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि :-

क. अनुसूची 17 के नोट संख्या 3 के अनुसार ₹ 650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 650.76 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उचित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं की

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

4 We report that:

a. Premium is not recognized as income till completion of necessary documentation even though such date may be subsequent to the date of commencement of risk / contract period (Refer accounting policy no. 5.1 to Schedule 16 and note no. 10 to Schedule 17). The impact on the profit for the year, reserves and current assets/current liabilities remains unascertained;

b. As stated in accounting policy no. 16.3 to schedule 16 and note no. 12 to Schedule 17, the gain or loss arising on account of exchange differences is included under the head "Claims incurred (net)" and is shown against "recovered during the year" (Schedule 2). As per Accounting Standard 11 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", the Corporation is required to disclose the amount of gain or loss on account of exchange differences in such a manner that its impact on the net profit or loss for the year can be ascertained. The Corporation is unable to ascertain such difference and hence no disclosures have been made.

5 We draw attention to:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹ 650.76 thousands (previous year ₹ 650.76 thousands) where registration formalities with

पूर्ति नहीं की गई है व ₹ 57,651.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 57,511.06 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उसके लिए किए गए करार गुम हो गए हैं/ निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

ख. 31 मार्च 2013 तक प्रदत्त परंतु रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर) तथा प्रदत्त परंतु पर्याप्त रुप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन ई आर) के संबंध में देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे निगम के परामर्श बीमांकिक द्वारा प्रमाणित हैं तथा उनके द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए किए गए पूर्वानुमान आई आर डी ए तथा आई आर डी ए की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्था द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा मानदंडों के अनुसार हैं।

ग. अनुसूची 17 के नोट संख्या 13 जो कि विविध देनदार, विविध लेनदार व जमा, व अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम तथा वसूली योग्य राशि सहित आस्तियाँ तथा एकल बही खाता, बीमाकृत का शेष, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा के अधीन कुछ शेषों का मिलान व तदुपरांत समायोजन लंबित है।

घ. अनुसूची 17 के नोट संख्या 31.2 के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के मामले में कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किया गया है ;तथा

च. बीमा अधिनियम 1938 के अधीन निर्धारित जमा आवश्यकता संबंधी अनुपालन के लिए निगम ₹ 99,525 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 99,525 हज़ार) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है (अनुसूची 17 के नोट संख्या 5.3 का संदर्भ लें)। इस प्रकार के निवेशों के बकाया शेष को '' अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ'' में वर्गीकृत किया गया है।

6. अभिमत :

ऊपर उल्लेखित पैरा 4 क तथा ख, के हमारी राय तथा हमें दी गई उत्तम जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार यहाँ ऊपर उल्लेखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, तथा प्राप्ति व भुगतान खाता को बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकारण अधिनियम 1999(1999 के 41) तथा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के 1) के आवश्यकताओं तथा उनके अधीन लागू पद्धति के अनुसार बनाया गया है व ये लेखागत नीतियाँ तथा

appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹ 57,651.06 thousands (previous year ₹ 57,511.06 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Corporation;

b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2013 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Corporation and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA;

c. Note no. 13 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including amount recoverable, & Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

d. Note no. 31.2 to Schedule 17 regarding provision for employee benefits in terms of letter received from Ministry of Commerce, Government of India; and

e. To comply with the deposit requirement stipulated under the Insurance Act, 1938, the Corporation has invested ₹ .99,525 thousands (Previous year ₹ .99,525 thousands) in the government securities (Refer note no. 5.3 to Schedule 17). The outstanding balance of such Investment is classified under "Advances and Other Assets".

6 Opinion:

Subject to Para 4.a and 4.b above, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to the extent applicable and in the manner so required and these

नोटों के साथ पढ़े जाने वाले वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुरुप सही हैं तथा उचित रुप रेखा प्रस्तुत करते हैं।

i. तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2013 तक के निगम के मामलों को शामिल किया गया है।

ii. राजस्व खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष को शामिल किया गया है।

iii. लाभ व हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ को शामिल किया गया है तथा ;

iv. प्राप्ति व भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्ति व भुगतान को शामिल किया गया है।

7. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

7.1 अधिनियम के खंड 227 (3) के आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :

क. हमने हमारे उत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व सभी स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं व उसे संतोषजनक पाया है।

ख. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता अधिनियम की धारा 211 की उपधारा 3 सी के अधीन उल्लेखित लेखागत मानकों के अनुरुप ही हैं सिवाय ऊपर 4.2 में उल्लेखित खातों के।

ग. हमारी राय में उचित लेखा बहियों का रखरखाव जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है, का निगम द्वारा पूरा पालन किया गया है जैसा कि उन बहियों की जाँच से ज्ञात होता है। शाखा के विवरणों की लेखा परीक्षा करने वाले शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को हमें उपलब्ध करवाया गया है तथा उन्हें हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाया गया है।

घ. इस रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता संबंधी विवरणों को लेखा व विवरणों के बहियों के अनुसार पाया गया ।

च. निगम द्वारा किए गए निवेश बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों तथा विनियमों के अनुसार ही हैं।

financial statements read with the accounting policies and notes thereon give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2013;

ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the financial year ended on that date;

iii. In the case of Profit & Loss Account, of the Profit for the financial year ended on that date; and

iv. In the case of Receipt and Payment Account, of the receipts and payment during the financial year ended on that date.

7 Report on other Legal and Regulatory Requirements:

7.1 As required by section 227(3) of the Act, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and found them satisfactory.

b. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and Receipt and Payment Account referred to in this report comply with the Accounting Standards referred to under sub section 3C of Section 211 of the Act except as stated in para 4.b above;

c. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books. The reports of the branch auditors on the returns of the branches audited by such auditors have been made available to us and so far appears from our examination the same have been found to be adequate for the purpose of our audit.

d. The Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and returns received from the branches.

e. The investments made by the Corporation have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the Regulations.

छ. कंपनी मामले विभाग ने परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के ज़रिए सरकारी कंपनियों के निवेशकों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 271(1) (जी) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यकता से मुक्त कर दिया है।

ज. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, तथा तुलन पत्र पर पैरा 4 में व्यक्त की गई हमारी राय की गणना न की जाए क्योंकि निगम द्वारा उसका निर्धारण नहीं किया गया है।

7.2 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के विनियमन 3 के अनुसूची ग के अनुसार निपटारा किए जाने वाले मामले (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमए 2002 की सूचना नहीं दी गई।

क. सिवाय ऊपर उल्लेखित पैरा 4 ख, में उल्लेखित के अलावा निगम द्वारा अपनाई गई सभी लेखागत नीतियाँ उचित हैं तथा वे अधिनियम की धारा 211 की उप धारा 3 सी के अधीन उल्लेखित लेखागत मानकों व आई आर डी ए द्वारा निर्धारित आदेशों / निर्देशों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित लेखागत दिशा निर्देशों के के अनुरुप हैं ।

ख. हमने शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन के रिपोर्ट की समीक्षा की है व पाया कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गई है न ही वित्तीय विवरणों से संबंधित कोई तथ्यपरक असंगति पाई गई है।

ग. प्रबंधन द्वारा दिए गए ऊपर उल्लेखित पैरा 6 व 7.2 के स्पष्टीकरण के अलावा निगम ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उपधारा 4 में निर्धारित पंजीकरण के निबंधनों व शर्तों का पूरा अनुपालन किया है।

घ. हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहाँ लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है व नकद शेषों की पुष्टि संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।) तथा ऋणों व निगम द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों की वास्तविक जाँच करने अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने सिवाय उनके जो बैंकों के पास मौजूद हैं व जिनके विषय में बैंकों से पुष्टि प्राप्त हो गई है, का सत्यापन किया है।

f. Vide circular no. 8/2002 dated 22-03-2002 issued by the Department of Company Affairs, the directors of the government companies are exempted from applicability of the provisions of section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956.

g. We further report that the aggregate impact resulting out of our observations in para 4 above on the Revenue Account, Profit and Loss Account and Balance Sheet is not quantifiable by us as the same has not been ascertained by the Corporation.

7.2 Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and development authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere.

a. The accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards referred to under sub section 3C of Section 211 of the Act and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard except to the extent stated in para 4.b above.

b. We have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the financial statements;

c. As per the explanation given by the management, except as stated in para 6 and 7.2 (a) above, the Corporation has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors) and securities relating to the loans and investments made by the corporation by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

च. हमें दी गई उत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण के तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; और

छ निगम ने पिछले तुलन पत्र के आधार पर मदों की प्रकृति के अनुसार शेयर धारकों की निधियों व पॉलिसीधारकों की निधियों का वर्गीकरण कर लिया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाता तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत कर लिया है। बीमा अधिनियम की धारा 11(1) बी के अनुसार शेयर धारकों तथा पॉलिसीधारकों के लिए अलग से कोई खाता नहीं बनाया गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, जानकारी की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिकॉर्डों से इस प्रकार की निधियों के उपयोग की जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा बहियों के सत्यापन तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण व उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधियों के विनियोग तथा उनके निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत पॉलिसीधारकों की परिसम्पत्तियों का अथवा उनके किसी अंश का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से प्रतिकूल उपयोग नहीं किया जा रहा है।

कृते **एम बी अग्रवाल एंड कं**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 100137 डब्ल्यू
(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 109438

कृते **पी. एम. दलवी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू
(माधव एन.नांदगांवकर)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017899

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2013

e. To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Corporation, the Corporation is not a trustee of any trust; and

f. The Corporation has segregated shareholders funds and policyholders funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit & Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the accounts and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across any part of the assets of the policyholders funds been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

For **M.B. Agrawal & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration No.100137W
(Harshal Agrawal)
Partner
Membership No.109438

For **P M Dalvi & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration No.102065W
(Madhav N Nandgaonkar)
Partner
Membership No.017899

Place: Mumbai
Date: May 10, 2013

लेखा परीक्षकों का अभिमत उत्तर / REPLIES TO AUDITORS' OBSERVATIONS

क्र.सं Sr.No.	लेखा परीक्षकों का अभिमत / Auditor's Observations	उत्तर / Replies
4.1	प्रीमियम को तब तक आय नहीं माना जाता जब तक उससे संबंधित आवश्यक प्रलेखन का कार्य पूरा नहीं हो जाता भले ही उसकी तारीख जोखिम / संविदा अवधि की आरंभ (अनुसूची 16 की पॉलिसी संख्या 5.1 तथा अनुसूची 17 का नोट 11 का संदर्भ लें) की तारीख हो। परिणामस्वरुप वर्ष के लिए लाभ, प्रारक्षण तथा चालू आस्तियाँ/वर्तमान देयताएँ अनिर्धारित रह जाती हैं।	विगत कई वर्षों से निगम प्रीमियम आय संबंधी कथित लेखागत नीति का पूर्ण अनुपालन कर रहा है। प्रीमियम चार्ज करने से पहले आवश्यक जानकारी जैसे, सकल इन्वॉयस मूल्य / बकाया राशि , भुगतान की शर्तें, गंतव्य देश आदि को ध्यान में रखना होता है, प्रीमियम को तब ही स्वीकृति दी जा सकती है जब उक्त पूरी जानकारी प्राप्त न हो जाए।
	Premium is not recognized as income till completion of necessary documentation even though such date may be subsequent to the date of commencement of risk / contract period (Refer accounting policy no. 5.1 to Schedule 16 and note no. 10 to Schedule 17). The impact on the profit for the year, reserves and current assets/current liabilities remains unascertained.	The stated accounting policy for recognition of premium income is being consistently followed by the Corporation over the years. As the necessary information like, gross invoice value, terms of payment, country of destination, average/ highest amount outstanding, etc are required for determining the premium to be charged, recognition of premium is possible only on receipt of such information.
4.2	अनुसूची 16 की लेखागत नीति 16.3 तथा अनुसूची 17 के नोट संख्या 12 में उल्लेखित अनुसार मुद्रा विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न लाभ अथवा हानि को ''प्रदत्त दावे (शुद्ध)'' तथा ''वर्ष के दौरान वसूल किए गए '' शीर्ष के अंतर्गत (अनुसूची 2) में दर्शाया गया है। लेखागत मानक 11 '' विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों'' के अनुसार निगम द्वारा मुद्रा विनिमय अंतरों के कारण लाभ अथवा हानि की राशि का प्रकटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अभिनिश्चयन के वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि पर उसका प्रभाव साफ नज़र आए। निगम इस प्रकार का प्रकटन करने में असमर्थ है इस लिए किसी भी प्रकार का प्रकटन नहीं किया गया है।	निगम की बीमा योजना के अनुसार निगम भारतीय रुपयों में प्रीमियम लेता है तथा दावों का निपटान भारतीय रुपयों में करता है व वसूलियाँ भी भारतीय रुपयों में की जाती है। कई बार कुछ दावों की वसूली विदेशी मुद्रा में की जाती है तथा मूल दावा भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है, इसलिए विदेशी मुद्रा अंतर के प्रभाव को विदेशी मुद्रा लाभ/ हानि को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को (ईएसी) को भेजा गया है। बोर्ड द्वारा लेखा का स्वीकरण करने के समय आईसीएआई की राय की प्रतीक्षा है।
	As stated in accounting policy no 16.3 to schedule 16 and note no. 12 to Schedule 17, the gain or loss arising on account of exchange differences is included under the head ''Claims incurred (net)'' and is shown against ''recovered during the year''(schedule 2). As per Accounting Standard 11 ''The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'', the Corporation is required to disclose the amount of gain or loss on account of exchange differences in such a manner that its impact on the net profit or loss for the year can be ascertained. The Corporation is unable to ascertain such difference and hence no disclosures have been made.	As per the scheme of Insurance by the Corporation, the Corporation charges premium in Indian Rupees, settles claims in Indian Rupees and effects recoveries in Indian Rupees. The recovery against claims paid could be at times effected in foreign currency and since the original claim is booked in Indian Rupees, the impact of forex rate changes may not be accounted for as forex gains/losses. The above matter has been referred to the Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The opinion of the ICAI is awaited at the time of adoption of Accounts by the Board.

हानि कम करने का सिद्धांत :

बीमा कराने वाले का यह कर्तव्य है कि वह पॉलिसी में उल्लेखित जोख़िमों के कारण होने वाले हानि को कम करने के लिए सभी संभव कदम उठाए। बीमा कराने वाले का यह दायित्व है कि वह और हानि से बचने के सभी व्यावहारिक उपाय करें।

Principle of Loss Minimization :

It is the duty of the insured to take all possible steps to minimize loss arising on account of risks specified in the policy. It is the responsibility of the insured to take all practicable measures to avoid further losses.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
COMMENTS OF CAG

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - I मुम्बई.

गोपनीय

जी ए /आर-1/ए/सी एस // ई सी जी सी/12-13/39

11 जून 2013

प्रति,
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट,
मुम्बई 400 021.

विषय : वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। टिप्पणियों को प्रिंट किए जानेवाले वार्षिक रिपोर्ट में विषय वस्तु में इंगित करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।

प्रमाणित लेखों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अपनाने के लिए आयोजित वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाही को वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात इस कार्यालय को भेजें। प्रिंट किए गए वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियों को भी इस कार्यालय को भेजें।

इस पत्र तथा संलग्नकों की प्राप्ति सूचना से अवगत कराएँ।

भवदीय,

(वाय.एन.ठाकरे)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई.

संलग्न : यथोक्त

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I MUMBAI

CONFIDENTIAL

GA/R-I/A/CS/ ECGC/2012-13/39

11 JUN 2013

The Chairman-cum-Managing Director,
Export Credit Guarantee Corporation of India Limited,
Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,
Mumbai 400 021

Sub : Comments of the Comptroller And Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2013.

Sir,

Please find enclosed the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2013. The comments may be placed next to the Statutory Auditors' report with a proper indication in the list of contents in the Printed Annual Report.

A copy of the proceedings of the Annual General Meeting (AGM) adopting the certified accounts and Statutory Auditors' report and comments of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office immediately after the conclusion of the AGM. Ten copies of the printed Annual Report may also be sent to this office.

Receipts of this letter and the enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Y. N. Thakare)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I,Mumbai

Encl: As above

वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2013.

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों 2002 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रस्तुती) तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवसायिक इकाई भारतीय सदनी लेखाकारों की संस्था द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा व आश्वासनों के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है। यह कार्य उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2013 के ज़रिए किया जा चुका है।

मैंने भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेज़ों का संदर्भ लिए बिना स्वतंत्र रुप से की गई है तथा यह मुख्य रुप से सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के कार्मिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा कुछ लेखा संबंधी रिकॉर्डों की चयनात्मक आधार पर जाँच तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के अनुसार

The preparation of financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Auditing and Assurance Standards prescribed by their professional body, The Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 May 2013.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March, 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquires of the Statutory Auditors and company personnel and a selective

मेरे ध्यान में ऐसा कुछ उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके फलस्वरुप कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणी की जाए अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक प्रस्तुत किया जाए।

कृते भारतीय नियंत्रक तथा
महालेखा परीक्षक की ओर से

(वाय.एन.ठाकरे)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11 जून 2013

examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Y. N. Thakare)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-Officio member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai
Date: 11 June 2013

अधिकारों के प्रतिष्ठापन का सिद्धांत :

हानियों के लिए बीमा कराने वाले को क्षतिपूर्ति करने वाले बीमाकर्ता को यह अधिकार है कि वह खरीदार / निर्यातकर्ता / देनदार से इसकी वसूली कर सके। बीमाकर्ता द्वारा दावे का भुगतान करने के बाद बीमा कराने वाले को वसूली कराने में अथवा बीमाकर्ता के कहने पर बीमाकर्ता को वसुली के उपायों तथा अपने अधिकारों के हस्तान्तरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

Principle of Subrogation of rights :

The Insurer, having compensated the insured for the losses, is entitled to avail himself of the rights to recover the same from the buyer/ importer/ debtor. Upon payment of a claim by the insurer, the insured shall take all necessary steps to effect recoveries or shall on the advice of the insurer, assign and transfer his rights and remedies for

सेवा तंत्र
SERVICE NETWORK

सेवा तंत्र
SERVICE NETWORK

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 Express Towers, 10th floor,Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
विपणन तथा जनसंपर्क प्रभाग **MARKETING & PR DEPT.** दलामल हाउस, 2 री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021. Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138426 / 8438 / 1800224500	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा **PROJECT EXPORT BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल,प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th floor, Plot No.C-26/27, 'E' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई **LARGE EXPORTERS BRANCH, Mumbai** दलामल हाउस, 2 री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8800 - 12	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुंबई **BANK BUSINESS BRANCH, Mumbai** दलामल हाउस, 3 री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8600 - 24	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय / WESTERN REGIONAL OFFICE दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8112 / 154	wro@ecgc.in
बांद्रा लवमनि शाखा **BANDRA SME BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल,प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा **BANDRA BANK BUSINESS BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8181	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा **ANDHERI BRANCH** 401, टाऊन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई 400 059 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andher (East), Mumbai - 400059	(022) 28593856 / 7614	andheri.mumbai@ecgc.in

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
चर्चगेट शाखा **CHURCHGATE BRANCH** दलामल हाउस, 2 री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022)22822214 / 2265 / 22832027	churchgate.mumbai@ecgc.in
ठाणे शाखा **THANE BRANCH** कुसुमांजली, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Rd., Naupada, Thane - 400 602	(022) 25347815	thane@ecgc.in
अहमदाबाद शाखा **AHMEDABAD BRANCH** नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor,Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544499 / 2925	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा **PUNE BRANCH** वास्तु चेम्बर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor,1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531998 / 25512871	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा **INDORE BRANCH** 408, 4 थी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड, इंदौर 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544215 / 2532129	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा **RAJKOT BRANCH** निर्मल - 2री मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, म्युनिसिपल कमिशनर के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal 2nd floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा **VADODARA BRANCH** 504,कॉनकोर्ड, 6 ठीं मंजिल, आर सी दत्त मार्ग, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	0265 2354728 / 2341615	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा **NAGPUR BRANCH** प्लाट नं. 317 (66), 2री मंजिल, रविंद्रनाथ टागोर मार्ग, गुप्ता हाऊस के सामने, एम.जी. हाऊस के बगल में, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 Plot No.317 (66), 2nd Floor, Ravindranath Tagore Marg, Opp. Gupta House, Beside M.G. House, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 6558503	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा **SURAT BRANCH** 503, 21 सेंचुरी बिजनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत - 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 6530488 / 2364074	surat@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय / EASTERN REGIONAL OFFICE ए सी बाज़ार कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963-66	ero@ecgc.in

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
कोलकाता निर्यातक शाखा **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** ए सी बाज़ार कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963-66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा **KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH** ए सी बाज़ार कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963- 66	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा **VARANASI BRANCH** पीसीएफ प्लाजा, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, युनिट नं 1, मिंट हाउस, नदेसर, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864 / 2502534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा **BHUBANESHWAR BRANCH** 3 री मंजिल, 611, शहीद नगर, भुवनेश्वर 751 007 Plot No.611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
गुवाहाटी उप-कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** एचपी ब्रह्मचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहबारी, गुवाहाटी 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Rd., Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	
दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I / SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I देवा टॉवर्स, 7वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई,चेन्नई 600 002 Dewa Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 28491026-31	sro-I @ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** देवा टॉवर्स, 7 वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई,चेन्नई 600 002 Dewa Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 28491026-31	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा **CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH** 3 री मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 3rd floor,Overseas Towers, 756-L, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 42284488-99	bbb.chennai@ecgc.in
पेरियामेट शाखा **PERIAMET BRANCH** लेदर सेंटर, 4 थी मंजिल, 43/53 राजा मुथैया रोड, पेरियामेट, चेन्नई 600 003 Leather Centre, 4th floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 25615721/20	periamet.chennai@ecgc.in
कोयंबतूर शाखा **COIMBATORE BRANCH** चेरन प्लाजा, 2री मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयंबतूर 641 018. Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304775 / 776	coimbatore@ecgc.in
मदुराई शाखा **MADURAI BRANCH** 1ली मंजिल, नं.12, कामराज नगर, दूसरा रास्ता, चिन्ना चोकिंकुलम, ओ सी पी एम स्कूल रोड, मदुराई 625 002 1st Floor, No. 12, Kamraj Nagar, Second Street, Chinna Chokkikulam, OCPM School Road, Madurai - 625 002	(0452) 2520340 / 2525521	madurai@ecgc.in

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
सेलम शाखा **SALEM BRANCH** 'शांति प्लाझा', 3 री मंजिल, 1/5, वृंदावन रोड, फेयरलैंड्स, पुन्नस्वामी गौंडर तिरूमना मंडपम के सामने, सेलम 636 004 'Shanthi Plaza', 3rd Floor, 1/5, Brindavan Rd., Opp.PonnusamyGounder Thirumana-Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2330274 / 2442275	salem@ecgc.in
तिरूपुर निर्यातक शाखा **TIRUPUR EXPORTERS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, 1ली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Rd., Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 4354	ebb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर 641 602 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Rd., Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 3444	tirupur@ecgc.in
तुतीकोरिन शाखा **TUTICORIN BRANCH** 208/4 ए, पहली मंजिल, वी ई रोड, तुतीकोरिन 628 003 208/4 A, 1st Floor, V E Road, Tuticorin 628 003	0461 2324351 / 52	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा **KARUR BRANCH** 3री मंजिल, के व्ही आर कॉम्प्लेक्स, सेंगुथापूरम 80 फीट रोड, करूर 639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911 / 231725	karur@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II / SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II रहेजा टॉवर्स, 11 वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एमज़ीरोड, बेंगलुरू 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., West Wing, 26, M.G. Rd., Bengaluru - 560 001	(080) 25591139	sro-II@ecgc.in
बेंगलूर निर्यातक शाखा **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** वायुदूत चेम्बर्स, 15-16 एम जी ़रोड, बेंगलुरू 560 001 Vayudooth Chambers, 4th floor, 15-16, M. G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25589775 / 25591729	Bangalore@ecgc.in
बेंगलूर बैंक कारोबार शाखा **BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH** रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम जी रोड, बेंगलुरू 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., East Wing, 26, M.G. Rd., Bengaluru - 560 001	(080) 25585375 / 8 / 25326181 / 6182	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा **KOCHI BRANCH** एचड़ीएफ़सी हाउस, 2री मंजिल, रविपुरम जंक्शन, एमज़ीरोड, एर्नाकुलम, कोची 682 015 H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Rd.,Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437 / 457	kochi@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा **HYDERABAD EXPORTERS BRANCH** हाका भवन, 2 री मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23234334 / 23240833	ebb.hyderabad@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** हाका भवन, 2 री मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23240833 / 23296383 / 5	bbb.hyderabad@ecgc.in

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
विशाखापट्‌टनम शाखा **VISHAKHAPATNAM BRANCH** शंकर प्लाजा, पहली मंजिल, शंकर मठम के सामने, शंकर मठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापट्‌टनम - 530 016 Shankar Plaza, 1st floor, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Rd., Dwarkanagar, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748653	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा **GUNTUR BRANCH** कृष्ण प्लाजा, 2 री मंजिल, 26-21-22 नागराम पालेम, जी टी रोड, गुंटुर 522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 233 7097 / 233 7096	guntur@ecgc.in
मंगलोर शाखा **MANGALORE BRANCH** पहली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स होस्टेल सर्कल, मेंगलोर - 575 003 First Floor, Essel Towers, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444288 / 89	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय / NORTHERN REGIONAL OFFICE वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, 4थी मंजिल, बाराखंबा मार्ग, कॅनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 World Trade Tower, 4th Floor, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110 001	(011) 41529912 / 13	nro@ecgc.in
दिल्ली ल व म नि शाखा **DELHI SME BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4 थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003. NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284000 / 49284016-4030	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा **DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा **DELHI BANK BUSINESS BRANCH** यूनायटेड इंडिया लाईफ बिल्डिंग, 2 री मंजिल, एफ- 20, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110 001 United India Life Bldg, 2nd Floor, F-20, Connaught Circus, New Delhi - 110 001	(011) 45333611 45333666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा **WEST DELHI BRANCH** बी-08/405, 4 थी मंजिल, जीडीआईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110 034 B-08, 405 ,4th floor, GDITL Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142-44	west.delhi@ecgc.in
गुड़गांव शाखा **GURGAON BRANCH** तीसरी मंजिल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव - 122 016 3rd Floor, 'Udyog Minar', Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon - 122 016	(0124) 430 0603/04	gurgaon@ecgc.in

पता / Address	टेली./ Tel.	ई-मेल / E-Mail
लुधियाना शाखा **LUDHIANA BRANCH** 92, सुर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, 2 री मंजिल, दि मॉल रोड, पी बॉक्स नं 281, लुधियाना 141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Rd., P.B. No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082 / 2403349	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा **JALANDHAR BRANCH** 2री मंजिल, गोविंद निवास, 36 जी टी रोड, जालंधर - 144 001 2nd Flr., Gobind Niwas, 36, G.T. Road, Jalandhar - 144 001	(0181) 2226025 / 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा **KANPUR BRANCH** 14/147 स्काय लार्क कॉम्प्लेक्स, 3 री मंजिल, चुन्नीगंज, कानपुर 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd floor, Chunniganj Kanpur - 208 001	(0512) 2533280 / 2534024	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा **MORADABAD BRANCH** पंडीत शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476 / 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा **JAIPUR BRANCH** 2री मंजिल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर - 302 001 2nd Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा **AGRA BRANCH** दीपक वासन प्लाजा, 2 री मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2524985 / 2520165	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा **PANIPAT BRANCH** मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, संजय चौक के पास, जी टी रोड, पानीपत 132 103. Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Rd., Panipat - 132 103	(0180) 2634937 / 39 / 40	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा **JODHPUR BRANCH** 401 प्रकाश भवन, रतनाडा, जोधपुर - 342 001 401, Prakash Bhawan, Ratanada, Jodhpur - 342 001	(0291) 2515385 / 2516083	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा **CHANDIGARH BRANCH** पीएचडी चेंबर हाउस, पहली मंजिल, सेक्टर 31- ए, चंडीगढ़ - 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	0172-5003627 / 28	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा **NOIDA BRANCH** पी-3 रूम नं 312, कृष्णा अपरा प्लाजा, 3री मंजिल, सेक्टर 18, नोयडा - 201 301 P-3 Room No. 312, Krishna Apra Plaza, 3rd floor, Sector 18, Noida - 201 301	(0120) 4249186 / 9182	noida@ecgc.in
श्रीनगर शाखा **SRINAGAR BRANCH** जेकेएसएफसी बिल्डिंग, 2 री मंजिल, दुर्गा नग, दालगेट, श्रीनगर - 190 001 JKSFC Bldg, 2nd floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500260 / 9839433891	srinagar@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा **FARIDABAD BRANCH** एससीओ- 149, दूसरी मंजिल,सेक्टर -21- सी, फरीदाबाद - 121 001 Faridabad-149,2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad - 121 001	0129-4315115	faridabad@ecgc.in

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021.

Registered Office : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

वेबसाईट **website : www.ecgc.in**

www.sapprints.com